

राज्य सरकारों को दिए जाने वाले
अर्थोपाय अग्रिम पर परामर्शदात्री समिति की रिपोर्ट



भारतीय रिज़र्व बैंक

नवंबर 2015

20 नवंबर, 2016

उप गवर्नर
भारतीय रिज़र्व बैंक
मुंबई


**राज्य सरकारों को दिए जाने वाले अर्थोपाय अग्रिम पर परामर्शदात्री
समिति की रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण**

24 नवंबर, 2014 के पत्र सं. 1125/10.18.13/2014-15 के अनुसार राज्य सरकारों को दिए जाने वाले अर्थोपाय अग्रिम पर गठित परामर्शदात्री समिति की रिपोर्ट संलग्न है।


हम रिपोर्ट तैयार करने और समिति को विचार-विमर्श के लिए विश्लेषणात्मक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए श्री लक्ष्मणन, सहायक परामर्शदाता, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए उत्कृष्ट/अभूतपूर्व योगदान तथा सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।



(रतिन रॉय)
निदेशक, एनआईपीएफपी



(डी.पी. रेड्डी)
प्रधान वित्त सचिव
पंजाब सरकार




(एल.एन. तोच्छवांग)
वित्त आयुक्त और सचिव
मिजोरम सरकार



(सुधीर श्रीवास्तव)
अपर मुख्य सचिव (वित्त)
महाराष्ट्र सरकार



(तेमजेन टॉय)
प्रधान सचिव एवं वित्त आयुक्त
नागालैंड सरकार




(जी.सी. मुर्मू)
अपर सचिव (पीएफ-1),
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार




(सुमित बोस)
अध्यक्ष



(के. शंमुगम)
प्रधान वित्त सचिव
तमिलनाडु सरकार



(एन.के. चौधरी)
प्रधान वित्त सचिव
जम्मू-कश्मीर सरकार



(आर. कौशाल्या)
निदेशक, आईडीएमडी,
भारतीय रिज़र्व बैंक
समन्वयक और सदस्य सचिव

आभार

समिति सभी राज्य वित्त सचिवों/राज्य सरकारों तथा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अन्य पदाधिकारियों के प्रति बैठक में उनकी सहभागिता एवं रिपोर्ट में उनके बहुमूल्य सुझावों के लिए धन्यवाद ज्ञापित करती है।

समिति द्वारा तीन विशेषज्ञ व्यक्तियों यथा विचार-विमर्श तथा सामग्री के लिए श्री एन.आर.वी.वी.एम.के. राजेन्द्र कुमार, महाप्रबंधक, आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग (आईडीएमडी) तथा राजकोषीय मौद्रिक समन्वयन पर विश्लेषणात्मक सामग्री के लिए श्री ए.के. मित्रा, निदेशक मौद्रिक नीति विभाग और राज्य वित्त पर विश्लेषणात्मक सामग्री के लिए श्री ब्रजेश पलयथोड़ी, सहायक परामर्शदाता, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग द्वारा दिए गए योगदान को दर्ज किया गया।

समिति आईडीएमडी, आरबीआई के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किए गए अथक प्रयासों और उनके द्वारा दिए गए बहुमूल्य सहयोग के प्रति आभार प्रकट करती है। विशेष रूप से, निम्नलिखित स्टाफ-सदस्यों का नाम उल्लेख जरूरी है: समिति आंकड़े संकलन में सहयोग देने वाले श्री अमित कुमार मीणा, सहायक परामर्शदाता तथा समिति की बैठकें आयोजित करने में व्यवस्थागत एवं अन्य प्रशासनिक सहयोग देने वाले श्री मिलिंद एस. फड़के और क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता और क्षेत्रीय दिल्ली से संबंध अधिकारियों द्वारा वहां बैठकें आयोजित करने तथा अथिति सत्कार करने वाले स्टाफ-सदस्यों के प्रति भी आभार व्यक्त करती है।

आंकड़े सहयोग के लिए श्रीमती दीपा एस. राज, निदेशक तथा श्री आई. भट्टाचार्य, निदेशक और डीईपीआर के राजकोषीय विश्लेषण प्रभाग के अन्य पदाधिकारियों, विशेष रूप से श्री आनंद प्रकाश एक्का, अनुसंधान अधिकारी द्वारा दिए गए योगदान के लिए समिति इनके प्रति भी आभार व्यक्त करती है।

श्रीमती रेखा वारियर, मुख्य महाप्रबंधक, आईडीएमडी द्वारा प्रदान किए गए मार्गदर्शन के लिए समिति इनके प्रति आभार प्रकट करती है। समिति को भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर, श्री एच.आर. खान तथा कार्यपालक निदेशक, श्री विजय भास्कर से विचार-विमर्श करने से अत्यधिक लाभ हुआ है।

विषयवस्तु

अ. सं.	अध्याय का नाम	पृष्ठ सं.
	कार्यपालक सार	39
I	प्रस्तावना	43
II	अर्थोपाय अग्रिम योजना का मूल्यांकन	46
III	राज्यों के वित्त एवं 14वें वित्त आयोग के प्रभाव	51
IV	राज्य सरकारों की चलनिधि स्थिति तथा अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) का लिया जाना : अनुभवसिद्ध विश्लेषण	56
V	निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं	62
	अनुबंध	
1	डब्ल्यूएमए संशोधन- पिछली समितियों द्वारा की गई सिफारिशें	71
2	राज्य सरकारों के लिए न्यूनतम राशि और अर्थोपाय अग्रिम : ऐतिहासिक समीक्षा	73
3	डब्ल्यूएमए, एसडीएफ और ओडी पर ब्याज दर- ऐतिहासिक प्रवृत्ति	82
4	राज्य सरकारों द्वारा उपयोग में लाए गए एसडीएफ, डब्ल्यूएमए और ओडी का मासिक औसत	83
5	डब्ल्यूएमए सीमा की गणना के लिए व्यय आधार	87
6	भारतीय रिजर्व बैंक की परिचालन प्रक्रिया और चलनिधि प्रबंधन संरचना	88
7	डब्ल्यू एम ए के फार्मूलों को जोड़ने का प्रयास	89
8	राज्य सरकारों के विचार	90
9	परामर्शदात्री समिति की बैठकों में भाग लेने वाले अधिकारी	93
	अनुबंध सारणी	
1	चुनिंदा ब्याज दरों की प्रवृत्ति	95

कार्यपालक सार

i. अगस्त 2014 में आयोजित राज्य वित्त सचिवों (एसएफएस) के सम्मेलन में राज्य सरकारों के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) योजना की समीक्षा करने हेतु एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, राज्य सरकारों के लिए डब्ल्यूएमए से संबंधित परामर्शदात्री समिति का गठन नवंबर 2014 में किया गया। पहली बार, समिति में दो बाहरी राजकोषीय विशेषज्ञ, जिसमें एक अध्यक्ष के रूप में, के अतिरिक्त छह एसएफएस और संयुक्त सचिव, पीएफ-1, भारत सरकार को सदस्यों के रूप में शामिल किया गया।

डब्ल्यूएमए योजना का उद्भाव

ii. भारतीय रिजर्व बैंक राज्यों को उनकी प्राप्तियों और भुगतान के नकदी प्रवाह में उत्पन्न अस्थायी असंतुलन (मिसमैच) से निजात पाने के लिए डब्ल्यूएमए के जरिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह सुविधा राज्यों को तभी प्रदान की जाती है जब वे भारतीय रिजर्व बैंक साथ के साथ बैंकिंग व्यवहार के लिए एक करार करते हैं। इससे राज्यों को अपनी आवश्यक गतिविधियों और सामान्य वित्तीय परिचालनों को करने में राहत मिलती है।

iii. सामान्य डब्ल्यूएमए के अतिरिक्त, विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) (विशेष डब्ल्यूएमए का परिवर्तित नाम) भी अप्रैल 1953 से चलन में है। जब राज्य सरकारों को प्रदान किया गया अग्रिम उसके एसडीएफ और डब्ल्यूएमए सीमा से अधिक हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में राज्यों को ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान की जाती है।

iv. राज्य सरकारों के लिए डब्ल्यूएमए योजना की समीक्षा करने हेतु राज्य वित्त सचिवों के अनौपचारिक समूह (2000) के अतिरिक्त, पूर्व में, तीन समितियों का गठन निम्नलिखित की अध्यक्षता - (i) श्री बी.पी.आर. विठल (1998), (ii) श्री सी. रामचंद्रन (2003), (iii) श्री एम.पी. बेजबरुआ (2005) में किया गया था।

राज्य वित्त और चौदहवें वित्त आयोग (एफसी) के निहितार्थ

v. राज्य वित्त की संक्षिप्त समीक्षा से पता चलता है कि राजकोषीय घाटे की तुलना में राजस्व घाटे के अनुपात में काफी सुधार हुआ, अर्थात् 2004-05 के 36.8 प्रतिशत से घटकर 2012-13 में (-) 10.4 प्रतिशत रह गया। तथापि, राजस्व खाते में अधिशेष 2013-14 में लगभग समाप्त हो गया।

vi. राज्यों का जीडीपी की तुलना में बकाया ऋण अनुपात 2004-05 के 31.1 प्रतिशत से धीरे-धीरे कम होकर 2012-13 में 21.6 प्रतिशत रहा गया। उच्च पूंजी परिव्यय के लिए संसाधन उपलब्ध कराना, राजकोषीय समेकन की गुणवत्ता में सुधार करना और डिक्लाइनिंग ट्रेजेक्टरी पर राज्यों के जीडीपी की तुलना में समेकित ऋण अनुपात का निर्धारण करना राज्य वित्त की स्थिति के लिए जरूरी है।

vii. राज्यों के राजकोषीय आकार में वर्ष 2005 में बाद काफी बढ़ोतरी हुई क्योंकि राजस्व व्यय की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 2000-01 से 2005-06 की अवधि के 9.3 प्रतिशत की तुलना में 2006-07 से 2013-14 की अवधि में बढ़कर 15.4 प्रतिशत हो गई थी।

viii. राज्यों की राजकोषीय स्थिति की समीक्षा करते हुए 14वें वित्त आयोग ने नोट किया कि समग्र स्तर पर, 2004-05 से 2013-14 की अवधि के दौरान राज्यों के राजकोषीय संकेतकों में सुधार हुआ। राज्यों को बिना शर्त अंतरणों के प्रवाह को बढ़ाने और राज्यों को विशेष उद्देश्य अंतरण करने के लिए भारत सरकार के लिए उपयुक्त राजकोषीय विस्तार की गुंजाइश प्रदान के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करने को ध्यान में रखते हुए 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों में अनुदान से कर हस्तांतरण (डेवलूशन) में संरचनागत परिवर्तन करने के संकेत मिलते हैं।

ix. 14वें वित्त आयोग के अनुसार, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) 2015-16 से 2019-20 की निर्धारित अवधि के लिए ₹61,219 करोड़ रखी गई, एसडीआरएफ निवेश दिशानिर्देशों में किए गए उल्लेख के अनुसार यदि राज्य कार्यकारी समिति (एसईसी) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विशेष राशि निर्धारित करती है, तो रिजर्व बैंक समेकित ऋण-शोधन निधि (सीएसएफ)/गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)/विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) के समान उसे संभाल सकता है।

राज्य सरकारों की चलनिधि स्थिति और डब्ल्यूएमए का उपयोग

x. निर्धारित सीमा की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए डब्ल्यूएमए के उपयोग की वार्षिक समीक्षा से पता चलता है कि

2008-09 से केवल कुछ राज्य ही एसडीएफ/डब्ल्यूएमए का उपयोग नियमित रूप से कर रहे हैं जबकि कुछ राज्यों ने इस सुविधा का उपयोग यदा-कदा ही किया है। ओवरड्राफ्ट (ओडी) का उपयोग करने वाले राज्यों की संख्या 2008-09 के 3 से बढ़कर 2011-12 में 6 और 2014-15 में 10 हो गई। ओडी का औसत सर्वाधिक उपयोग 2013-14 के ₹199 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹499 हो गया।

xi. हाल की अवधि के दौरान समिति ने भारत सरकार से राज्यों को किए जाने वाले अंतरण के स्वरूप का अध्ययन किया और पाया कि केंद्र से अंतरण के कारण उत्पन्न नकदी प्रवाह असंतुलन चौथी तिमाही को छोड़कर सीमित रहा।

xii. राज्य सरकारों को दिए गए आरबीआई निवल ऋण में हुई कई गुना बढ़ोतरी के बावजूद आरक्षित मुद्रा वृद्धि की तुलना में डब्ल्यूएमए का योगदान अपेक्षाकृत कम बना रहा।

xiii. वित्तीय वर्ष 2012-13 से यह पाया गया है कि राज्यों द्वारा उपयोग किया गया कुल डब्ल्यूएमए और ओडी मौद्रिक नीति निहितार्थ के लिए सहनीय सीमा की तुलना में काफी कम रहा था।

xiv. अनुभवजन्य प्रमाण से पता चलता है कि यदि राजस्व व्यय में बढ़ोतरी राजस्व प्राप्तियों की तुलना में अधिक होती है तो आने वाले समय में राजस्व घाटा कम होता है और फलस्वरूप, रिजर्व बैंक से डब्ल्यूएमए कम लेना पड़ता है। तथापि, राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि सभी राज्यों के लिए राजस्व व्यय में हुई वृद्धि के अनुसार नहीं होती है, जिससे कई राज्यों को डब्ल्यूएमए/ओडी का सहारा लेना पड़ता है।

निष्कर्ष और सिफारिश

xv. राज्यों के राजकोषीय आकार में हुई काफी बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए और राजकोषीय गतिविधियों के साथ चलने के लिए कुछ गुंजाइश प्रदान करने के लिए समिति ने महसूस किया कि इस स्थिति में डब्ल्यूएमए सीमा में संशोधन करने की जरूरत है।

xvi. समिति ने डब्ल्यूएमए में संशोधन करने के लिए फार्मूला तैयार में अनेक परिदृश्यों/आधार यथा - जीएफडी, जीएसडीपी, कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां, कुल व्यय से राजस्व घाटे को घटाकर इत्यादि पर विचार किया। अंततः डब्ल्यूएमए सीमा (2011-12 से 2013-14) का निर्धारण करने के आधार के रूप में नवीनतम तीन वर्षों के औसत के लिए लाटरी के कुल व्यय निवल को लेने का समिति ने निर्णय लिया।

xvii. डब्ल्यूएमए सीमा में की गई लगभग 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी को 2005-06 से 2013-14 तक की अवधि के बीच व्यय में हुई समान वृद्धि को ध्यान में रखकर उपयुक्त माना गया और पर्वतीय राज्यों एवं उत्तर पूर्वी राज्यों (एचएस ऐंड एनईएस) और अन्य राज्यों में 12.81:87.19 को उपयुक्त माना गया। तनदुसार, गुणक अनुपात एचएस ऐंड एनईएस तथा अन्य राज्यों का क्रमशः 2.78 प्रतिशत और 2.03 प्रतिशत रहा है।

xviii. सभी राज्यों के लिए संशोधित डब्ल्यूएमए की मात्रा ₹32,225 करोड़ तय की गई। राज्य वार डब्ल्यूएमए सीमा में बढ़ोतरी 70.6 प्रतिशत से 132 प्रतिशत के दायरे में है।

सीएसएफ निवेश और एसडीएफ पात्रता

xix. बाद में, सीएसएफ आहरण और एसडीएफ पात्रता पर इसके प्रभाव के बारे में उनके विचार-विमर्श और सिफारिश के लिए समिति को भेजा गया। समिति ने सिफारिश की थी कि सीएसएफ/जीआरएफ में वृद्धिशील निवेश की वर्तमान प्रणाली एसडीएफ की पात्रता निर्धारित करने के लिए बनी रहेगी। पर्याप्त मात्रा में सीएसएफ और जीआरएफ में निवेश करने के प्रोत्साहन के रूप में सभी वृद्धिशील निवेशों (वर्तमान में डब्ल्यूएमए सीमा तक प्रतिबंधित) को सरकारी प्रतिभूतियों और नीलामी खाजना बिलों (एटीबी) में निवेश के लिए उपलब्ध पात्रता के समान किसी प्रकार की सीमा के बिना एसडीएफ का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाए।

xx. यदि राज्य भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों और एटीबी की संपार्श्विक के प्रति एसडीएफ का उपयोग करते हैं तो उन्हें अगले 90 दिनों के लिए इन किसी भी प्रतिभूतियों में निवेश की अनुमति नहीं होगी।

xxi. वित्तीय वर्ष के दौरान 91 दिवसीय टीबी में द्वितीय एवं उसके बाद निवेश और इस प्रकार संपार्श्विक के प्रति एसडीएफ का उपयोग करने के मामले में इस प्रकार के उपयोग को पहली बार के बाद डब्ल्यूएमए के रूप में माना जाएगा।

भावी दिशानिर्देश

xxii. अंतरण (डेवलूशन) से संबंधित 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें और 11 राज्यों को दिए गए अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान से संरचनागत राजस्व घाटा समाप्त होने की उम्मीद है। समिति ने महसूस किया कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को वित्तीय वर्ष

2015-16 से लागू किया जा रहा है। राज्यों को नए वर्टिकल और होरिजेंटल अंतरण के अनुसार अपने वित्त को समायोजित करने में कुछ समय लगेगा। इसे कार्यान्वित करने की समिति द्वारा प्रस्तावित सीमा मौजूदा वित्तीय वर्ष है। ये सीमाएं दो वर्षों के लिए लागू रहेंगी। तथापि, समितिने सिफारिश की है कि वर्ष 2017-18 में आरबीआई द्वारा इसकी समीक्षा की जाए, जब वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अंतिम व्यय संबंधी आंकड़े उपलब्ध हो।

xxiii. वर्ष 2017-18 से डब्ल्यूएमए सीमा लाटरी की कुल व्यय निवल, राजस्व घाटा और पॉवर बांड व्यय, यदि हो, के आधार पर संशोधित की जाएंगी।

xxiv. समिति आधारित डब्ल्यूएमए का अगला संशोधन 2020-21 में उस समय राज्यों की राजकोषीय स्थितियों और 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में विचार-विमर्श करने के लिए रोडमैप को ध्यान में रख कर लागू किया जाए।

I. प्रस्तावना

भारतीय रिजर्व बैंक 29 राज्य सरकारों और संघशासित क्षेत्र पुदुचेरि के ऋण-प्रबंधक के रूप में है और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 21ए के अंतर्गत आरबीआई के साथ हुए करार के अनुसार सिक्किम सरकार को छोड़कर अन्य सभी राज्यों का बैंकर भी है। इस धारा के अंतर्गत रिजर्व बैंक भारत में सभी मुद्रा, विप्रेषण, विनिमय और बैंकिंग लेनदेन करेगा, जिसमें विशेष रूप से, जमा, ब्याज शुल्क, बैंक के पास इनकी सभी प्रकार की नकदी; और राज्यों के लोक ऋण का प्रबंधन और नए ऋण जारी करना शामिल हैं। इस प्रयास के लिए, रिजर्व बैंक उनकी प्राप्तियों और भुगतानों के नकदी प्रवाह में हुए असंतुलन से निजात पाने के लिए राज्य सरकारों को अग्रिम प्रदान करता है। इस प्रकार के अग्रिमों को अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएम) कहा जाता है, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (5) के अनुसार अग्रिम दिए जाने की तारीख से तीन महीने के भीतर अदा किया जाना होता है। इस प्रावधान के तहत रिजर्व बैंक 1937 से राज्य सरकारों को इस प्रकार का अग्रिम प्रदान कर रहा है। रिजर्व बैंक द्वारा डब्ल्यूएम की अधिकतम राशि और उस पर प्रभारित ब्याज का विनियमन राज्य सरकारों के साथ हुए करार और अनेक गठित समितियों/समूहों पर आधारित होता है, जिस पर विस्तृत चर्चा अध्याय II की गई है।

1.2 डब्ल्यूएम योजना को राज्य सरकारों के लिए अर्थोपाय अग्रिम संबंधी परामर्शदात्री समिति (अध्यक्ष : बेजबरुआ) की सिफारिशों के आधार पर अप्रैल 2006 में संशोधित किया गया था। कई राज्य सरकारों द्वारा किए गए अनुरोध और 2013 में आयोजित राज्य वित्त सचिवों (एसएफएस) सम्मेलन की गई चर्चा के जबाव में 11 नवंबर 2013 से सभी राज्यों की मौजूदा सीमा में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई। डब्ल्यूएम योजना की समीक्षा करने संबंधी कार्यसूची मद पर आधारित 2014 में आयोजित एसएफएस सम्मेलन की गई चर्चा के अनुसार एक परामर्शदात्री समिति का गठन नवंबर 2014 में किया गया था, जिसमें समिति में दो बाहरी राजकोषीय विशेषज्ञ, जिसमें एक अध्यक्ष, संयुक्त सचिव, पीएफ-1, भारत सरकार और आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक से सदस्य सचिव के अतिरिक्त भारतीय राज्यों के अंचल का प्रतिनिधित्व

¹ सिक्किम सरकार ने अपने सरकारी कर्ज का प्रबंधन करने के सीमित उद्देश्य के लिए ही आरबीआई के साथ करार किया है।

करनेवाले छह एसएफएस को सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। तदनुसार, परामर्शदात्री समिति के निम्नलिखित सदस्य थे:

- i. श्री सुमित बोस - अध्यक्ष (सदस्य, व्यय प्रबंध आयोग, भारत सरकार और पूर्व वित्त सचिव, भारत सरकार)।
- ii. डॉ. रतिन रॉय, निदेशक, राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) - सदस्य।
- iii. श्री सुधीर श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार - सदस्य।
- iv. श्री के. शंमुगम, प्रधान वित्त सचिव, तमिलनाडु सरकार - सदस्य।
- v. श्रीमती विनी महाजन, प्रधान वित्त सचिव, पंजाब सरकार - सदस्य।
- vi. श्री तेमजेन टॉय, प्रधान सचिव और वित्त आयुक्त, नागालैंड सरकार - सदस्य।
- vii. श्री बी.बी. व्यास, प्रधान वित्त सचिव, जम्मू-कश्मीर सरकार - सदस्य।
- viii. श्री एल.एन. तोच्छवांग, वित्त आयुक्त और सचिव, मिजोरम सरकार - सदस्य।
- ix. श्री राजीव कुमार, अपर सचिव (पीएफ-आई), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार - सदस्य।
- x. श्रीमती आर. कौशल्या, निदेशक, आईडीएमडी, भारतीय रिजर्व बैंक, समन्वयक और सदस्य सचिव

समिति के समक्ष विचारार्थ विषय

1.3 समिति के विचारार्थ विषयों में विस्तृत रूप से निम्नलिखित शामिल गया है:

- i. राज्यों की डब्ल्यूएम योजना की समीक्षा करना, विशेष रूप से सीमा का निर्धारण करने के लिए फार्मूला का निर्धारण और 14वें वित्त आयोग की

² कार्यालयीन अनिवार्यताएं एवं स्थानांतरण के चलते कुछ सदस्यों को बदला गया था।

- सिफारिशों के आधार पर संशोधन की सिफारिश, यदि आवश्यक हो।
- ii. राज्य सरकारों के लिए मौजूदा विनियमनों की समीक्षा करना;
 - iii. राज्य सरकारों की विशेष आहरण सुविधा योजना की समीक्षा; और
 - iv. विषय से संबंधित अन्य कोई उपयुक्त मद। एसएफएस सम्मेलन 2015 में हुई चर्चा के परिणामस्वरूप, सीएसएफ आहरण और एसडीएफ पात्रता पर इसका प्रभाव बाद में विचार-विमर्श और सिफारिश के लिए समिति को भेजा गया था।

समिति का दृष्टिकोण

1.4 पहली बार समिति के स्वरूप में बदलाव करके पीएफ-1, भारत सरकार के प्रतिनिधि के अतिरिक्त, चुनिंदा छह राज्य सरकारों के वित्त सचिवों को शामिल किया गया था। समिति को सचिवीय और अनुसंधानपरक सहयोग आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान किया गया। समिति ने परामर्शदात्री दृष्टिकोण अपनाया और तदनुसार, समिति द्वारा सदस्यों और गैर सदस्य राज्य प्रतिनिधियों और राजकोषीय विशेषज्ञों के साथ किए गए विचार-विमर्श के आधार पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया गया। समिति की तीन बैठकें आयोजित की गईं। पहली बैठक मुंबई (अनुबंध 9) में आयोजित की गई जिसमें निम्नलिखित की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया था: (i) कुछ राज्यों द्वारा डब्ल्यूएमए/ओडी का अकस्मात और नियमित उपयोग करने के पीछे कारण; (ii) हाल की अवधि के लिए राजस्व घाटा (आरडी), नकदी अधिशेष और डब्ल्यूएमए के उपयोग के बीच संबंध पर व्यावहारिक अध्ययन; (iii) 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट का विश्लेषण और राज्य वित्त पर इसका प्रभाव; और (iv) डब्ल्यूएमए की सीमा में हुई बढ़ोतरी और मुद्रा आपूर्ति पर इसके समग्र प्रभाव और अन्य मौद्रिक नीति संबंधित निहितार्थ का विश्लेषण।

1.5 दूसरी बैठक कोलकाता में आयोजित की गई थी, जिसमें संबंधित क्षेत्रों के पांच राज्य सरकारों के वित्त सचिवों को उनके विचार जानने के लिए आमंत्रित किया गया था। बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए थे: (i) राज्य सरकारों के लेनदेनों में ई-प्राप्तियों और ई-भुगतान के कार्यान्वयन की स्थिति और नकदी प्रबंधन पर इसके प्रभाव को सुनिश्चित करना; (ii) वास्तविक संग्रह की तुलना

में केंद्र सरकार के बजट में किए गए कर पूर्वांशमान पर अध्ययन और हाल की अवधि के लिए राज्य सरकारों को अंतरण; (iii) मुद्रास्फीति और राजकोषीय लक्ष्यों के लिए समायोजित बेजबरूआ समिति के अनुसार डब्ल्यूएमए लक्ष्य की वहनीय सीमा का अनुमान; (iv) ब्राजील, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी जैसे कई देशों के उप-राष्ट्रीय नकदी प्रबंधन पर हुई देश-वार व्यावहारिक अध्ययन; और (v) नदकी प्रवाह के असंतुलन को कम करने और रिजर्व बैंक से डब्ल्यूएमए/ओडी का अधिक उपयोग करने के लिए भी एसडीएल की नीलामी की संख्या बढ़ाने की व्यवहार्यता का अध्ययन।

1.6 इसके अतिरिक्त, श्री सुमित बोस, समिति के अध्यक्ष को राज्य पदाधिकारियों को संबोधित करने के लिए 25 मई 2015 का आयोजित एसएफएस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। विचार-विमर्श के आधार पर अध्यक्ष ने सभी राज्य सरकारों से समिति के लाभ के लिए उनके विचार आमंत्रित किए थे। राज्य सरकारों से प्राप्त विचारों का चर्चा की गई और रिपोर्ट के अनुबंध 8 में प्रस्तुत किए गए। इसके अतिरिक्त, एसएफएस सम्मेलन में राज्यों द्वारा सीएसएफ से आहरण संबंधी कार्यसूची मद पर चर्चा की गई। चूंकि सीएसएफ में वृद्धिशील निवेश आरबीआई से एसडीएफ उपयोग करने में संपार्श्विक के रूप में पात्र है, अतः कई राज्य सरकारों ने सुझाव दिया था कि एसडीएफ उपयोग करने के लिए उनकी पात्रता सीएसएफ से इस प्रकार के आहरण के बाद कम नहीं होनी चाहिए। एसएफएस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि यह मुद्दा विचारार्थ विषय (टीओआर) के भाग (iv) के रूप में समुचित सिफारिशों पर पहुंचने हेतु आगे विचार-विमर्श करने के लिए परामर्शदात्री समिति को भेजा जाए।

1.7 डॉ. रतिन रॉय के साथ अध्यक्ष ने 31 अगस्त 2015 को आईडीएमडी के चुनिंदा पदाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया था। 20 नवंबर 2015 को नई दिल्ली में सावधानी बरतने के बाद सिफारिशों को अंतिम रूप दिया गया और सदस्यों द्वारा प्रेषण-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। समिति की बैठक में उठाए गए विषयों और चर्चा किए गए अन्य विषयों पर की गई अनुवर्तन कार्रवाई को रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

रिपोर्ट का स्वरूप

1.8 इस परिप्रेक्ष्य में, शेष रिपोर्ट को चार अध्यायों में संकलित किया गया है। यद्यपि, राज्य सरकारों के लिए डब्ल्यूएमए योजना का उद्भाव पूर्व समितियों की रिपोर्ट में दिया गया था, फिर भी, उसका सारांश सुलभ संदर्भ के लिए अध्याय II में दिया गया है और न्यूनतम

शेष की विस्तृत ऐतिहासिक समीक्षा और डब्ल्यूएमए योजना की पृष्ठभूमि के बारे में अनुबंध 2 में विस्तार से चर्चा की गई है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों और राज्यों की हाल की राजकोषीय स्थिति के साथ राज्य वित्त से संबंधित इसके प्रभाव के बारे में अध्याय III में चर्चा की गई है। अध्याय IV में राज्यों की चलनिधि स्थिति का मूल्यांकन किया गया है और राज्यों द्वारा डब्ल्यूएमए/ओडी का उपयोग पर विस्तृत विश्लेषण किया गया है। इसके अतिरिक्त, डब्ल्यूएमए सीमा में बढ़ोतरी और मौद्रिक नीति के संदर्भ में मुद्रा आपूर्ति पर इसके समग्र प्रभाव के बारे में इस अध्याय में चर्चा की गई है। समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिशों को अध्याय V में दिया गया है। पूर्व समितियों द्वारा सिफारिश किए गए समेकित उपायों के अद्यतन को अनुबंध I में सूचीबद्ध किया गया है। डब्ल्यूएमए और ओडी से संबंधित ब्याज दरों की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को अनुबंध 3 में

कोडीकृत किया गया है। अनुबंध 4 में डब्ल्यूएमए के उपयोग संबंधी विवरण दिया गया है और राज्य सरकारों द्वारा मध्यावर्ती खजाना बिल (आईटीबी) तथा नीलामी खजाना बिलों में किया गया निवेश संबंधी विवरण भी दिया गया है। राजस्व व्यय, लॉटरी व्यय और राज्यों के डब्ल्यूएमए गणना के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल किया गया पूंजीगत व्यय को अनुबंध 5 में दिया गया है। अनुबंध 6 में रिजर्व बैंक की परिचालनगत प्रक्रियाओं और चलनिधि प्रबंध ढांचे का उल्लेख किया गया है। अनुबंध 7 में इस रिपोर्ट के लिए डब्ल्यूएमए फार्मूला के लिए उपयोग में लाए गए अनेक कंबिनेसंस को सूचीबद्ध किया गया है। अनुबंध 8 में डब्ल्यूएमए/ओडी पर राज्य सरकारों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को सारांश रूप में दिया गया है। अनुबंध 9 में उन पदाधिकारियों की सूची दी गई है जिन्होंने परामर्शदात्री समिति की बैठक में भाग लिया था।

II. अर्थोपाय अग्रिम योजना का मूल्यांकन

2.1 भारतीय रिजर्व बैंक अपने साथ बैंकिंग संबंध रखने वाले राज्यों को समझौते के जरिए वित्तीय सहूलियत प्रदान करता है ताकि वे अर्थोपाय के रूप में अपनी प्राप्तियों और भुगतानों के बीच नकद प्रवाहों के बीच आए अस्थायी असंतुलन में सामंजस्य बना सकें। इनका उद्देश्य राज्यों को लचीलापन प्रदान करना होता है ताकि वे अपनी आवश्यक गतिविधियों और सामान्य वित्तीय परिचालनों को पूरा कर सकें। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्यों को प्रदान किए गए अर्थोपाय अग्रिम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(5) द्वारा शासित होते हैं। अर्थोपाय अग्रिम दो प्रकार के होते हैं:- नामतः (1) सामान्य अर्थोपाय अग्रिम या स्पष्ट अग्रिम, जिन्हें 1937 में लागू किया गया था; और (2) 1953 में संस्थापित विशेष अर्थोपाय अग्रिम, जो कि सुरक्षित अग्रिम होते हैं और उन्हें भारत सरकार की प्रतिभूतियों के संपाश्रुतिक के प्रति जारी किया जाता है। मई, 2013 में सम्पन्न एसएफएस सम्मेलन में राज्य सरकारों द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार, राज्य सरकारों के साथ किए गए संबंधित समझौतों को संशोधित करते हुए 23 जून 2014 से विशेष अर्थोपाय अग्रिम का नामकरण परिवर्तित करते हुए उसे एसडीएफ कर दिया था। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को एसडीएफ और अर्थोपाय सीमाओं के रूप में दी गई भारतीय रिजर्व बैंक की क्रेडिट सीमा का उल्लंघन होने की स्थिति में एक ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधा भी प्रदान की गई है। तथापि, रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रकार दिए जाने वाले अग्रिमों की अधिकतम राशि और इस पर प्रभारित ब्याज दर का स्पष्ट रूप से कोई उल्लेख भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में नहीं किया गया है परंतु उन्हें राज्य सरकारों द्वारा स्वेच्छा से किए गए समझौतों के जरिए विनियमित किया जाता है, जो विभिन्न समितियों द्वारा की गई सिफारिशों पर भी आधारित है।

2.2 राज्य सरकारों का बैंकर होने के नाते, किसी प्रकार की सामान्य बैंकिंग गतिविधियों को संपादित करने के लिए रिजर्व बैंक को किसी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं मिलता है, केवल लाभों को छोड़कर जो कि राज्य की नकद राशियों को रखने के कारण उपचित होता है और उस पर कोई ब्याज देय नहीं होता है। अर्थोपाय अग्रिम की सीमा वर्ष 1937 में मौजूद न्यूनतम शेष के समतुल्य निर्धारित की गई थी, उस समय पहली बार इस प्रकार की सीमाएं निर्धारित की गई थीं। 1999 में अनौपचारिक सलाहकार समिति (आईएसी) द्वारा की गई सिफारिशों के परिणामस्वरूप अर्थोपाय अग्रिम की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए अपनाए गए सिद्धांतों में प्रमुख रूप से परिवर्तन किया गया था।

अर्थोपाय अग्रिम/ओवर ड्राफ्ट योजना: आवधिक संशोधन

2.3 राज्यों की आवश्यकताओं, बढ़ती हुई वित्तीय और संस्थागत गतिविधियों के साथ ही साथ मौद्रिक एवं राजकोषीय प्रबंधन³ के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अर्थोपाय योजना की आवधिक रूप से समीक्षा की गई। अगस्त 1996 तक अर्थोपाय अग्रिम योजना में दस संशोधन किए गए थे। 1953 में, अर्थोपाय अग्रिम की सीमा संशोधित कर इसे न्यूनतम शेष का दोगुना कर दिया गया था। 1967 में अर्थोपाय अग्रिम की सीमाओं को बढ़ाकर इसे न्यूनतम खाता शेष का 12 गुना कर दिया गया था और इसके बाद 1996 में इसे पुनः बढ़ा कर 168 गुना कर दिया गया। अक्टूबर 1986 से मार्च 1988 की अवधि के दौरान अर्थोपाय अग्रिम की दो अंतर-वर्षीय सीमाएं निर्धारित की गई थीं- वर्ष की प्रथम छमाही के दौरान न्यूनतम शेष का 52 गुना और दूसरी छमाही के दौरान 48 गुना। 1999 से रिजर्व बैंक द्वारा आवधिक रूप से गठित सलाहकार समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर सीमाओं को निर्धारित किया जाता रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित सलाहकार समिति

2.4 अनौपचारिक रूप से गठित राज्य वित्त सचिवों के समूह (जीएसएफएस) के अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूर्व में तीन सलाहकार समितियां गठित की गईं। प्रत्येक सलाहकार समिति का अध्यक्ष एक विशेषज्ञ रहा जिसको राज्य वित्त संबंधी अनुभव था (सारणी-1)। अध्यक्ष के साथ ही प्रत्येक समिति में एक राजकोषीय विशेषज्ञ भी सदस्य के रूप में नामित था। इन समितियों, द्वारा दी गई अर्थोपाय अग्रिम की पद्धतियों के संबंध में समेकित सिफारिशों को अनुबंध में संक्षिप्त रूप में सूचीबद्ध किया गया है और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अनुबंध-2 में दिया गया है।

विट्ठल समिति (1998)

2.5 राज्यों की सामान्य अर्थोपाय अग्रिम और विशेष अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं को निर्धारित करने में एक प्रमुख परिवर्तन अनौपचारिक

सारणी 1: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित सलाहकार समितियां

क्र.सं.	वर्ष	अध्यक्ष	सदस्य	सदस्य सचिव
1	1998	बी.पी.आर. विट्ठल	अशोक लाहिरी	प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, आईडीएमडी
2	2003	सी. रामचंद्रन	सुमन बेरी	प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, आईडीएमडी
3	2005	एम.पी. बेजबरुआ	डी.के. श्रीवास्तव	प्रधान मुख्य महाप्रबंधक, आईडीएमडी

³ न्यूनतम शेष की ऐतिहासिक समीक्षा और अर्थोपाय अग्रिम की सीमाओं को अनुबंध-2 में समेकित किया गया है।

रूप से गठित सलाहकार समिति (अध्यक्ष: श्री बी.पी.आर. विट्ठल, सदस्य, 10वां वित्त आयोग) द्वारा किया गया। विट्ठल समिति ने यह उल्लेख किया कि, अपरिवर्तित न्यूनतम शेष के गुणकों के रूप में अर्थोपाय अग्रिम की सीमाओं के आधार पर राज्यों के बजटीय लेन-देनों को देखकर राज्यों की बदलती हुई आवश्यकताओं का भली प्रकार पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप बजट के आकार की तुलना में अर्थोपाय अग्रिम की सीमाओं में राज्य-वार काफी बड़ा अंतर आ गया है और यह महसूस किया गया कि इसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

2.6 इसलिए, विट्ठल समिति ने अर्थोपाय अग्रिम सीमा को न्यूनतम शेष की आबद्धता से मुक्त करने की सिफारिश की और यह भी सिफारिश की कि राज्यों की अर्थोपाय अग्रिम सीमा को उनके बजटीय टर्नओवर के गुणकों के रूप में निर्धारित किया जाए ताकि बजटीय लेन-देनों में होने वाली वृद्धि के समनुरूप राज्यों की विविध आवश्यकताओं की पहचान की जा सके। विशिष्ट और गैर-विशिष्ट श्रेणी राज्यों के लिए अलग से गुणकीय अनुपात निर्धारित किए गए। तदनुसार, गैर-विशिष्ट और विशिष्ट श्रेणी वाले राज्यों के लिए क्रमशः 2.25 प्रतिशत एवं 2.75 प्रतिशत अनुपात को लागू करते हुए अर्थोपाय अग्रिम सीमाएं निर्धारित की गईं। इस प्रतिशत का आधार पिछले तीन वर्षों, 1994-95, 1995-96 और 1996-97 के लिए औसत राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत व्यय (खाता) का जोड़ था, जिसे राज्य के बजटों में प्रकाशित किया गया था।

राज्य वित्त सचिवों का अनौपचारिक समूह (2000)

2.7 विट्ठल समिति ने अर्थोपाय अग्रिम की सीमाओं में उल्लेखनीय वृद्धि कर दी थी परंतु उसने यह उल्लेख किया था कि इन सीमाओं को 11 वे वित्त आयोग की सिफारिशों की मान्य अवधि तक अपरिवर्तित रखा जाए। तथापि, राज्य सरकारों से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नवंबर 2000 में राज्य सरकार के वित्त सचिवों के एक समूह (जीएसएफएस) का गठन किया गया। उस समूह द्वारा तत्कालीन योजना में कुछ सुधार किए गए और अर्थोपाय अग्रिम की सीमाओं में कुछ बढ़ोतरी की गई। जीएसएफएस की सिफारिशों को अपनाने के दो वर्षों के बाद रिजर्व बैंक ने यह निर्णय किया कि राज्यों की वित्तीय स्थिति में उभरती हुई राजकोषीय परिस्थितियों को देखते हुए अर्थोपाय अग्रिम के संपूर्ण सिद्धांत की समीक्षा की जाए। तदनुसार, श्री सी. रामचंद्रन, पूर्व सचिव (व्यय), भारत सरकार की अध्यक्षता में अर्थोपाय अग्रिम योजना की समीक्षा के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया।

रामचंद्रन समिति (2003)

2.8 रामचंद्रन समिति ने यह पहचान की कि, राज्यों के दृष्टिकोण से सीमा पर्याप्त होनी चाहिए ताकि वे संभावित असंतुलों का निर्वाह संगत और महत्वपूर्ण तरीके से कर सकें। अतः, आधार से पूंजीगत व्यय को हटाया गया और उसके स्थान पर अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं को निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त अनुपातों के स्थान पर राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में उच्चतर अनुपातों को अपनाया गया। अतः, समिति ने अद्यतन तीन वर्षों की राजस्व प्राप्तियों-दो वर्षों के वास्तविक और एक वर्ष के संशोधित अनुमान, जो नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित हों-के औसत के आधार पर गैर-विशिष्ट और विशिष्ट श्रेणी के राज्यों के लिए क्रमशः 3.19 प्रतिशत तथा 3.84 प्रतिशत के गुणकीय अनुपातों की सिफारिश की।

2.9 1990 में, अर्थोपाय अग्रिम, नकदी प्रवाह के अस्थायी असंतुलों को पूरा करने के अलावा, राज्यों के ढांचागत असंतुलों का वित्त पोषण करने के प्रमुख स्रोतों में से एक के रूप में उभर कर सामने आया। रामचंद्रन समिति ने यह देखा कि अर्थोपाय अग्रिम की सीमाओं में की जाने वाली समीक्षा को वित्त आयोग द्वारा राज्यों को दिए जानेवाले स्रोतों के अंतरण के साथ संयुक्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, अर्थोपाय अग्रिम की पद्धति सामान्य रूप से वित्त आयोग की सिफारिशों की अवधि के दौरान ही सामान्य तौर पर वैध रहती है और इस प्रकार, उसने 12वें वित्त आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद अर्थोपाय अग्रिम पद्धति की समीक्षा करने की सिफारिश की।

बेजबरुआ समिति (2005)

2.10 पद्धति आधारित अर्थोपाय अग्रिम में अंतिम संशोधन बेजबरुआ समिति के आधार पर किया गया। बेजबरुआ समिति ने यह विचार किया कि रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाने वाली अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं के निर्माण की दिशा में मध्यावधि रूप में विचार किए जाने की आवश्यकता है, जिसमें इन्हें शामिल किया जाए: (i) राज्य सरकारों के नकदी प्रवाह में अस्थायी तौर पर होने वाले असंतुलन को पूरा करने के लिए अर्थोपाय अग्रिम की मौजूदा सीमाओं की पर्याप्तता, (ii) 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में विशेष रूप से मध्यावधि में, उत्पन्न होने वाले अस्थायी नकदी असंतुलों का संभावित आकार; और (iii) मौद्रिक प्रबंधन के उद्देश्यों की निरंतरता बनाए रखना। समिति ने यह सिफारिश की कि अद्यतन तीन वर्षों के कुल व्यय (वास्तविक) के औसत को आधार बनाया जाए जिसमें पुनः भुगतान और एक बारगी किए गए तदर्थ व्यय समायोजन तथा लॉटरी पर किए गए व्यय शामिल नहीं होंगे। राजस्व घाटे वाले राज्यों के मामले में, आधार में राजस्व घाटे को शामिल नहीं किया जाएगा।

सादृश्यता निकालने के बाद गैर-विशिष्ट और विशिष्ट श्रेणी के राज्यों के लिए क्रमशः 3.1 प्रतिशत तथा 4.1 प्रतिशत का गुणकीय अनुपात तय किया गया। तदनुसार, अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं में 1 अप्रैल 2006 से संशोधन किया गया।

2.11 समिति ने यह उल्लेख किया कि अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं की प्रति वर्ष समीक्षा की जा सकती है। समिति ने यह आशा व्यक्त की कि वक्त गुजरने के साथ राजस्व घाटे में कमी होने के साथ ही, वर्ष 2006-07 के लिए गणना की गई सीमाएं ही काफी पर्याप्त साबित हो सकती हैं, ऐसी परिस्थिति में सीमाओं की वार्षिक आधार पर समीक्षा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। समिति ने यह भी सिफारिश की कि अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं/ ओवर ड्राफ्ट योजना की अगली समीक्षा 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों प्राप्त होने के बाद की जाए।

2.12 रिजर्व बैंक 2006-07 में हुए संशोधन के बाद से राज्यों द्वारा ली जा रही अर्थोपाय अग्रिमों की वार्षिक आधार पर समीक्षा करता रहा है। यह देखा गया है कि 2009-10 से लगभग 11 राज्य नियमित रूप से अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं/ ओवर ड्राफ्ट की सुविधा उठा रहे हैं, जबकि कुछ राज्यों ने केवल कुछ मौकों पर ही अर्थोपाय अग्रिमों की सुविधा ली है। कुछ राज्यों ने 2006-07 से उनके द्वारा किए जाने वाले व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि होने के बावजूद अर्थोपाय अग्रिमों का उपयोग नहीं किया है। अर्थोपाय अग्रिमों के उपयोग की वार्षिक आधार पर की गई समीक्षा से स्पष्ट होता है कि केवल कुछ ही ऐसे राज्य हैं जो नियमित रूप से इस सुविधा का उपयोग कर रहे हैं और यह भी कि अर्थोपाय अग्रिमों का सकल उपयोग भी अत्यधिक नहीं रहा है।

2.13 चूंकि कुछ राज्यों से अर्थोपाय अग्रिमों की सीमाओं में संशोधन करने के लगातार अनुरोध प्राप्त हो रहे थे और मई 2013 में सम्पन्न एसएफएस सम्मेलन में भी कुछ अनुरोध किए गए थे, इसे देखते हुए अधिकतर राज्यों के नकदी प्रवाह का विश्लेषण किया गया। यह निर्णय लिया गया कि राज्य सरकारों के लिए अर्थोपाय अग्रिमों की सीमाओं में 11 नवंबर 2013 से 50 प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए और इसे तत्कालीन सीमा रु. 10,240 करोड़ से बढ़ा कर रु. 15,360 करोड़ कर दिया जाए। इसके पश्चात्, इस सलाहकार समिति का गठन किया गया ताकि अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं/ ओवर ड्राफ्ट योजना की समीक्षा की जा सके। राज्य-वार मौजूदा अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं का उल्लेख सारणी-2 में किया गया है। एक बैंक के रूप में, भारतीय रिजर्व बैंक को राज्यों को तार्किक रूप से पर्याप्त अस्थायी अग्रिम राशि प्रदान करनी होती है ताकि राज्य अपने चलनिधि असंतुलनों का सामना कर सकें। तथापि, मौद्रिक नीति प्रचालनों और

सारणी 2: राज्य सरकारों के लिए अर्थोपाय अग्रिमों की सीमा
(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बेजबरूआ फार्मुला के आधार पर सीमा	11 नवंबर 2013 से सीमा
1	आंध्र प्रदेश ⁴	880	770
2	अरुणाचल प्रदेश	65	98
3	असम	300	450
4	बिहार	425	638
5	छत्तीसगढ़	190	285
6	गोवा	65	98
7	गुजरात	630	945
8	हरियाणा	295	443
9	हिमाचल प्रदेश	190	285
10	जम्मू और कश्मीर	315	473
11	झारखंड	280	420
12	कर्नाटक	625	938
13	केरल	350	525
14	मध्य प्रदेश	460	690
15	महाराष्ट्र	1160	1740
16	मणिपुर	60	90
17	मेघालय	60	90
18	मिजोरम	55	83
19	नागालैंड	80	120
20	ओडिशा	300	450
21	पंजाब	360	540
22	राजस्थान	505	758
23	तमिलनाडु	730	1095
24	तेलंगाना *	-	550
25	त्रिपुरा	100	150
26	उत्तर प्रदेश	1020	1530
27	उत्तराखंड	145	218
28	पश्चिम बंगाल	545	818
29	पुडुचेरी	50	75
	कुल	10,240	15,360

* 2 जून 2014 से आंध्र प्रदेश से अलग होकर पुनः गठित हुआ

राजकोषीय अनुशासन को प्रभावित किए बगैर भारतीय रिजर्व बैंक कितना अग्रिम प्रदान करे यह ऐसे मुद्दे हैं जिनका समाधान निकालने की आवश्यकता है। पर्याप्त अस्थायी वित्तपोषण प्रदान करना और ऐसी व्यवस्था कायम रखना जहां राजकोषीय अनुशासन बना रहे, ऐसी विरोधाभासी आवश्यकताओं का समन्वय करने के साथ ही साथ अस्थायी चलनिधि समस्या एवं ढांचागत घाटे की समस्या के बीच अंतर करना, प्रमुख चुनौतियां हैं, भारतीय रिजर्व बैंक को जिनका समाना अर्थोपाय अग्रिमों के मामले में करना पड़ता है। इनके संबंध में विचार-विमर्श अध्याय-V में किया गया है।

⁴ आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 द्वारा निर्धारित अनुपात में अर्थोपाय अग्रिम की सीमाओं को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच बांटा गया।

विशेष निकासी सुविधा (एसडीएफ)

2.14 अर्थोपाय अग्रिम के अलावा, एसडीएफ⁵ भी प्रचलन में है, जो एक सुरक्षित अग्रिम है और यह राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार की प्रतिभूतियों में किए गए निवेश के साथ संपृक्त है। 1 अप्रैल 1953 को योजना को लागू करते समय प्रत्येक राज्य के लिए रु. 2 करोड़ की एक समान सीमा आबंटित की गई थी। 1967 में विशेष अर्थोपाय अग्रिम की स्वीकृत सीमा को न्यूनतम शेष (के छह गुना) से संपृक्त किया गया था जिसे 1996 में संशोधित करते हुए बढ़ाकर न्यूनतम शेष का 64 गुना कर दिया गया था। मार्च 1999 से राज्य सरकारों की विशेष अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं को अनन्य रूप से मार्जिन को समायोजित करते हुए भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों और तिजोरी बिलों में उनके द्वारा किए गए निवेश के साथ जोड़ दिया गया था। रिजर्व बैंक, राज्य सरकारों की ओर से दो अन्य निधियों- सीएसफ और जीआरएफ को भी संभालता है और इन निधियों में भी क्रमिक रूप से किया जाने वाला निवेश भी एसडीएफ के लिए बेजबरुआ समिति द्वारा सिफारिश की गई अर्थोपाय अग्रिम की सीमा के तहत पात्र होता है। एसडीएफ की परिचालन सीमा का निर्धारण करने के लिए प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य पर पाँच प्रतिशत का एक समान हेयरकट मार्जिन लागू किया जाता है। तदनुसार, राज्य सरकारों की एसडीएफ सीमा बकाया प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के अनुरूप परिवर्तित होती रहती है। मार्च 2015 के अंत की स्थिति के अनुसार, राज्य सरकारों की एसडीएफ पात्रता रु. 42,755 करोड़ बैठती है।

ओवरड्राफ्ट सुविधा (ओडी)

2.15 जब राज्य सरकारों को दिए गए अग्रिम उनकी एसडीएफ और अर्थोपाय अग्रिम सीमाओं से अधिक हो जाते हैं, तब उन्हें ओडी की सुविधा प्रदान की जाती है। प्रारंभ में दिनों की संख्या पर सीमा लगाई गई थी जो कि लगातार आने वाले 7 कार्य दिवस थी। बाद में, कुछ राज्य सरकारों से इस संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, रिजर्व बैंक ने इस योजना में कुछ लचीलापन प्रदान किया जिसके तहत कोई राज्य सरकार 1 नवंबर 1993 से 7 से 10 लगातार कार्य दिवसों हेतु ओडी की सुविधा प्राप्त कर सकती है। आईएसी की सिफारिशों के अनुरूप, रिजर्व बैंक ने 1998 से ओडी की राशि पर एक सीमा निर्धारित कर दी। यह अर्थोपाय अग्रिम की सीमा का

100 प्रतिशत होगी और साथ यह भी प्रावधान किया गया कि 100 प्रतिशत से अधिक के किसी भी प्रकार के ओडी को तीन कार्य दिवसों के भीतर वापस करना होगा। इसके बाद 2001 में, जीएसएफएस की सिफारिशों के आधार पर 10 लगातार कार्य दिवसों की सीमा को बढ़ा कर 12 लगातार कार्य दिवस कर दिया गया और ओडी के स्तर को अर्थोपाय अग्रिम की सीमाओं के 100 प्रतिशत के स्तर पर लाने की सीमा में छूट प्रदान करते हुए इसे लगातार पांच कार्य दिवस कर दिया गया। समिति ने यह पाया कि अर्थोपाय अग्रिम में वृद्धि करने के बावजूद ओडी का सहारा लेने की घटनाओं में कमी नहीं आई। ऐसा प्रतीत होता है कि यदि कोई राज्य वर्ष में 200 से अधिक दिनों तक ओडी लिए रहता है तो अर्थोपाय अग्रिम एक स्रोत बन जाता है और ओडी, अर्थोपाय अग्रिम का रूप धारण कर लेता है। इसके परिणामस्वरूप ओडी को अर्थोपाय अग्रिम के दो चरणों के बीच स्रोत की कमी को पूरा करने के उपयोग में लाया जाता है, अतः बाधा अब वित्तीय सीमा नहीं है बल्कि समय सीमा हो गई है।

2.16 रामचंद्रन समिति ने यह पाया कि ओडी का ज्यादा सहारा लेना राजकोषीय असंतुलन का स्पष्ट द्योतक है और इसे समय रहते विनियमित नहीं किया गया तो इससे ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएगी जहां उपचार करना महंगा और कठिन हो जाएगा। तथापि, रामचंद्रन समिति द्वारा किसी राज्य के लिए ओडी की सुविधा लेने के संबंध में कुल दिनों की संख्या को बढ़ाकर लगातार 14 कार्य दिवस कर दिया गया है। अर्थोपाय अग्रिम की सीमा के 100 प्रतिशत तक ओडी को सीमित करने के मौजूदा मानदंड को जारी रखा गया है अर्थात् किसी वित्तीय वर्ष में पहली बार ओडी इस सीमा से आगे लगातार पाँच दिनों तक बढ़ती है तो राज्य को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ओडी को सीमा के भीतर रखने की सलाह दी जाएगी और यदि इस प्रकार की अनियमितता उस वित्तीय वर्ष में दोबारा या बार-बार दोहराई जाती है तो भारतीय रिजर्व बैंक 14 दिनों तक ओडी की अनुमति प्रदान करने का प्रावधान होने के बावजूद भुगतानों को रोक देगा। 14 दिनों और 5 दिनों के नियम होने के बावजूद, किसी एक तिमाही में उपयोग की गई ओडी की अवधि 36 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। बेजबरुआ समिति ने ओडी के लिए मौजूद तत्कालीन समय सीमाओं को संशोधित न करने का निर्णय लिया था।

⁵ विशेष अर्थोपाय अग्रिम का नाम बदल दिया गया।

एसडीएफ, अर्थोपाय अग्रिम और ओडी पर ब्याज दर

2.17 राज्य सरकारों द्वारा उपयोग में लाए गए अग्रिमों के बकाया⁶ पर ब्याज उपचित होता है। अर्थोपाय अग्रिम और ओडी पर उपचित होने वाले ब्याज की दरों में आवधिक रूप से संशोधन हुए हैं। मई 1976 के पहले अर्थोपाय अग्रिम पर लगने वाली ब्याज दर, बैंक दर से अधिक नहीं हो सकती थी। उसके बाद इन अग्रिमों पर लगने वाले ब्याज की दरों में संशोधन किया गया। मई 1976 से अगस्त 1996 तक अग्रिम की अवधि के आधार पर प्रभारित मानक दर पर ब्याज लगाया जाता था ताकि राज्यों को इस सुविधा का सामान्य बजटीय संसाधन के रूप में उपयोग करने से हतोत्साहित किया जा सके। तब से अर्थोपाय अग्रिम पर एकल दर पर ब्याज उपचित किया जाता है। सामान्य तौर पर अर्थोपाय अग्रिम पर बैंक दर से अधिक ब्याज नहीं लगाया जाता है जबकि ओडी की सुविधा पर अमूमन बैंक दर

सारणी 3: एसडीएफ, अर्थोपाय अग्रिम और ओडी पर ब्याज दर

योजना	दिन/ सीमा	ब्याज दर
1. एसडीएफ	-	रेपो दर से 1% कम
2. अर्थोपाय अग्रिम	90 दिनों तक	रेपो दर
3. अर्थोपाय अग्रिम	90 दिनों से अधिक	रेपो दर से 1% अधिक
4. ओडी	अर्थोपाय अग्रिम की सीमा तक उपयोग	रेपो दर से 2% अधिक
5. ओडी	अर्थोपाय अग्रिम की सीमा से अधिक	रेपो दर से 5% अधिक

टिप्पणी: 13 नवंबर 2015 की स्थिति के अनुसार रेपो दर 6.75 प्रतिशत थी।

से अधिक की दर पर ब्याज लगाया जाता है। एसडीएफ, अर्थोपाय अग्रिम और ओडी पर ऐतिहासिक रूप से प्रभारित ब्याज दरों का विवरण अनुबंध-3 में दिया गया है। बेजबरआ समिति की सिफारिशों के आधार पर अर्थोपाय अग्रिम योजना पर लगाई जाने संशोधित ब्याज दर को सारणी-3 में दर्शाया गया है।

⁶ अर्थोपाय अग्रिम/ओडी पर उपचित ब्याज दरों का ऐतिहासिक रुझान अनुबंध-3 में दिया गया है।

III. राज्यों के वित्त एवं 14वें वित्त आयोग के प्रभाव

राज्य सरकारों के वित्त में हाल की प्रवृत्तियां⁷

3.1 राज्यों द्वारा डब्लूएमए/ओडी लिए जाने की प्रवृत्तियों तथा मौद्रिक नीति परिचालनों के मद्देनजर रिज़र्व बैंक की ओर से डब्लूएमए के सहनीयता स्तर के बारे में चर्चा करने से पहले राज्यों की राजकोषीय स्थिति की हाल की गतिविधियों तथा राज्यों के वित्त के संबंध में 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर नजर डाल लेना अधिक उपयुक्त होगा। समग्र स्तर पर, 2014-15 के लिए राज्यों के प्रमुख घाटा सूचकों में पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों (आरई) की तुलना में सुधार लाने के लिए बजट प्रावधान किया गया था (सारणी 4)। 2014-15 के बजट अनुमान (बीई) राजस्व प्राप्तियों में देखी गई तेजी पर आधारित थे ताकि राजस्व खाता में उत्पन्न हुए अधिशेष को और बढ़ाया जा सके, जो पिछले वर्ष लगभग संतुलन के स्तर तक कम हो गया था। यह देखा जा सकता है कि 2006-07 में सभी राज्य मिलकर राजस्व अधिशेष की स्थिति में चले गए और तब से यह स्थिति बनी हुई है। 2009-10 में यह स्थिति बरकरार नहीं रह पाई, जब वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया और आर्थिक मंदी के कारण राजस्व के उछाल में कमी आने से राजस्व घाटा हुआ। हालांकि, राजस्व खाते का अधिशेष 2013-14 में लगभग समाप्त हो गया। यह कमी स्वयं के करों तथा गैर-कर राजस्वों -दोनों में कमी को प्रदर्शित करती है। राज्यों के मूल्य संवर्धित कर (वीएटी) राजस्व की वृद्धि में सुधार के बावजूद स्वयं के कर राजस्व की अन्य प्रमुख मदों पर मंद अर्थव्यवस्था का प्रभाव पड़ा। साथ ही, सामाजिक क्षेत्र के व्यय में वृद्धि होने के कारण पिछले वर्ष में राजस्व व्यय में काफी वृद्धि

हुई। इसके अलावा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2012 को तैयार करने के लिए खाद्य एवं भंडारण के लिए भी परिव्यय में वृद्धि करना पड़ा। 2013-14 में जीएफडी-जीडीपी का समग्र अनुपात 2.5 प्रतिशत था जो 13वें वित्त आयोग के लक्ष्यों के अनुरूप रहा। राज्य-वार स्थिति से पता चलता है कि 28 में से 12 राज्य यह अनुपात हासिल नहीं कर पाए। अधिकांश राज्यों ने 2014-15 में राजकोषीय स्थिति को दृढ़ करने के प्रति वचनबद्धता व्यक्त की।

3.2 राज्यों के समेकित जीएफडी के विश्लेषण से पता चलता है कि 2014-15 में पूंजीगत परिव्यय जीएफडी से अधिक रहा। इसके वित्तपोषण के लिए अपेक्षित संसाधनों को जुटाने की शुरुआत राजस्व अधिशेष से हुई (सारणी 5)। निरपेक्ष रूप में देखा जाए तो 2009-10 से 2014-15 के दौरान के पूंजीगत परिव्यय का औसतन 52 प्रतिशत हिस्सा जीएफडी का रहा।

3.3 हाल के समय में जीएफडी के वित्तपोषण की नोट करने योग्य बात यह रही है कि बाजार से उधार लिया जाना वित्तपोषण के प्रमुख स्रोत के रूप में उभर कर सामने आया। 2006-07 से 2013-14 के दौरान संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) बढ़कर 31.7 प्रतिशत हो गई जो 2000-01 से 2005-06 के दौरान 8 प्रतिशत थी। राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) में होने वाले नए निवेशों की तुलना में उससे राशि निकाले जाने की अधिकता होने के कारण जीएफडी के वित्तपोषण में राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों में होने वाले निवेश का योगदान ऋणात्मक बना रहा (सारणी 6)। राज्यों के जीएफडी के वित्तपोषण का एक अन्य स्रोत राज्य भविष्य निधि है।

सारणी 4 : राज्य सरकारों के प्रमुख घाटा संकेतक

(जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)

मद	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (आरई)	2014-15 (बीई)
जीएफडी	2.4	1.8	1.5	2.4	2.9	2.1	1.9	2.0	2.5	2.3
आरडी	0.2	-0.6	-0.9	-0.2	0.5	0.0	-0.3	-0.2	0.0	-0.4
पीडी	0.2	-0.4	-0.5	0.6	1.2	0.5	0.4	0.5	1.0	0.8

⁷ Please refer to the study "State Finances: A Study of Budgets of 2014-15" published by the Reserve Bank of India for a detailed analysis of State Government Finances.

सारणी 5 : सकल राजकोषीय घाटे का विश्लेषण

(प्रतिशत)

मद	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14 (आरई)	2014-15 (बीई)
जीएफडी = (1+2+3)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1. राजस्व घाटा	8	-32	-57	-9	16	-2	-14	-10	-1	-18
2. पूंजीगत परिव्यय	86	127	158	106	79	94	102	99	94	114
3. निवल ऋण	6	8	9	4	5	9	13	12	8	5
4. गैर-कर्ज पूंजी प्राप्तियां	0	2	9	0	0	1	0	0	0	0

3.4 2012-13 से 2014-15 की अवधि के दौरान राज्य सरकारों की बकाया देनदारी में द्वि-अंकीय वृद्धि हुई (बीई)। वर्तमान के स्रोत-आधारित अप्रत्यक्ष कर के दौर के स्थान पर 1 अप्रैल 2016 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) आधारित कर की प्रस्तावित शुरुआत होने से मध्यावधि में राजस्व स्रोतों में काफी वृद्धि होनी चाहिए। राज्यों के वित्तीय हालात के लिए अपेक्षाकृत अधिक पूंजीगत परिव्यय हेतु संसाधन जुटाना, राजकोषीय सुदृढीकरण की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा राज्यों के समेकित ऋण-जीडीपी अनुपात में कमी लाना निर्धारित करना महत्वपूर्ण है।

3.5 राज्यों के वित्त की संक्षिप्त समीक्षा से यह पता चलता है कि राजकोषीय घाटा की तुलना में राजस्व घाटा अनुपात, जो इस बात का संकेतक होता है कि उधार का किस हद तक उपयोग राजस्व व्यय के लिए किया गया है, में स्पष्ट सुधार हुआ है। 2004-05 में यह अनुपात 36.8 प्रतिशत था जो 2012-13 में घटकर (-)10.4 प्रतिशत रह गया। बकाया कर्ज-जीडीपी अनुपात में भी निरंतर गिरावट आई। 2004-05 में यह 31.1 प्रतिशत था जो 2012-13 में घटकर 21.6 प्रतिशत रह गया। समग्ररूप से राजस्व प्राप्तियों के सामूहिक सूचकों

में से अधिकांश 2007-08 तक सुधार दर्शा रहे थे और उसके बाद 2008-09 एवं 2009-10 में स्थिति खराब हुई। राजस्व प्राप्तियों में काफी वृद्धि होने के साथ ही 2010-11 से इसके रूझान में पुनः परिवर्तन आया मालूम पड़ता है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में दर्शाए गए राज्यों के सामूहिक रूप से अपने राजस्वों (स्वयं के कर राजस्वों तथा स्वयं के गैर-कर राजस्वों का कुल योग) में वृद्धि के रूझान देखे गए। इसमें 2004-05 के 7.0 प्रतिशत के स्तर से वृद्धि हुई और 2012-13 बढ़कर यह 7.6 प्रतिशत हो गया। स्वयं के सामूहिक कर राजस्वों में अमूमन मजबूती से वृद्धि हुई और यह 2004-05 के 5.6 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 6.5 प्रतिशत (2008-09 एवं 2009-10 में मामूली गिरावट सहित) हो गया। हालांकि, स्वयं के सामूहिक गैर-कर राजस्वों में गिरावट आई। यह 2004-05 के 1.4 प्रतिशत के स्तर से घटकर 2012-13 में 1.2 प्रतिशत रह गया और इस प्रकार से, स्वयं की कर प्राप्तियों में वृद्धि को इसने प्रतिसंतुलित कर दिया। राज्यों के स्वयं के सामूहिक कर राजस्वों में मूल्य संवर्धित कर (वीएटी) का योगदान लगभग 61 प्रतिशत था और 2004-05 से 2012-13 की अवधि के दौरान यह लगभग अपरिवर्तित रहा। राज्यों के वित्त में समग्र रूप से होने वाले सुधार को राजस्व वृद्धि करने और व्यय को युक्तिसंगत बनाने, केंद्र के करों में वृद्धि के कारण करों का अधिक हस्तांतरण करने तथा मूल्य संवर्धित कर से होने वाले संग्रह में वृद्धि जैसे राज्यों के स्वयं के उपायों से दिशा मिली। 2012-13 तक अधिकांश राज्यों में राजस्व का अधिशेष तैयार हो गया और उनका संयुक्त जीएफडी, जीएसडीपी के 3 प्रतिशत के लक्ष्य से काफी कम रहा।

3.6 2005-06 में डब्ल्यूएमए में संशोधन होने के बाद राज्यों का राजकोषीय आकार काफी बढ़ गया क्योंकि 2006-07 से 2013-14 के दौरान सीएजीआर का राजस्व व्यय बढ़कर 15.4 प्रतिशत हो गया, जबकि 2000-01 से 2005-06 के दौरान यह सीएजीआर का 9.3 प्रतिशत था (सारणी 7)। इसी प्रकार से, राजस्व प्राप्ति में इस अवधि में 15.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पिछली अवधि में

सारणी 6 : सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण

(प्रतिशत)

वर्ष	बाजार से लिया गया उधार	केंद्र से लिया गया ऋण	एनएसएसएफ को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां	भविष्य निधि इत्यादि	अन्य
2005-06	17.0	0.0	81.9	11.6	-10.5
2006-07	16.9	-11.5	72.3	13.4	8.9
2007-08	71.5	-1.2	7.8	16.4	5.7
2008-09	77.3	-0.6	1.1	11.6	10.5
2009-10	59.7	-0.9	12.8	12.3	16.2
2010-11	55.0	0.4	23.9	17.2	3.4
2011-12	80.4	0.1	-4.8	15.8	8.4
2012-13	74.8	0.9	-0.1	13.2	11.2
2013-14 (आरई)	70.8	2.6	-1.3	9.0	18.9
2014-15 (बीई)	77.7	4.4	-0.6	9.1	9.4

सारणी 7 : राजकोषीय मानकों की वार्षिक मिश्रित वृद्धि (%)

सूचक	2000-01 से 2005-06	2006-07 से 2013-14
राजस्व प्राप्तियां	13.4	15.6
राजस्व व्यय	9.3	15.4
पूंजी प्राप्तियां	8.3	8.6
पूंजी व्यय	16.1	12.9
कुल प्राप्तियां	11.8	13.9
कुल व्यय	10.5	14.9
कुल अंतराल	3.7	12.6
बाजार से लिया गया उधार	8.0	31.7

यह वृद्धि 13.4 प्रतिशत थी। हालांकि, 2005-06 के बाद पूंजीगत व्यय में पहले की 16.1 प्रतिशत की तुलना में 12.9 प्रतिशत की अपेक्षाकृत कम वृद्धि हुई क्योंकि एफसी द्वारा निर्धारित राजकोषीय अनुशासन का तथा एफआरबीएम की बंदिशों के पालन को सुनिश्चित करना था। 2006-07 से 2013-14 के दौरान पूंजीगत प्राप्तियों में भी 8.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पहले की अवधि में इसमें 8.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। राज्यों के राजकोषीय आकार में पिछले संशोधन के समय की स्थिति की तुलना में हुई महत्वपूर्ण वृद्धि के मद्देनजर तथा राजकोषीय गतिविधियों से तारतम्य बनाए रखने के लिए भी समिति ने यह महसूस किया कि इस अवस्था में डब्ल्यूएमए के निर्धारण (फॉर्मूला) को संशोधित किए जाने की जरूरत है।

3.7 राज्यों के सम्मुख राजकोषीय मामलों से संबंधित कुछ चुनौतियां इस प्रकार हैं - (i) 14वें वित्त आयोग द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार कर हस्तांतरण के माध्यम से बढ़े हुए संसाधनों का दक्षता पूर्वक प्रयोग किया जाना; (ii) गैर-कर राजस्व एकत्र करने के प्रयास किए जाना; (iii) सातवें वेतन आयोग के फैसले का प्रभाव; (iv) वास्तविक पूंजीगत परिव्यय; तथा (v) बजट से इतर उच्च जोखिमपूर्ण देयताओं को समाहित करने के लिए ऋण का उचित आकलन/माप करना।

3.8 राज्यों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करते समय “राज्यों के वित्त : 2014-15 के बजटों का अध्ययन” नामक भारतीय रिजर्व बैंक के प्रकाशन में वास्तविक परिणामों के संदर्भ में बजट अनुमानों की अनुमान करने की क्षमता में सुधार लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। राजकोषीय मजबूती के इरादों को पूरा करने के लिए राजकोषीय लक्ष्य निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। इस संबंध में, राज्यों को कर, व्यय, समष्टि आर्थिक समुच्चयों इत्यादि जैसे मुख्य राजकोषीय मानदंडों की विश्वसनीयता में सुधार लाने की जरूरत है।

14वें वित्त आयोग की अनुशंसाएं तथा राज्यों के वित्त पर उनका प्रभाव

3.9 14वें वित्त आयोग (अध्यक्ष : डॉ. वाई.बी. रेड्डी) ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2014 में प्रस्तुत की, जिसे संसद के सदन पटल पर 24 फरवरी 2015 को रखा गया। राज्यों की राजकोषीय स्थिति की समीक्षा करते हुए, 14वें वित्त आयोग ने यह नोट किया कि 2004-05 से 2013-14 (आरई) की अवधि के दौरान समग्र स्तर पर राज्यों के राजकोषीय संकेतकों में बेहतरी आई है। राज्यों के वित्त से संबंधित 14वें वित्त आयोग की कुछ प्रमुख अनुशंसाएं निम्नलिखित पैराग्राफों में दी जा रही हैं।

ऊर्ध्ववाधर वितरण

3.10 14वें वित्त आयोग ने समझ आधारित निर्णयों को न्यूनतम करने, अंतरण के तरीकों में सुधार लाने, दोहराव से बचने और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, वित्त आयोग की अनुशंसाओं के दायरे से बाहर अंतरण की वर्तमान व्यवस्थाओं की समीक्षा करने का सुझाव दिया। तदनुसार, आयोग ने सुझाव दिया कि नई संस्थागत व्यवस्थाओं का प्रादुर्भाव हो जो *अन्य बातों के साथ-साथ* खंड-विशेष और क्षेत्र-विशेष के अनुदानों के संबंध में अनुशंसाएं कर सके। वित्त आयोग ने कर हस्तांतरण को विभाज्य पूल तथा खंड-विशेष से संबंधित वित्त आयोग के अनुदानों के वितरण को 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत किए जाने की अनुशंसा की। जिससे, करों की तुलना में अनुदानों के हस्तांतरण के अंतरण में संघटनात्मक परिवर्तन का पता चलता है। इसके पीछे मंशा यह थी कि राज्यों को बिना किसी शर्त के होने वाले अंतरण प्रवाह को बढ़ाने और उसके बाद भी विशिष्ट उद्देश्य के लिए अंतरण किए जाने के लिए केंद्र के पास समुचित राजकोषीय व्यवस्था होनी चाहिए।

3.11 खंड-विशेष के लिए वित्तीय आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदानों के वितरण में स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान (कुल अनुदानों का 53.5 प्रतिशत हिस्सा); आपदा प्रबंधन (10.2 प्रतिशत हिस्सा) तथा वितरण के पश्चात राजस्व घाटा अनुदान, जहां अनुमानित अंतराल (36.3 प्रतिशत हिस्सा) को वितरण मात्र से पूरा नहीं किया जा सके, शामिल होते हैं। तदनुसार, इस प्रकार के अनुदानों के लिए 11 राज्यों को अर्ह पाया गया। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा जैसे राज्यों को इस निर्णय की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष राजस्व घाटा अनुदान की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा, चार राज्यों;

नामत: असाम, केरल, मेघालय एवं पश्चिम बंगाल को इस निर्णय की अवधि के दौरान कम से कम एक साल राजस्व घाटा अनुदान की आवश्यकता पड़ेगी। वितरण के पश्चात राजस्व घाटा, जैसा कि 14वें वित्त आयोग द्वारा गणना की गई है, का अनुशासित राजस्व घाटा अनुदान द्वारा पूरी तरह से पाट दिया गया है।

क्षैतिज वितरण

3.12 अंतरराज्यी हस्तांतरण, राज्यों के बीच राजकोषीय क्षमता और लागत संबंधी अक्षमताओं के अंतर के प्रभाव को कम करने का प्रयास है। 14वें वित्त आयोग ने गैर-विशिष्ट और विशिष्ट श्रेणी राज्यों के बीच भेद नहीं किया है।

स्थानीय निकायों के लिए अनुदान

3.13 राज्यों को स्थानीय निकायों के लिए अनुदान का वितरण जनसंख्या संबंधी 2011 के आंकड़ों (90 प्रतिशत भार) एवं क्षेत्र (10 प्रतिशत भार) पर आधारित है। अनुदानों को ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या - ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों के आधार पर दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया जाना है। निर्णय लागू होने की अवधि 2015-2020 के दौरान कुल अनुदानों में ग्राम पंचायतों का हिस्सा 69.9 प्रतिशत होगी; इसके अलावा अनुदान दो प्रकार के होंगे - आधारभूत अनुदान एवं निष्पादन अनुदान, जो (i) स्थानीय निकायों की प्राप्तियों एवं व्यय के संबंध में उपलब्ध विश्वसनीय आंकड़ों को लेखापरीक्षित खातों के माध्यम से उपलब्ध कराना; और (ii) स्वयं के राजस्व में सुधार लाने पर आधारित होंगे। राज्य सरकारों को राज्य वित्त आयोगों (एसएफसी) को मजबूत बनाना चाहिए, जिसके अंतर्गत उनका समय पर गठन किया जाना और उनके कामकाज के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना तथा राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट को राज्य विधायिका के समक्ष समय पर प्रस्तुत किया जाना शामिल है।

वस्तु एवं सेवा कर

3.14 जीएसटी लागू किए जाने से राज्यों को होने वाले राजस्व की क्षतिपूर्ति प्रथम तीन वर्षों में 100 प्रतिशत, चौथे वर्ष में 75 प्रतिशत और पांचवें वर्ष में 50 प्रतिशत की जानी है। स्वायत्तशासी एवं स्वतंत्र क्षतिपूर्ति निधि स्थापित की जानी है।

राजकोषीय अनुशासन एवं एफआरबीएम

3.15 14वें वित्त आयोग ने अनुशांसा किया कि राज्यों के वार्षिक जीएसटी-जीएसडीपी अनुपात को जीएसडीपी के 3 प्रतिशत के स्तर

पर स्थिर रखा जाना है और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर 0.5 प्रतिशत की घटबढ़ की जा सकेगी। 14वें वित्त आयोग ने स्पष्ट अंतर लाते हुए राजकोषीय अनुशासन को हस्तांतरण के मानदंड के स्थान पर उधार लेने के मानदंड से संबद्ध किया है। निम्नलिखित स्थितियों में अतिरिक्त कर लेने की पात्रता होगी : (i) ऋण-जीएसडीपी अनुपात 25 प्रतिशत से कम या उसके बराबर हो; और/या (ii) ब्याज भुगतान पूर्ववर्ती वर्ष की राजस्व प्राप्तियों के 10 प्रतिशत से कम या उसके बराबर हो। राज्यों द्वारा अतिरिक्त उधार लेने की शर्त यह है कि जिस वर्ष उधार लेने की सीमा निर्धारित की जाती हो और उसके पूर्ववर्ती वर्ष में भी राज्य का कोई राजस्व घाटा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, राज्यों को यह विकल्प होगा कि वे अप्रयुक्त उधार सीमा का प्रयोग वित्त आयोग का निर्णय लागू होने की अवधि के अंतर्गत आगामी वर्षों में भी कर सकते हैं। ऐसा होने से राजकोषीय दृष्टि से सुप्रबंधित राज्य विकासात्मक पूंजी व्यय के लिए अधिक उधार ले पाएंगे।

3.16 14वें वित्त आयोग ने यह अनुशांसा किया कि 1 अप्रैल 2015 से प्रभावी राजस्व घाटा की परिभाषा को विलोपित करने के लिए एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन करने पर संघ सरकार को विचार करना चाहिए। इसके अलावा, आयोग ने कहा कि एफआरबीएम अधिनियम में संशोधन कर स्वतंत्र राजकोषीय सभा (काउंसिल) की स्थापना को अनिवार्य किया जाए, जो बजट प्रावधानों की राजकोषीय नीति एवं नियमों से उनकी अनुरूपता के प्रत्याशित आकलन का कार्य करे।

3.17 13वें वित्त आयोग द्वारा समर्थित मध्यस्थहीनता के सिद्धांत को जारी रखते हुए 14वें वित्त आयोग ने यह अनुशांसा किया कि 1 अप्रैल 2015 से राज्यों को एनएसएसएफ परिचालनों से मुक्त कर दिया जाए और पहले की देयताओं के प्रति उनकी संबद्धता को सीमित कर दिया जाए। हालांकि, 2015-16 के संघीय बजट में राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश हेतु एनएसएसएफ के लिए ₹103.4 बिलियन का प्रावधान किया है जो यह संकेत देती है की एनएसएसएफ राज्य सरकारों के राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण करना जारी रखेगा। 14वें वित्त आयोग ने अनुशांसा किया कि प्राप्तियों और व्ययों को समाहित करते हुए सभी राज्यों को राजकोषीय प्रबंध की गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखना चाहिए। इसके अलावा, राज्य सरकारें नए पूंजीगत कार्यों की मंजूरी के लिए वैधानिक सीमा तय करेंगी जो वार्षिक बजट प्रावधान के उचित गुणक के रूप में होंगी। हालांकि, उक्त में से कुछ अनुशांसाओं पर अभी केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाना शेष है।

राज्य सरकारों के वित्त से संबंधित प्रभाव

3.18 कर हस्तांतरण के मुद्दे पर 14वें वित्त आयोग ने 42 प्रतिशत कर हस्तांतरण करने की अनुशंसा से केंद्र से संसाधनों के समग्र अंतरण पर विशेष अंतर नहीं पड़ेगा, तथापि इसके कारण राज्यों को अधिक मात्रा में स्वतंत्र अंतरण मिल सकेगा और इस प्रकार से अधिक राजकोषीय स्वायत्तता उपलब्ध होगी। क्षैतिज असंतुलन से निपटने के लिए 14 वित्त आयोग ने राजकोषीय क्षमता को अधिक महत्व प्रदान किया है, जिसके अंतर्गत लागत एवं राजस्व से संबंधित असमर्थताओं के संकेतकों को संयुक्त रूप से 72.5 प्रतिशत महत्व प्रदान किया गया है, जबकि 13वें वित्त आयोग ने इसे 57.5 प्रतिशत महत्व प्रदान किया था।

3.19 यह उल्लेखनीय है कि 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार, केंद्र प्रयोजित योजनाओं (सीएसएस)/कार्यक्रमों में से कुछ के केंद्र-राज्य निधीयन ढंग को राज्यों को होने वाले अपेक्षाकृत अधिक कर हस्तांतरण को ध्यान में रखते हुए 2015-16 के संघीय बजट में पहले ही संशोधित किया जा चुका है। संघ के बजट में यह प्रस्ताव किया गया कि आठ केंद्र प्रयोजित योजनाओं को केंद्र से

मिलने वाली सहायता बंद कर दी जाए। विविध प्रकार की अन्य केंद्र प्रयोजित योजनाओं के संबंध में हिस्सेदारी के प्रकार में परिवर्तन होगा जिसके अंतर्गत राज्यों को योजना लागू किए जाने के संबंध में अधिक राजकोषीय जिम्मेदारी निभानी होगी।

3.20 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के संबंध में, सभी राज्यों से यह अपेक्षा है कि आयोग की अनुशंसाएं लागू किए जाने के निर्णय की 2015-16 से 2019-20 की अवधि में एसडीआरएफ में 10 प्रतिशत अंशदान करें और शेष 90 प्रतिशत का योगदान केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। तदनुसार, अनुशंसाएं लागू करने के निर्णय की अवधि के दौरान एसडीआरएफ की कुल जमा राशि ₹61,219 करोड़ होने की गणना की गई है। एसडीआरएफ में प्रस्तावित जमा राशि के बहुत अधिक होने के मद्देनजर, यदि राज्य/राज्य कार्यपालक समिति (एसईसी) विशिष्ट राशि को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए अलग रखती है तो उसका प्रबंध राज्य सरकारों की ओर से रिजर्व बैंक कर सकता है, बशर्ते कि निवेश परिचालन प्रक्रिया वैसी ही हो जैसा कि रिजर्व बैंक द्वारा प्रबंधित सीएसएफ/जीआरएफ/एसडीएफ के मामलों में होती है।

IV. राज्य सरकारों की चलनिधि स्थिति तथा अर्थोपाय अग्रिम (डब्लूएमए) का लिया जाना : अनुभवसिद्ध विश्लेषण

अर्थोपाय अग्रिम (डब्लूएमए)/ओवरड्राफ्ट लेने की प्रवृत्तियां

4.1 रिजर्व बैंक ने, 2006-07 में संशोधन के पश्चात सीमा की पर्याप्तता निर्धारित करने के लिए राज्यों द्वारा अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट लिए जाने की वार्षिक समीक्षा का कार्य हाथ में लिया है। यह पाया गया कि 2008-09 से कुछ राज्य नियमित रूप से विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)/अर्थोपाय अग्रिम लेते रहे हैं, जबकि कुछ ने यदाकदा ही इसका लाभ लिया है। बहुत से राज्यों ने 2006-07 से उनके व्यय में काफी वृद्धि होने के बाद भी अर्थोपाय अग्रिम नहीं लिया। अर्थोपाय अग्रिम लेने वाले राज्यों की संख्या 2010-11 में 6 थी जो 2013-14 में बढ़कर 13 हो गई। 2014-15 में यह संख्या घटकर 12 रह गई (सारणी 8)। ओवरड्राफ्ट लेने वाले राज्यों की संख्या भी 2008-09 में 3 थी जो 2011-12 में बढ़कर 6 हो गई। 2014-15 में यह संख्या और बढ़कर 10 हो गई।

4.2 कुछ राज्य सरकारों से अर्थोपाय अग्रिम की सीमाओं को संशोधित करने के अनुरोध, साथ ही एसएफएस सम्मेलन में किए गए अनुरोध, को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने 2013 के दौरान राज्यों के नगद प्रवाह अनुमानों के अनुरूप उपयोगिता की समीक्षा की। उक्त के आधार पर यह देखा गया कि राज्यों के बजट के आकार में काफी वृद्धि होने के कारण अर्थोपाय अग्रिम की सीमा बढ़ाने पर विचार किया गया। तदनुसार, 11 नवंबर 2013 से सभी राज्यों के लिए अर्थोपाय अग्रिम सीमा में तत्कालीन विद्यमान सीमा में 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई और यह निर्णय लिया गया कि एसएफएस सम्मेलन 2014

सारणी 8 : राज्यों द्वारा एसडीएफ, डब्लूएमए एवं ओवरड्राफ्ट लिया जाना

(राज्यों की संख्या)

वर्ष	एसडीएफ	डब्लूएमए	ओवरड्राफ्ट
2008-09	8	6	3
2009-10	10	10	4
2010-11	8	6	4
2011-12	8	9	6
2012-13	10	9	8
2013-14	13	13	8
2014-15	13	12	10
2015-16 *	8	11	7

* सितंबर 2015 तक

में अर्थोपाय अग्रिम योजना पर विचार करने के लिए इस आशय की कार्यसूची को शामिल किया जाएगा। फलस्वरूप, कुल सीमा ₹10,240 करोड़ से बढ़कर ₹15,360 करोड़ कर दी गई। सीमा में वृद्धि होने के प्रत्युत्तर में चुनिंदा राज्यों द्वारा अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट की उपयोगिता में काफी वृद्धि हुई (अनुबंध 4.1)। इस प्रकार से, चुनिंदा राज्यों की अर्थोपाय अग्रिमों पर निर्भरता समीक्षा के बाद की अवधि में भी जारी रही।

4.3 एक साथ रखे जाने पर, 2010-11 में राज्यों द्वारा अर्थोपाय अग्रिम की औसत उपयोगिता निर्धारित कुल सीमाओं की तुलना में 2.1 प्रतिशत रही, जो 2012-13 में बढ़कर 3.2 प्रतिशत हो गई और उसके बाद 2013-14 में घटकर 2 प्रतिशत रह गई (सारणी 9)। हालांकि, एक साथ रखे जाने पर, 2014-15 के दौरान

सारणी 9 : राज्यों द्वारा एसडीएफ, डब्लूएमए एवं ओवरड्राफ्ट का उपयोग

(₹ करोड़)

वर्ष	एसडीएफ		डब्लूएमए			ओवरड्राफ्ट	
	अधिकतम उपयोग	दैनिक औसत उपयोग	अधिकतम उपयोग	दैनिक औसत उपयोग	कुल सीमाओं के % के रूप में औसत उपयोग	अधिकतम उपयोग	दैनिक औसत उपयोग
2007-08	1791.14	281.59	968.90	258.63	2.61	1292.99	108.72
2008-09	1578.56	282.76	1111.42	54.11	0.55	700.56	12.41
2009-10	1034.63	203.17	814.12	109.07	1.10	425.80	25.22
2010-11	1323.34	414.71	985.00	212.46	2.14	1283.16	83.57
2011-12	1149.46	294.36	1298.80	243.44	2.38	3073.19	82.03
2012-13	1234.64	237.01	1220.00	326.76	3.19	999.19	121.70
2013-14	1159.89	277.10	1265.90	313.93	2.04	1141.33	103.44
2014-15	4594.75	487.89	3005.88	736.01	4.79	4204.95	246.69

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक के रिकॉर्ड

अर्थोपाय अग्रिम की औसत उपयोगिता सभी राज्यों की कुल सीमाओं की 4.79 प्रतिशत रही। एक साथ रखने पर, अर्थोपाय अग्रिम तथा ओवरड्राफ्ट की औसत उपयोगिता में पिछले वर्ष की तुलना में 2014-15 के दौरान दोगुनी वृद्धि हुई। राज्यों द्वारा अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट की मासिक औसत उपयोगिता मार्च 2015 से अक्टूबर 2015 तक उच्च स्तर पर रही (अनुबंध 4.1)। राज्यों को वित्तीय वर्ष के अंत में धनात्मक नगदी शेष अपने पास रखने को प्रोत्साहित किया गया किंतु नवंबर 2013 में अर्थोपाय अग्रिम सीमा में वृद्धि किए जाने के बावजूद मार्च 2015 के दौरान ओवरड्राफ्ट का उपयोग किया जाना चिंता का विषय है। इस प्रकार से, बढ़ी हुई अर्थोपाय अग्रिम सीमा को लेनदेन के परिमाण में वृद्धि से संबद्ध करने से उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि विशिष्ट सीमा तक नगदी प्रवाह अंतर को वर्तमान अर्थोपाय अग्रिम सीमा के अंदर ही रखा जाना चाहिए। परिमाण में वृद्धि होने से आस्तियों और देयताओं के असंतुलन में स्वतः वृद्धि नहीं होती है।

राजस्व घाटा (आरडी), डब्लूएमए/ओवरड्राफ्ट और नगदी अतिशेष के बीच संबंध - अनुभवसिद्ध विश्लेषण

4.4 राजकोषीय दबावपूर्ण स्थिति वाले कुछ राज्यों द्वारा आधारभूत संरचनागत मसलों का सामना किए जाने के कारण राज्य सरकारों द्वारा एसडीएफ/डब्लूएमए/ओडी लिए जाने का वार्षिक औसत में 2011 से वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई। डब्लूएमए/ओडी लेने वाले राज्यों की संख्या में मार्च के अंत में वृद्धि हुई। 2011 में यह संख्या 3 थी जो 2015 में बढ़कर 6 हो गई, जिससे यह तथ्य उजागर हुआ कि इन राज्यों के जीएफडी के कुछ हिस्से का वित्तपोषण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डब्लूएमए के माध्यम से उधार द्वारा हुआ। एनडब्लूएमए, एसडीएफ और ओवरड्राफ्ट के उपयोग के आधार पर मापा गया (एनएसओ) वार्षिक औसत समग्र चलनिधि अंतर 2014-15 के दौरान बढ़कर क्रमशः ₹133.16 करोड़, ₹74.21 करोड़ और ₹134.5 करोड़ हो गया जो 2013-14 के दौरान क्रमशः ₹72.94 करोड़, ₹60.19 करोड़ और ₹62.82 करोड़ था।

4.5 एक तरफ आधारभूत/राजकोषीय असमानता और आर्थिक वृद्धि को तथा दूसरी तरफ राज्य सरकारों की चलनिधि असमानताओं

को रखते हुए उनमें संबंध निर्धारित करने के लिए 2007-08 से 2014-15 की अवधि के दौरान पैनेल सहसंबंध प्रयोग (पैनेल रिग्रेसन एक्सरसाइज) किया गया। आश्रित चर समग्र चलनिधि अंतर था, जो एनडब्लूएमए, एसडीएफ तथा ओवरड्राफ्ट के वार्षिक औसत के योग के रूप में माना गया, जिसको भी समग्र (राजस्व एवं पूंजी का योग) व्यय (एनएसओबीईएक्सपी) द्वारा सामान्य बनाया गया। स्वतंत्र चर ये थे - राजस्व घाटा (आरडी), जीएसडीपी (आरडीबीजीएसडीपी) के अनुपात के रूप में आरडी, जीएफडी के अनुपात के रूप में आरडी, आईटीबी में राज्यों के निवेश तथा जीएसडीपी (जीजीएसडीपी) की वृद्धि दर। इस प्रयोग के लिए 2007-08 से 2014-15 के दौरान राज्यों द्वारा एसडीएफ/डब्लूएमए/ओवरड्राफ्ट लिए जाने के समेकित आंकड़े एक साथ लिए गए। पैनेल आंकड़ा ढांचा (पैनेल डाटा फ्रेमवर्क) में स्थायी प्रभाव तथा आकस्मिक प्रभाव -दोनों की गणना के प्रयास किए गए।

4.6 स्थायी प्रभाव मॉडल में आरडीबीजीएफडी, जीएसडीपी एवं आईटीबी जैसे चरों को सांख्यिकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया (सारणी 10)। उक्त समीकरणों की समग्र माप काफी हद तक ठीक है। स्थायी प्रभाव मॉडल में आरडीबीजीएफडी सांख्यिकीय दृष्टि से 1 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण है। आरडीबीजीएफडी का संकेत धनात्मक होने से पता चलता है कि समग्र व्यय (एनएसओबीईएक्सपी) के अनुपात के रूप में समग्र चलनिधि अंतर आरडी में वृद्धि के साथ ही बढ़ेगा। वैकल्पिक रूप से, आरडीबीजीएफडी में कमी होने से, जो राजकोषीय समायोजन की गुणवत्ता को सुधार को दर्शाता है, समग्र चलनिधि अंतरों में कमी आएगी। इसकी संभावना सही प्रतीत होती है क्योंकि राजस्व व्यय का बड़ा हिस्सा वेतन, पेंशन इत्यादि जैसे गैर-विकास उद्देश्यों के लिए निर्धारित है और ये उसी दिशा में अग्रसर हैं। यदि राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से होने वाली वृद्धि से अधिक हो, तो समय के दौरान राजस्व घाटा कम हो जाएगा और इस प्रकार से भारतीय रिजर्व बैंक से उधार के अनुपात में रोक लगेगी। इसके परिणामस्वरूप, प्राप्तियों और व्ययों के नगदी प्रवाहों के दैनिक अंतर में कमी आने की संभावना है।

सारणी 10 : राज्यों द्वारा एनएसओ लिया जाना - स्थायी प्रभाव (फिक्सड इफैक्ट) मॉडल

डीईपी.वीएआर	आर ²	एफ	आईएनडी.वीएआरएस	गुणांक/कोइफिसिएंट	टी-एसटीएटी	महत्व/सिग्निफिकेंस
एनएसओ-टीईएक्सपी	0.45	5.15	आरडी_जीएफडी	1.15	3.37	0.001
			जीजीएसडीपी	-1.11	-2.084	0.039
			आईटीबीएस	-2.48	-1.86	0.0649

4.7 जीएसडीपी (जीजीएसडीपी) की वृद्धि दर गुणांक ऋणात्मक है तथा सांख्यिकीय दृष्टि से यह दोनों मॉडलों में 5 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण है। इससे यह संकेत मिलता है कि जीएसडीपी की वृद्धि दर में वृद्धि होने का संबंध समग्र चलनिधि अंतर में कमी से है। यह पुनः, संभावना के अनुरूप ही है, क्योंकि आर्थिक वृद्धि में उछाल के दौर में नगदी अंतर्वाह के आकार और निरंतरता में वृद्धि होने की संभावना है। आईटीबी में निवेश गुणांक ऋणात्मक है और सांख्यिकीय दृष्टि से स्थायी प्रभाव मॉडल में 10 प्रतिशत के स्तर पर और आकस्मिक प्रभाव मॉडल के अंतर्गत 5 प्रतिशत के स्तर पर महत्वपूर्ण है। इससे यह संकेत मिलता है कि रिजर्व बैंक से डब्ल्यूएमए/ओवरड्राफ्ट लेने में वृद्धि होने से आईटीबी में राज्यों के निवेश में कमी आएगी।

4.8 आकस्मिक प्रभाव मॉडल में भी आईटीबी, आरडी, जीएसडीपी की वृद्धि दर एवं आरडीबीजीएफडी जैसे चर महत्वपूर्ण थे (सारणी 11)। विशेष श्रेणी तथा गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों के आंकड़ों को पृथक करने का प्रयास भी किया गया है। गैर-विशेष श्रेणी वाले राज्यों की माप सांख्यिकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण थी क्योंकि उनमें से बहुत से राज्यों ने यदाकदा डब्ल्यूएमए/ओवरड्राफ्ट लिया जबकि कुछ राज्यों ने नियमित रूप से डब्ल्यूएमए/ओवरड्राफ्ट लिया। हालांकि विशेष श्रेणी वाले अधिकांश राज्यों ने नियमित रूप से डब्ल्यूएमए/ओवरड्राफ्ट लेते रहे हैं और आकस्मिक प्रभाव मॉडल के तहत पैनाल आंकड़ा सहसंबंध के परिणाम से आरडीबीजीएफडी के 1 प्रतिशत महत्व होने तथा अन्य चरों के लिए 10 प्रतिशत महत्व का पता चलता है।

राज्यों के नगदी प्रवाह एवं भारत सरकार के अंतरण

4.9 सहायता वृत्ति एवं केंद्रीय करों के रूप में भारत सरकार के अंतरण 2009-10 से 2013-14 के दौरान सभी राज्यों की राजस्व प्राप्तियों का लगभग लगभग 40 प्रतिशत रहे तथा विशेष श्रेणी राज्यों के मामले में, 2013-14 के दौरान यह लगभग 75 प्रतिशत रहे। इसलिए राज्य सरकारों के नगदी प्रवाहों के निर्धारण में केंद्र से होने वाले अंतरण भी महत्वपूर्ण कारक हैं। राज्यों के नगदी प्रवाहों के

प्रभाव को समझने के लिए भारत सरकार से राज्यों को होने वाले कर अंतरणों का विश्लेषण तिमाही और मासिक -दोनों आधार पर किया जा रहा है।

4.10 तिमाही आधार पर विश्लेषण के तहत भारत सरकार द्वारा होने वाले अंतरणों की सामान्य प्रवृत्ति का प्रेक्षण किया जा रहा है जहां पर यह देखा गया कि वर्ष की अंतिम तिमाही में पहली तीन तिमाहियों की तुलना में हमेशा अधिकतम कर प्राप्तियां होती हैं। यह माना गया कि भारत सरकार का सकल कर राजस्व (जीटीआर) संग्रह अंतिम तिमाही में 40 प्रतिशत तथा प्रथम तीन तिमाहियों में से प्रत्येक में 20 प्रतिशत होगा। तदनुसार, बजट प्रावधान किए गए जीटीआर को उक्त अनुपात के अनुसार चार तिमाहियों में विभक्त किया गया है। इसी तर्क के आधार पर यह भी माना गया है कि भारत सरकार से राज्यों को होने वाले अंतरण भी उक्त अनुपात के अनुसार होंगे, अर्थात् पहली तिमाही से तीसरी तिमाही तक प्रत्येक के लिए 20 प्रतिशत और चौथी तिमाही के लिए 40 प्रतिशत। बजट अनुमानों के विपरीत, भारत सरकार द्वारा जीटीआर की वास्तविक प्राप्तियों, जैसा कि मासिक सरकारी खातों में रिपोर्ट किया गया है, की तुलना भारत सरकार के स्तर पर संग्रह में कमी से की जा रही है।

4.11 भारत सरकार के स्तर पर प्रमुख प्रेक्षणों से ज्ञात होता है कि 2012-13 से 2014-15 के दौरान जीटीआर औसतन ₹11,40,064 करोड़ था और इसका वितरण पहली तिमाही से तीसरी तिमाही के दौरान 20 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 40 प्रतिशत के अनुपात में किया गया था (सारणी 12)। भारत सरकार के लिए बीई के प्रतिशत के रूप में 2012-13 से 2014-15 के दौरान जीटीआर की वास्तविक प्राप्तियों की गणना औसतन 93.2 प्रतिशत रही और तिमाही आधार पर, पहली तिमाही से चौथी तिमाही तक क्रमशः 72.5 प्रतिशत, 114.9 प्रतिशत, 115.4 प्रतिशत तथा 81.5 प्रतिशत रहीं। यह देखा गया कि भारत सरकार का जीटीआर संग्रह प्रथम एवं चौथी तिमाही के अनुमान से कम रहा जबकि दूसरी एवं तीसरी तिमाही में परिकल्पित अनुमान की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत अधिक संग्रह हुआ।

सारणी 11 : राज्यों द्वारा एनएसओ लिया जाना - आकस्मिक प्रभाव (रेंडम इफैक्ट) मॉडल

डीईपी.वीएआर	आर ²	एफ	आईएनडी.वीएआरएस	गुणांक/कोइफिसिएंट	टी-एसटीएटी	महत्व/सिग्निफिकेंस
एनएसओ-टीईएक्सपी	0.14	6.14	आरडी_जीएफडी	1.16	1.78	0.0773
			जीजीएसडीपी	-3.99	-2.113	0.0362
			आरडी	-7.62	-2.78	0.0061
			आईटीबीएस	-1.16	-2.505	0.0133

सारणी 12 : सकल कर राजस्व - 2012-13 से 2014-15 का औसत

राशि ₹ करोड़ में

मद	2012-13 से 2014-15 का औसत	2012-13 से 2014-15 का औसत			
		ति 1	ति 2	ति 3	ति 4 अ
भारत सरकार		20%	20%	20%	40%
1 भारत सरकार द्वारा सकल कर राजस्व का बजट अनुमान (बीई)	1,226,002	245,200	245,200	245,200	490,401
2 वास्तविक सकल कर राजस्व	1,140,064	176,696	281,200	282,351	399,817
3 बीई (%) के प्रतिशत के रूप में भारत सरकार द्वारा कर राजस्व प्राप्ति	93.2	72.5	114.9	115.4	81.5
राज्यों को सुपुर्द नियत कार्य		20%	20%	20%	40%
4 राज्यों द्वारा जीटीआर का बजट अनुमान	343,710	68,742	68,742	68,742	137,484
5 भारत सरकार से राज्यों को अंतरित वास्तविक कर राजस्व	315,862	76,956	76,452	75,796	93,184
6 बीई (%) के प्रतिशत के रूप में राज्यों द्वारा कर राजस्व प्राप्ति	92.2	111.9	111.2	110.3	68.6

अ : 2014-15 की ति4 के लिए अंतिम

स्रोत : <http://cga/nic.in/monthly account & Union Budget 2015-16>

4.12 राज्य स्तर पर यह देखा गया कि प्रथम तीन तिमाहियों में राज्यों की प्राप्तियां (कर राजस्व का अंतरण) अनुमानों की तुलना में थोड़ी अधिक अर्थात् क्रमशः 111.9 प्रतिशत, 111.2 प्रतिशत, 110.3 प्रतिशत रहीं, जबकि चौथी तिमाही की प्राप्तियां 68.6 प्रतिशत रहीं। इससे यह पता चलता है कि पहली तिमाही से तीसरी तिमाही के दौरान राज्यों की प्राप्तियां अनुमानों से अधिक रहीं। अन्य शब्दों में, मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए, राज्यों को केंद्र से होने वाले अंतरण अनुमानों के अनुसार रहे और अंतिम तिमाही को छोड़कर, जबकि भारत सरकार का स्वयं का समग्र संग्रह अनुमानों की तुलना में बहुत कम था, कोई अनिश्चितता नहीं पाई गई। बल्कि, अंतिम तिमाही में अंतरण में हुई कमी की भरपाई, भारत सरकार की प्राप्तियों का संग्रह अनुमानों से कम रहने के बावजूद, प्रथम तीन तिमाहियों में अपेक्षाकृत अधिक अंतरण होने से हुई। समग्र रूप से, भारत सरकार से राज्यों को होने वाला अंतरण अनुमानों के अनुरूप रहा तथा अंतिम तिमाही के अलावा कोई अनिश्चितता नहीं देखी गई। तदनुसार, चौथी तिमाही को छोड़कर, केंद्र से हाने वाले अंतरणों के कारण होने वाले नगदी प्रवाह में अंतर सीमित प्रतीत होता है। प्रारंभिक तिमाहियों में 100 प्रतिशत के अतिरिक्त प्राप्तियों को राज्यों को सौंपे जाने से चौथी तिमाही में पात्रता में अपेक्षाकृत कमी होने का पता चलेगा और यह स्वतः अनिश्चितता का संकेत नहीं हो सकता।

डब्लूएमए की सीमा में वृद्धि - मुद्रा आपूर्ति एवं मौद्रिक नीति पर समग्र असर

4.13 रिजर्व बैंक, जो अद्वितीय बैंक है, का बैंकर के रूप में कार्य करने के लिए राज्य सरकारों के साथ समझौता है। रिजर्व बैंक, बैंकर

के रूप में राज्य सरकारों को सामान्य वित्तीय प्रचालनों के लिए अस्थायी अग्रिम प्रदान करता है। राज्य सरकारों को एसडीएफ/डब्लूएमए/ओवरड्राफ्ट के रूप में दिए जाने वाले ऋण एवं अग्रिम उनके नगदी प्रवाह अंतरों पर काबू पाने की अद्वितीय योजना है। एक बार डब्लूएमए की सीमाएं निर्धारित हो जाने के बाद राज्यों को इनको प्राप्त करने की पूरी स्वतंत्रता होती है और यह चलनिधि का स्वायत्तशासी हिस्सा बन जाता है जिस पर केंद्रीय बैंक का बहुत कम नियंत्रण होता है। यदि सरकारें केंद्रीय बैंक में धारित अपने एकल कोषालय खाता (एसटीए) में लक्षित शेष राशि को बनाए रखते हैं तो केंद्रीय बैंक के लिए चलनिधि के पूर्वानुमान की प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान बन जाती है और सक्रिय रूप से नगदी प्रबंधन करने के माध्यम से बैंक के लिए यह सुनिश्चित करना भी आसान हो जाता है कि दिन की समाप्ति पर उनके खाते में लक्षित शेष राशि हो। राज्य सरकारों के लिए भविष्य में इतनी बेहतरीन सुविधा की परिकल्पना नहीं की गई है इसलिए उनको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डब्लूएमए का वर्तमान अनुशासन कमजोर न पड़े।

4.14 अंतिम विश्लेषण के रूप में, वित्तीय प्रणाली में चलनिधि बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को प्रदान किए जाने वाले डब्लूएमए अनिवार्य बन हैं। केंद्र एवं राज्यों की चलनिधि में कमी होने से वित्तीय प्रणाली में चलनिधि में वृद्धि होती है। सैद्धांतिक रूप से यह मूल्य स्थिरता को प्राप्त करने के मौद्रिक नीति के प्राथमिक उद्देश्य के प्रतिकूल हो सकता है। वृद्धि के रूप में देखा जाए तो 2014-15 के दौरान, आरक्षित मुद्रा की तुलना में जमा राशि के हिस्से के रूप में राज्य सरकारों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण में 1.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो 2013-14 में हुई 0.4 प्रतिशत वृद्धि

से अधिक थी। कई गुना वृद्धि होने के बावजूद आरक्षित मुद्रा में राज्य सरकारों को प्रदान किए जाने वाले डब्ल्यूएमए का योगदान अपेक्षाकृत कम स्तर पर बना रहा।

4.15 राज्य सरकारों को दिए जाने वाले डब्ल्यूएमए के पूर्वानुमान करने का कोई तरीका नहीं होने से प्रणालीगत स्तर पर दैनिक/अंतर्दिवसीय आधार पर संभावित चलनिधि अंतर का आकलन करने में रोज के उतार चढ़ावों से परेशानी बढ़ सकती है। राज्य सरकारों द्वारा रिजर्व बैंक से प्राप्त होने वाले डब्ल्यूएमए का सहारा लिया जाना राज्य सरकारों के अस्थायी नगदी प्रवाह अंतरों (निधि संरचनागत कमी को पूरा करने के लिए नहीं) को पूरा करने के लिए बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि के स्वायत्तशासी अंतर्वेशन (बढ़ने) को दर्शाता है जिसे, अन्य शर्तों को समान बनाए रखते हुए, बैंक के चलनिधि प्रबंध उपायों के माध्यम से चलनिधि को निकालते (कम करते) हुए प्रतिसंतुलित करने की आवश्यकता है। हालांकि, व्यवहार में, समग्र चलनिधि प्रबंध में राज्य सरकारों के डब्ल्यूएमए का हिस्सा बहुत कम रहा है। तथापि, यदि सभी राज्य डब्ल्यूएमए लें और दैनिक आधार पर राशि में काफी परिवर्तन हो तो रिजर्व बैंक के चलनिधि प्रबंध में इसका काफी प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए राज्य सरकारों के लिए यह अनिवार्य है कि वे डब्ल्यूएमए का सहारा लेने को सीमित रखें ताकि मौद्रिक स्थिरता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति परिचालनों का फैलने वाला प्रभाव (स्पिलओवर इफैक्ट) कम से कम हो। हाल की अवधि (2013, 2014 एवं 2015 में मार्च की समाप्ति की स्थिति से तुलना करने पर) में वर्ष की समाप्ति पर राज्य सरकारों द्वारा डब्ल्यूएमए का बढ़ा हुआ प्रयोग कुछ चिंता का विषय है।

सहनीयता का स्तर (टॉलरेंस लेवल)

4.16 रिजर्व बैंक के चलनिधि प्रबंध परिचालनों का व्यापक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चलनिधि की परिस्थितियां वित्तीय बाजारों की सुचारू कार्यप्रणाली में अड़चन न बनें और वास्तविक अर्थव्यवस्था में निधि प्रवाह को बाधित न करें (संलग्नक 6)। राज्य सरकारों को डब्ल्यूएमए प्रदान करने के परिणामस्वरूप वित्तीय प्रणाली में चलनिधि में वृद्धि होती है। हालांकि, ऐतिहासिक दृष्टि से, आरक्षित मुद्रा प्रसार में डब्ल्यूएमए लघु अवयव ही बना रहा है। अलग-अलग राज्यों के चलनिधि अंतर के अलग-अलग अस्थायी स्वरूप हैं। 2014-15 में राज्य सरकारों को दिए जाने वाले निवल रिजर्व बैंक ऋण (डब्ल्यूएमए) में हुई वृद्धि आरक्षित मुद्रा में हुए जुटाव की 2 प्रतिशत से कम रही है। डब्ल्यूएमए योजना में नगदी प्रबंध के लिए कड़े अनुशासन का प्रावधान होने, जिसमें अंतिम परिस्थिति में राज्य सरकारों को भुगतान रोकना

जाना भी शामिल है, के कारण ऐसा संभव हो पाया है। इसके अलावा, जब विभिन्न राज्य साल भर डब्ल्यूएमए सुविधा का लाभ ले भी रहे होते हैं तो वे एक ही समय डब्ल्यूएमए विंडो का उपयोग नहीं कर रहे होते हैं।

4.17 डब्ल्यूएमए की सीमाओं का निर्धारण नगदी प्रबंध में अनुशासन का प्रावधान करने और राजकोषीय विवेक को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सलाहकार समितियों द्वारा अपनाई जाने वाली अतीत की प्रथाओं के अनुसार किए जाने की जरूरत है किंतु मौद्रिक और चलनिधि प्रबंध के प्रभावों को भी ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। उक्त को ध्यान में रखते हुए, राजकोषीय समेकन को प्राप्त करने में उनकी प्रगति सहित राज्य सरकारों की जरूरतों के मद्देनजर तथा वर्ष में अधिकतम सीमा के रूप में 14वें वित्तीय आयोग (एफसी) द्वारा अनुशंसित राज्यों को केंद्र द्वारा दिए गए अधिकारों पर गौर करते हुए वृद्धिशील आरक्षित मुद्रा में वृद्धिशील डब्ल्यूएमए का अधिकतम हिस्सा वर्तमान डब्ल्यूएमए सीमा का पूर्ण प्रयोग किए जाने तक 2 प्रतिशत (अर्थात् प्रतिवर्ष ₹4,000 करोड़) से अधिक नहीं होना चाहिए और उसके बाद इसे 1 प्रतिशत (प्रतिवर्ष ₹2,000 करोड़) के अंदर रखा जाना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2012-13 से यह देखा जा रहा है कि राज्य सरकारों द्वारा मिलकर लिया गया अधिकतम डब्ल्यूएमए और ओवरड्रॉफ्ट वर्ष 2012-13 में ₹2,463 करोड़, 2013-14 में ₹1,822 करोड़ तथा 2014-15 के दौरान ₹5,455 करोड़ था। इस प्रकार से, वृद्धिशील आरक्षित मुद्रा में वृद्धिशील डब्ल्यूएमए सहज सह्य सीमा के अंदर रहा है। राज्यों द्वारा डब्ल्यूएमए के प्रयोग के पुराने रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए यह परिकल्पना की गई है कि किसी दिए गए समय पर राज्य, समग्र रूप से डब्ल्यूएमए सुविधा का सहारा नहीं लेंगे, अन्यथा इसके बहुत से मौद्रिक प्रभाव हो सकते हैं।

राज्य सरकारों के नगदी अधिशेष के प्रभाव

4.18 पिछले दशक के दौरान, राज्य सरकारों ने काफी नगदी अधिशेष एकत्र किया है। राज्य सरकारों के नगदी अधिशेष को स्वतः भारत सरकार के आईटीबी में निवेश किया जाता है और यह उसकी (भारत सरकार की) देयता का हिस्सा होता है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर नगदी शेष धनात्मक बनाए रखे जाने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किए जाने के बावजूद लगभग 4-6 राज्यों ने पिछले चार वर्षों के दौरान डब्ल्यूएमए लिया (अनुबंध 4.2)। हालांकि, पिछले पांच वर्षों से राज्य सरकारों ने आईटीबी में औसतन ₹76,300 करोड़ कायम रखा है (अनुबंध 4.3)। इसके अलावा, पिछले तीन वर्षों में कुछ राज्यों ने एटीबी में औसतन लगभग ₹53,800 करोड़ का निवेश किया है (अनुबंध 4.4)।

4.19 वर्तमान में राज्यों के नगदी शेष को स्वतः भारत सरकार के आईटीबी में निवेश किया जाता है जिसमें ब्याज दर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष है, जो बाजार द्वारा निर्धारित होने वाले उधार लेने के अन्य स्वरूपों की तुलना में कम है। आईटीबी दर और उनके उधारियों पर लगने वाली बाजार दर के अंतर से राज्यों को होने वाला राजस्व घाटा स्पष्ट हो जाता है। इस ऋणात्मक प्रभाव पर बहुत से राज्यों ने चिंता व्यक्त है (अनुबंध 8)। राज्यों ने सुझाव दिया है कि बेजबरूआ समिति ने डब्लूएमए/ओवरड्राफ्ट पर आधारभूत ब्याज दर को बैंक दर से बदलकर रेपो दर पर आधारित कर दिया है, इसलिए आईटीबी में राज्यों के निवेश को भी आदर्श रूप में, रेपो दर से संबद्ध कर दिया जाना चाहिए।

4.20 14वें वित्त आयोग का प्रेक्षण था कि राज्य सरकारों ने, समग्र रूप से, हाल के समय में काफी नगदी शेष होने की रिपोर्ट दी है। राज्यों के लिए जोखिम को कवर करने के लिए पर्याप्त नगदी शेष रखना आवश्यक है किंतु अधिक शेष होने से लागत ब्याज भुगतान और अपेक्षाकृत कम पूंजीगत व्यय -दोनों के रूप में अनिवार्य हो जाती है। इस तरह के महंगे बड़े नगदी शेष को समय के दौरान अपने पास रखने को प्रवृत्त करने वाले कारणों का विश्लेषण करने और राज्यों के नगदी शेष को ऋणात्मक रूप में रखने जैसे उपयुक्त मुद्दों का समाधान ढूंढने की जरूरत है। समग्र रूप से, राज्य सरकारों को अपनी नगदी प्रबंध प्रथाओं में सुधार लाने के लिए विवेकपूर्ण उपाय करने चाहिए और यदि पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता तो डब्लूएमए सुविधा लेने में कमी का प्रयास करना चाहिए।

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

5.1 पिछले अध्यायों में हुए विचार-विमर्श के अनुसार ताजा हाल की अवधि में राज्यों की राजकोषीय स्थिति 2006-07 के पहले विद्यमान स्थिति से अलग है, जबकि पिछली सलाहकार समिति (अध्यक्ष : बेजबरुआ) का प्रसार किया गया था। प्रथम - राज्य, 13वें वित्त आयोग में परिकल्पित राजकोषीय अनुशासन, जिसको 14वें वित्त आयोग ने भी दोहराया है, का पालन करने लगे हैं। द्वितीय, राज्यों द्वारा समग्र रूप से डब्लूएमए/ओवरड्राफ्ट लेने में 2006-07 से पहले की स्थिति की तुलना में काफी कमी आई है। सिर्फ कुछ ही राज्यों ने रिजर्व बैंक से बार-बार डब्लूएमए/ओवरड्राफ्ट लिया है, जबकि कुछ राज्यों ने अपने अस्थायी नगदी प्रवाह अंतर को पूरा करने के लिए यदा-कदा ही डब्लूएमए का सहारा लिया। तृतीय, राज्यों द्वारा विवेकपूर्ण ढंग से नगदी प्रबंध के कारण हाल के समय में आईटीबी एवं एटीबी में राज्यों का निवेश काफी बढ़ गया है। चतुर्थ, राज्यों के जीएफडी का वित्तपोषण लघु बचतों तथा वित्तपोषण के पहले देखे गए अन्य स्रोतों की बजाय मुख्यतः बाजार से लिए जाने वाले उधार के माध्यम से हुआ है। 14वें वित्त आयोग ने एनएसएसएफ के परिचालनों से राज्य सरकारों को हटाए जाने की अनुशंसा की है, जिससे राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण में बाजार से लिए जाने वाले उधार का हिस्सा और अधिक बढ़ सकता है। पंचम, रिजर्व बैंक से उधार लेकर जीएफडी का वित्तपोषण करने में काफी कमी आई है। वित्त वर्ष 2014-15 के अंत में सिर्फ छह राज्यों ने डब्लूएमए लिया है जबकि मार्च 2005 में 20 राज्यों ने डब्लूएमए लिया था। अंततः, पिछली समिति द्वारा डब्लूएमए समीक्षा को राजस्व प्राप्तियों, राजस्व व्यय, पूंजीगत लागत तथा ऋणों और अग्रिमों में सीएजीआर के आधार पर 15 प्रतिशत से अधिक किए जाने से राज्यों के बजटों का राजकोषीय आकार काफी बढ़ गया

है। इस पृष्ठभूमि के साथ, समिति ने डब्लूएमए और ओवरड्राफ्ट योजनाओं को राज्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप सबसे उपयुक्त बताने का प्रयास किया है, बशर्ते समुचित राजकोषीय अनुशासन की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाए।

समिति की अनुशंसाएं

डब्लूएमए की सामान्य सीमाएं

5.2 राज्यों की आवश्यकताएं, उभरती राजकोषीय, वित्तीय एवं संस्थागत गतिविधियों के साथ ही साथ मौद्रिक एवं राजकोषीय प्रबंध के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए डब्लूएमए योजना की आवधिक समीक्षा की जाती रही है। जैसा कि इस रिपोर्ट में पहले कहा गया है, डब्लूएमए की सामान्य सीमाओं के नियम को बेजबरुआ समिति की अनुशंसाओं के आधार पर अंतिम बार 2006-07 में संशोधन किया गया था, जिसमें प्रस्ताव किया गया था कि पुनर्भुगतान तथा एक बारगी तदर्थ व्ययों एवं लॉटरी व्ययों (खातों) को छोड़कर हाल के पिछले तीन वर्षों के औसत को आधार माना जाना चाहिए। यह पाया गया कि 1998-2005 के दौरान पिछली तीन सलाहकार समितियों/समूहों ने डब्लूएमए की सीमाएं 34.1 प्रतिशत और 76.4 प्रतिशत के बीच बढ़ाने की अनुशंसा की है (सारणी 13)। विट्टल समिति ने राजस्व प्राप्त तथा पूंजीगत व्यय को आधार के रूप में अपनाया किंतु रामचंद्रन समिति ने राजस्व प्राप्तियों के आधार पर डब्लूएमए की सीमाएं निर्धारित की और बेजबरुआ समिति ने कुल व्यय के साथ राजस्व घाटा और एक बारगी होने वाले व्यय के लिए कुछ सामायोजनों को डब्लूएमए सीमाएं निर्धारित करने के लिए आधार माना। नियम निर्धारित करते समय इस समिति ने डब्लूएमए की वर्तमान सीमाओं, सीमाओं की पर्याप्तता, राज्यों द्वारा डब्लूएमए की प्रयोग किए जाने, अस्थायी अंतर के आकार के साथ ही राज्यों

सारणी 13 : समय के दौरान डब्लूएमए सीमाओं में वृद्धि

निम्नलिखित द्वारा अनुशासित सीमाएं	विशेष श्रेणी से इतर राज्य (₹ करोड़)	विशेष श्रेणी के राज्य (₹ करोड़)	कुल (₹ करोड़)	वृद्धि (%)
सलाहकार समिति पर आधारित समीक्षा से पहले की सीमाएं	2.033	202	2.234	
विट्टल समिति (1998)	3.589	352	3.941	76.4
एसएफएस का समूह (2000)	4.794	489	5.283	34.1
रामचंद्रन समिति (2003)	6.445	725	7.170	35.7
बगजबारुह समिति (2005)	8.820	1,055	9,875	37.7
वर्तमान सीमाएं (11 नवंबर 2013 से)	13.305	2,055	15,360	55.5

टिप्पणी : पुदुच्चेरी संघ शासित क्षेत्र एवं जम्मू और कश्मीर से संबंधित अर्थोपाय अग्रिम सीमाएं क्रमशः 2007-08 एवं 2011-12 में शामिल की गईं।

की राजकोषीय स्थिति, राजकोषीय-मौद्रिक समन्वय इत्यादि जैसे समष्टिगत आर्थिक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

समिति के प्रेक्षण

5.3 **वर्तमान स्थिति** : जैसा कि पहले कहा गया, राज्य सरकारों के लिए डब्ल्यूएमए सीमाओं की वर्तमान योजना 2006-07 में बेजबरुआ समिति के नियम⁸ के आधार पर प्रारंभ की गई, जिसकी सीमा ₹9,875 करोड़⁹ थी। तब से, डब्ल्यूएमए सीमाओं के संबंध में वार्षिक समीक्षाएं की गईं। हालांकि सीमाएं अपरिवर्तित रहीं क्योंकि उपयोग का स्तर निम्न था और नियमित रूप से उन्हीं 8 से 10 राज्यों द्वारा लिया गया (सारणी 8)। उसके बाद, मई 2013 में आयोजित एसएफएस सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श के साथ ही रिजर्व बैंक द्वारा कुछ राज्यों के नगदी प्रवाह विश्लेषण के आधार पर संशोधन 11 नवंबर 2013 से प्रभावी हुए जिसमें डब्ल्यूएमए सीमाओं को वर्तमान सीमाओं में 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई और डब्ल्यूएमए नियम की समग्र समीक्षा इस समिति द्वारा निर्धारित की जानी थी।

5.4 **डब्ल्यूएमए/ओवरड्राफ्ट सीमाओं की पर्याप्तता** : बहुत से राज्यों द्वारा रिजर्व बैंक से अग्रिम का सहारा लिए बगैर ही अपने नगदी प्रवाहों का प्रबंध किया किंतु कुछ राज्यों ने अपने अस्थायी नगदी प्रवाह अंतर को पाटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से डब्ल्यूएमए/ओवरड्राफ्ट लिया। नवंबर 2013 में डब्ल्यूएमए की सीमा में वृद्धि करने करने का उद्देश्य कुछ राज्यों को अक्सर ओवरड्राफ्ट लेने से रोकना था। हालांकि, इसके बाद स्थिति में अधिक सुधार नहीं हुआ। इस प्रकार से कुछ राज्यों के वित्त में उनकी चलनिधि जरूरतों और उनके संरचनागत असंतुलनों के बीच अंतर कर पाने में मुश्किलें हैं। इसलिए यदि डब्ल्यूएमए को अतिरिक्त वित्त माना जाता है तो एफआरबीएम के दौर में यह उपयुक्त नहीं होगा। इसके साथ ही, राज्यों की अस्थायी चलनिधि परेशानियों को पाटने की वास्तविक आवश्यकता भी हो सकती है। इस प्रकार से,

⁸ कार्य-प्रणाली के अनुसार, औसत आधार को पिछले तीन वर्षों (लेखे) के कुल व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें पुनर्भुक्तानों को शामिल नहीं किया जाता और एक बार होने वाले तदर्थ व्ययों को समायोजित किया जाता है। डब्ल्यूएमए सीमा निर्धारित करने के लिए, औसत आधार को गैर-विशिष्ट श्रेणी राज्यों के लिए 3.1 प्रतिशत से तथा विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 4.1 प्रतिशत से गुणा किया जाता है और ₹5 करोड़ के निकटतम गुणक के रूप में पूर्णांकित किया जाता है।

⁹ संघ शासित क्षेत्र पुदुच्चेरी तथा जम्मू एवं कश्मीर को क्रमशः 2007-08 एवं 2011-12 में शामिल किया गया और तदनुसार सीमा बढ़ाकर 10,240 करोड़ की गई।

राज्यों के राजकोषीय आकार में पर्याप्त वृद्धि को ध्यान में रखते हुए और राजकोषीय गतिविधियों के साथ तादात्म्य बनाए रखते हुए कुछ छूट प्रदान करने के लिए समिति ने यह महसूस किया कि इस स्थिति में डब्ल्यूएमए सीमाओं में संशोधन की आवश्यकता है।

5.5 **घाटा सूचकों एवं डब्ल्यूएमए सीमाओं के बीच संबंध**: अनुभवसिद्ध साक्ष्यों से संकेत मिलता है कि यदि राजस्व व्यय में वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक राजस्व में कवर की गई प्राप्तियों से अधिक हो तो समय के दौरान राजस्व घाटा कम होता है और यह रिजर्व बैंक से अपेक्षाकृत कम डब्ल्यूएमए लिए जाने में परिणत होता है। हालांकि, सभी राज्यों की राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि राजस्व व्यय की वृद्धि के अनुरूप नहीं रही, जिसके कारण कुछ राज्यों को भारतीय रिजर्व बैंक से अधिक डब्ल्यूएमए/ओवरड्राफ्ट लेना पड़ा।

5.6 **राजकोषीय-मौद्रिक समन्वय** : राज्य सरकारों के बैंकर के रूप में रिजर्व बैंक को ऐसा स्पेस उपलब्ध कराना होता है जिसमें न्यायसंगत अंतरों को समुचित तरीके से निपटाए जाने की अपेक्षा की जा सके। ऐसे स्पेस के अंतर्गत राज्यों के राजस्वों तथा व्यय प्रवाहों को ठीक करने की अपेक्षा नहीं होती है। इसके साथ ही, रिजर्व बैंक से होने वाले प्रवाहों को बैंक की मौद्रिक नीति संबंधी परिचालनों में बाधा नहीं बनना चाहिए, विशेषरूप से चलनिधि प्रबंध के संबंध में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए, चलनिधि को सख्त स्तर पर बनाए रखने के राजकोषीय-मौद्रिक समन्वय की दृष्टि से डब्ल्यूएमए की अधिकतम सीमा के आंतरिक आकलन से इस पक्ष में संकेत मिलता है कि समीक्षा किए जाने पर वृद्धिशील आरक्षित मुद्रा में वृद्धिशील डब्ल्यूएमए के अधिकतम हिस्से को, ₹15,360 करोड़ की वर्तमान डब्ल्यूएमए सीमा को समाप्त किए जाने तक आदर्शरूप से 2 प्रतिशत तक सीमित किया जाना चाहिए और डब्ल्यूएमए की वर्तमान सीमा को पार कर लिए जाने पर उसे 1 प्रतिशत के अंदर रखा जाना चाहिए। मुद्रास्फीति को लक्षित करने के दौर वाले इस वातावरण में मौद्रिक स्थिरता परिचालनों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, बढ़े हुए डब्ल्यूएमए का रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति परिचालनों पर पड़ने वाले फैलाव के प्रभाव को न्यूनतम करना आवश्यक है। वित्तीय वर्ष 2012-13 से यह देखा गया कि सभी राज्यों द्वारा सम्मिलित रूप से लिया गया अधिकतम डब्ल्यूएमए तथा ओवरड्राफ्ट 2012-13 में ₹2,463 करोड़, 2013-14 में ₹1,822 करोड़ तथा 2014-15 में ₹5,455 करोड़ था। इस तरह से, वृद्धिशील आरक्षित मुद्रा में वृद्धिशील डब्ल्यूएमए सहज सख्त सीमा के अंतर्गत था। 2015-16

के दौरान (सितंबर 2015 तक), राज्यों द्वारा किसी भी समय पर लिया गया अधिकतम डब्लूएमए/ओवरड्राफ्ट ₹4,864 करोड़ रहा। उक्त को ध्यान में रखते हुए, मौद्रिक स्थिरता की दृष्टि से, बढ़ी हुई डब्लूएमए सीमा के फैलाव प्रभाव के सीमित रहने की संभावना है।

डब्लूएमए नियम

5.7 समिति ने उपर्युक्त चर्चा में शामिल सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए विस्तृत विचार-विमर्श किया और डब्लूएमए सीमा के लिए नियम निर्धारित करने के लिए समायोजनकारी मार्ग की रूपरेखा तैयार करने का निर्णय लिया। इस उपागम के अनुसार, समिति ने विभिन्न परिदृश्यों/डब्लूएमए में संशोधन के आधार के ब्योरे, यथा जीएफडी, जीएसडीपी, कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां, राजस्व घाटे को घटाकर कुल व्यय इत्यादि; को डब्लूएमए नियम का आधार बनाने पर विचार किया।

5.8 चूंकि डब्लूएमए नगदी प्रवाहों में अस्थायी अंतरों के वित्तपोषण के लिए होता है, इसलिए सीमाओं का सामान्य रूप से निर्धारण करने में राजस्व एवं व्यय के प्रवाह में परिवर्तन तथा परिणामी अंतर और इस तरह के अंतरों को अपने स्वयं के स्रोतों से कवर करने के लिए राज्य की क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए, राज्यों से संबंधित डब्लूएमए सीमाओं का उद्भव कुछ सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए जो नगदी प्रवाह के अंतर को समाहित करें। तदनुसार, समिति ने नगदी प्रवाहों को निरूपित करने वाले सरलीकृत नियम के पक्ष में भी निर्णय लिया। उक्त के मद्देनजर, व्यय/प्राप्तियों के विभिन्न संयोग के आधार पर अलग-अलग प्रयोग किए गए, जिनको अनुबंध 7 में सूचीबद्ध किया गया है। डब्लूएमए नियम के विभिन्न संयोगों पर समुचित विचार-विमर्श करने के बाद समिति ने डब्लूएमए सीमा की गणना के लिए कुल व्यय को आधार के रूप में अपनाने का निर्णय लिया, जो राज्य स्तर पर नगदी प्रवाह पूर्वानुमान के ढांचे की अनुपस्थिति में नगदी प्रवाह के लिए तार्किक स्थानापन्न होगा। यह उल्लेख किया जा सकता है कि राजस्व घाटे को छोड़कर कुल व्यय के औसत आधार पर आधारित न्यूनतम शेष की समीक्षा भी मार्च 1999 में की गई थी।

कुल व्यय पर आधारित डब्लूएमए की गणना

5.9 पिछले दस वर्षों के दौरान केंद्र और राज्य वित्तों में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए यह महसूस किया गया कि राज्यों को डब्लूएमए लेने के संबंध में समुचित मध्यावधि

की राहत प्रदान करने का मामला बनता है। 13वें वित्त आयोग ने राजकोषीय दृष्टि से दबावग्रस्त राज्यों की राजकोषीय स्थिति पर विचार करने के बाद 2014-15 तक सभी राज्यों द्वारा उनके राजस्व घाटे को समाप्त करने की अनुशंसा की थी। हालांकि, वर्ष के दौरान लगभग 12 राज्यों को राजस्व घाटा हुआ। इसलिए, डब्लूएमए नियम के आधार की उपयुक्तता का विश्लेषण करने के समय राजस्व प्राप्ति पर विचार नहीं किया गया। जीएसडीपी के मामले में यह देखा गया कि कुछ राज्यों का जीएसडीपी उनके राजकोषीय आकार के अनुरूप नहीं था। इसलिए इस आधार पर नियम को अपनाए जाने से स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। इसी प्रकार से, बहुत से राज्यों के पूंजीगत व्यय में वृद्धि राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों की तुलना में बहुत कम रहने के कारण डब्लूएमए नियम इनके अनुसार तैयार करने का प्रयास नहीं किया गया। इसके विपरीत, कुल व्यय पर आधारित डब्लूएमए नियम सभी राज्यों के राजकोषीय आकार के अनुसार कुछ हद तक सीमाओं का एक समान वितरण दर्शा रहा था। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, **समिति ने अनुशंसा किया कि राजकोषीय वर्ष 2017-18 के प्रारंभ होने तक लॉटरी व्यय को समायोजित करते हुए डब्लूएमए सीमा को कुल व्यय के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।**

डब्लूएमए की सीमा राशि

5.10 पिछले नियम पर आधारित डब्लूएमए समीक्षा किए जाने से लॉटरी व्यय को छोड़कर कुल व्यय से सीएजीआर की गणना 15.4 प्रतिशत रहने से यह विचार किया गया कि डब्लूएमए की मात्रा में वृद्धि भी कुल व्यय में वृद्धि के अनुरूप होनी चाहिए। तदनुसार, सभी राज्यों के लिए डब्लूएमए की मात्रा ₹32,225 करोड़ मानी गई।

राज्य-वार सीमा

5.11 विशेष श्रेणी के राज्य अपनी राजस्व प्राप्तियों का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा केंद्रीय योजना सहायता सहित भारत सरकार से होने वाले अंतरणों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, इसलिए समिति ने यह महसूस किया कि डब्लूएमए सीमाएं निर्धारित करने के लिए विशेष और गैर-विशेष राज्यों के रूप में वर्गीकरण को 14 वें वित्त आयोग द्वारा विशेष श्रेणी और गैर-विशेष श्रेणी राज्यों के बीच अंतर को समाप्त कर दिए जाने के बावजूद जारी रखा जाए। हालांकि, नीति आयोग ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं (अक्टूबर 2015) से संबंधित मुख्य मंत्रियों के उप समूह की अपनी रिपोर्ट में विशेष श्रेणी राज्यों को हिमालयीन राज्यों (3 राज्य) एवं उत्तर पूर्वी राज्य (8 राज्य) के रूप में वर्गीकृत किया

है। इसलिए, उक्त वर्गीकरण से यथासंभव अनुरूपता बनाए रखने के लिए इस रिपोर्ट में विशेष श्रेणी राज्यों के स्थान पर हिमालयीय राज्य और उत्तर पूर्वी राज्य (एचएस एंड एनईएस) नामों का प्रयोग किया गया है। वितरण के आधार के रूप में कुल व्यय को माने जाने के अनुसार डब्ल्यूएमए की मात्रा का राज्यों में वितरण सर्वसम्मत नियम के अनुसार किया गया, जिसमें विभिन्न अन्य मुद्दों को भी ध्यान में रखा गया जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

5.12 डब्ल्यूएमए की तादात को एचएसएंडएनएसई तथा अन्य राज्यों के बीच 12.81: 87.19 के अनुपात में वितरित किया गया जो 2005-06 से प्रेक्षित वितरण अनुपात का औसत था। इसके बाद, एचएसएंडएनएसई तथा अन्य राज्यों के संबंध में सीमा आधार, जो पिछले तीन वर्षों (वर्ष 2011-12 से 2013-14) के दौरान के वित्तीय खातों से राज्यों के निगमित लॉटरी व्यय को छोड़कर कुल व्यय (राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय का जोड़) का औसत था, की तुलना में क्रमशः 2.78 प्रतिशत एवं 2.03 प्रतिशत के अनुपात¹⁰ के हिसाब से प्राप्त की गई (अनुबंध 5)। गणना की गई सीमाओं को अगले ₹5 करोड़ में पूर्णांकित किया गया। राज्यों की गणना की गई सीमाओं में देखा गया कि डब्ल्यूएमए सीमाओं में वृद्धि की दर का दायरा विभिन्न राज्यों के बीच 33.3 प्रतिशत से 149.3 प्रतिशत रहा। इसलिए, विभिन्न राज्यों के बीच समग्र वृद्धि को बरकरार रखने और गैर-राज्यों के संबंध में कमी लाने के लिए इससे कम वृद्धि दर उपलब्ध कराने पर इसकी उच्चतम सीमा निर्धारित करने पर भी विचार किया गया। इस उपागम के संबंध में डब्ल्यूएमए सीमाओं को वृद्धि की औसत दर के आसपास सामान्यरूप से वितरित करने के लिए मानक विचलन का प्रयोग किया गया। तदनुसार, अंतर-राज्यी समता को बनाए रखने के लिए डब्ल्यूएमए की संशोधित सीमाओं के अंतर्गत अधिकतम वृद्धि 132 प्रतिशत तथा न्यूनतम वृद्धि 70.6 प्रतिशत निर्धारित की गई। पुदुच्चेरी के संबंध में डब्ल्यूएमए की संशोधित सीमा बहुत कम रहने के कारण संघ शासित राज्यों के लिए एचएसएंडएनएसई से संबंधित गुणक अनुपात का प्रयोग किया गया। तदनुसार, राज्य-वार प्रस्तावित डब्ल्यूएमए सीमाओं को सारणी 14 में दर्शाया गया है। **समिति ने यह अनुशंसा की है कि संशोधित सीमाओं को वर्तमान वित्तीय वर्ष में जनवरी 2016 से लागू किया जाए। ये**

¹⁰ अनुपात की गणना गैर-एचएस एंड एनईएस के डब्ल्यूएमए की मात्रा को उनके सकल आधार तथा एचएस एंड एनईएस के लिए अन्य से विभाजित कर की गई।

सारणी 14 : अर्थोपाय अग्रिम की प्रस्तावित सीमाएं

(₹ करोड़)

क्र. सं.	राज्य	वर्तमान सीमा	औसत आधार (2011-12 से 2013-14)	अनुशंसित सीमा	% वृद्धि
I. अन्य राज्य (एसएस एवं एनईएस से इतर) (अनुपात : 2.03 प्रतिशत)					
1	आंध्र प्रदेश	770.0	127,317	1,510	96.1
2	बिहार	637.5	69,931	1,420	122.7
3	छत्तीसगढ़	285.0	34,327	660	131.6
4	गोआ	97.5	7,483	170	74.4
5	गुजरात	945.0	94,139	1,915	102.6
6	हरियाणा	442.5	45,064	915	106.8
7	झारखंड	420.0	28,824	720	71.4
8	कर्नाटक	937.5	97,669	1,985	111.7
9	केरल	525.0	59,668	1,215	131.4
10	मध्य प्रदेश	690.0	84,640	1,600	131.9
11	महाराष्ट्र	1,740.0	166,541	3,385	94.5
12	ओडिसा	450.0	48,497	985	118.9
13	पंजाब	540.0	42,934	925	71.3
14	राजस्थान	757.5	80,246	1,630	115.2
15	तमिलनाडु	1,095.0	121,685	2,475	126.0
16	तेलंगाना	550.0	55,000	1,080	96.4
17	उत्तर प्रदेश	1,530.0	176,051	3,550	132.0
18	पश्चिम बंगाल	817.5	95,859	1,895	131.8
उप-योग (I)¹¹		13,230.0	1,380,873	28,035	109.3
II. एचएस एवं एनईएस (अनुपात : 2.78 प्रतिशत)					
19	अरुणाचल प्रदेश	97.5	6,933	195	100.0
20	असम	450.0	33,732	940	108.9
21	हिमाचल प्रदेश	285.0	19,771	550	93.0
22	जम्मू एवं कश्मीर	472.5	31,539	880	86.2
23	मणिपुर	90.0	7,008	195	116.7
24	मेघालय	90.0	6,292	175	94.4
25	मिजोरम	82.5	5,698	160	93.9
26	नागालैंड	120.0	6,955	205	70.8
27	त्रिपुरा	150.0	7,097	255	70.0
28	उत्तराखंड	217.5	18,991	505	132.2
उप-योग (II)		2,055.0	144,017	4,060	96.6
29	पुदुच्चेरी	75.0	4,121	130	73.3
कुल (सभी राज्य)		15,360.0	1,529,011	32,225	103.7

सीमाएं दो वर्षों के लिए दिसंबर 2017 तक लागू रहेंगी।

उसके पश्चात, अगले अनुच्छेदों में दिए गए विवरणों के अनुसार समीक्षा की जा सकती है। एचएसएंडएनएसई तथा अन्य राज्यों का 2.78 प्रतिशत तथा 2.03 प्रतिशत के कुल व्यय के गुणक अनुपात

¹¹ संघ शासित क्षेत्र पुदुच्चेरी की सीमा क्र. सं. 29 में दी गई है।

की सटीक गणना उनकी औसत राजस्व प्राप्तियों की क्रमशः 36.08 प्रतिशत एवं 42.28 प्रतिशत की गई है। इस श्रेणी की सीमा से, राजस्व प्रवाहों में किसी अप्रत्याशित कमी होने के कारण उत्पन्न होने वाले चलनिधि अंतरों को कवर करने के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहेगी ताकि बढ़ते हुए व्यय का ध्यान रखा जा सके।

भावी संशोधन के लिए दिशानिर्देश

5.13 समिति ने यह महसूस किया कि डब्ल्यूएमए सीमा को कुल व्यय से संबद्ध करने से राज्यों को अपेक्षाकृत अधिक डब्ल्यूएमए लेते हुए व्यय में वृद्धि करने को प्रोत्साहन मिल सकता है। जिन राज्यों में राजस्व अधिशेष है उनके मामले में ऐसा होने की संभावना नहीं है किंतु जिन राज्यों में संरचनागत राजस्व की कमी है उनके लिए यह चिंता का विषय हो सकता है। इसके साथ ही, राज्य एफआरबीएम नियम के तहत बाध्य भी हैं।

5.14 14वें वित्त आयोग ने अपनी अनुशंसाओं में राज्य वित्त को प्रभावित करने वाले संरचनागत मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की है। व्यक्तिगतः राज्यों की राजकोषीय स्थिति के मध्यावधि आकलन के आधार पर आयोग ने 11 राज्यों को हस्तांतरण के पश्चात राजस्व घाटा अनुदान प्रदान करने की अनुशंसा की है। राज्यों को अपने आकलन में इन अनुदानों के माध्यम से ऊर्ध्ववाधर एवं क्षैतिज हस्तांतरण के साथ में संरचनागत राजस्व घाटों को समाप्त करना चाहिए। आयोग की अनुशंसाओं को लागू किए जाने की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2015-16 से की गई। राज्यों को, नए ऊर्ध्ववाधर एवं क्षैतिज हस्तांतरण के अनुरूप अपने वित्त को समायोजित करने के लिए थोड़े संक्रमण काल की आवश्यकता है। इसलिए, समिति का मत है कि इस प्रकार के संक्रमण को प्रभावी होने के लिए थोड़ा समय प्रदान करने की जरूरत है। अतः, **समिति यह अनुशंसा करती है कि रिजर्व बैंक 2017 में समीक्षा करेगा, जबकि वित्त वर्ष 2015-16 के लिए कुल व्यय के अंतिम आंकड़े उपलब्ध होंगे।** उस वर्ष से प्रारंभ करके, डब्ल्यूएमए सीमाओं का आधार कुल व्यय में से किसी भी प्रकार के राजस्व घाटा और लॉटरी व्यय को घटाकर निर्धारित किया जाना चाहिए। इस प्रकार से वित्त वर्ष 2018-19 के लिए डब्ल्यूएमए सीमाएं 2015-16 के लिए उपर्युक्त समायोजन के अनुसार व्यय पर आधारित होंगी।

5.15 कुछ राज्य 2014-15 से डिस्कॉम बांड जारी करते आए हैं, जिनसे प्राप्त होने वाली राशि को राज्य वितरण कंपनियों का इक्विटी आधार विस्तृत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह ऐसी राजकोषीय लागत है जो सरकार के नियमित पूंजीगत व्यय कार्यक्रम

का हिस्सा नहीं होती है। इसलिए, डब्ल्यूएमए व्ययों के आकार के आकलन में इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

विशेष आहरण सुविधा

5.16 राज्य सरकारें अपने नगदी प्रवाहों में अस्थायी अंतर को पाटने के लिए पहले भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में किए गए निवेश के संपार्श्विक के ऐवज में विशेष आहरण सुविधा, एटीबी एवं सीएसएफ एवं जीआरएफ में वृद्धिशील निवेशों का सहारा लेते हैं। समिति का मत है कि विशेष आहरण सुविधा लिए जाने को भारत सरकार की प्रतिभूतियों में किए गए निवेशों के संपार्श्विकों से संबद्ध किया जाना बिना किसी उच्च सीमा के जारी रखा जाना चाहिए और 5 प्रतिशत का सामान्य हेयरकट मार्जिन लागू रहेगा।

* सीएसएफ/जीआरएफ निवेश एवं एसडीएफ लिया जाना

5.17 अधिकांश राज्यों ने सीएसएफ योजना तैयार की है और ऐसे निवेशों के ऐवज में एसडीएफ सुविधा का प्रयोग करते आए हैं। वर्तमान में, राज्यों के निवल वृद्धिशील वार्षिक निवेश (अर्थात्, विगत वर्ष की अनुरूप अवधि में रहे स्तर के अतिरिक्त बकाया शेष) को एसडीएफ लेने की पात्रता होती है जिसकी अधिकतम सीमा राज्य के लिए निर्धारित डब्ल्यूएमए की सीमा होती है। रामचंद्रन समिति ने यह अनुशंसा किया कि केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश के आधार पर, जो भारमुक्त हों तथा दोहरे रेहन के मुद्दे से बचने के लिए इसमें उन प्रतिभूतियों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए जो सीएसएफ/जीआरएफ के तहत कवर हों, एसडीएफ को विशेष योजना के रूप में जारी रहना चाहिए। हालांकि, बेजबरआ समिति ने सीएसएफ एवं जीआरएफ तैयार किए जाने को प्रोत्साहन देने के लिए डब्ल्यूएमए की सीमा तक इन निधियों में वृद्धिशील निवेश के संपार्श्विकों के ऐवज में एसडीएफ की पात्रता की अनुशंसा की।

5.18 सीएसएफ योजना के अनुसार, राज्यों को अपनी उच्च लागत वाली देयताओं का पुनर्भुक्तान करने के लिए पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक ब्याज से होने वाली उपचयित एवं संचित आय का आहरण करने के लिए पात्र हैं और राज्य ऐसा करते आए हैं। सीएसएफ से मूलधन की निकासी के संबंध में योजना में उल्लेख है कि किए गए निवेशों की पांच वर्षों की समयबंदी के बाद उचित समय पर उसकी समीक्षा की जा सकती है। किए गए निवेश की समय बंदी समाप्त होने के साथ ही कुछ राज्य सरकारों ने उनके उच्च लागत वाले उधारों के पुनर्भुक्तान के साथ ही निधि के किफायती उपयोग हेतु सीएसएफ के मूलधन की निकासी का अनुरोध किया है।

5.19 मई 2015 में आयोजित एसएफएस के 28वें सम्मेलन में चर्चा की मद के रूप में उक्त पर विचार-विमर्श किया गया जिसमें राज्यों ने अलग से यह अनुरोध किया कि सीएसएफ से मूलधन की निकासी के बाद एसडीएफ की पात्रता सीमा को कम नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे राज्य उच्च लागत वाले डब्ल्यूएमए/ओवरड्राफ्ट लेने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसके अलावा, एसडीएफ सुविधा निधि को कायम रखने के लिए प्रोत्साहन के रूप में कार्य करती है और निकासी किए जाने पर एसडीएफ की पात्रता सीमा घट जाती है क्योंकि यह वृद्धिशील निवेश से संबद्ध है।

समिति के लिए विचार की अतिरिक्त मदें (टीओआर)

5.20 एसएफएस सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श के मद्देनजर, सीएसएफ से निकासी और एसडीएफ की पात्रता पर इसके परिणामी प्रभाव के मुद्दों को आगे विचार करने और उन पर अनुशंसा करने के लिए समिति को सौंपा गया। समिति ने पाया कि एसडीएफ की पात्रता में कमी लाए बगैर मूलधन एवं ब्याज से होने वाली उपचयित एवं संचित आय का आहरण करने की अनुमति प्रदान करने से निधि के परिशोधन के रूप में सीएसएफ को कायम रखने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। एसएफएस सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श के साथ ही सीएसएफ/जीआरएफ निकासी पर एसडीएफ की पात्रता के प्रभावों के पक्ष और विपक्ष में समिति द्वारा किए गए विचार-विमर्श के मद्देनजर यह प्रस्तावित किया जाता है कि **एसडीएफ पात्रता में कमी करने के लिए सीएसएफ एवं जीआरएफ में किए जाने वाले वृद्धिशील निवेशों की वर्तमान प्रणाली को जारी रखा जाना चाहिए।**

5.21 समिति का प्रेक्षण था कि कुछ राज्यों द्वारा सीएसएफ एवं जीआरएफ में किए गए वृद्धिशील निवेश उनके लिए उपलब्ध एसडीएफ सीमा से बहुत अधिक था (सारणी 15)। दूसरे शब्दों में, सीएसएफ में राज्यों के बड़े निवेश का उद्देश्य इससे संबद्ध एसडीएफ सुविधा के अतिरिक्त उद्देश्य को पूरा करने की अपेक्षा किसी भी प्रकार के भुगतान की बाध्यता को पूरा कर पाने के लिए निधि जुटाना है। समिति ने इसके आगे यह भी पाया कि वर्तमान में सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों एवं एटीबी जैसे राज्यों के अन्य निवेश भारमुक्त हैं और ऐसे निवेश एसडीएफ के लिए अर्ह हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। सीएसएफ एवं जीआरएफ राशि को उदारतापूर्वक निर्मित करने के लिए प्रोत्साहन के अलावा सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों तथा एटीबी पर लागू पात्रता के अनुरूप बनाए जाने के लिए समिति यह **अनुशंसा**

सारणी 15 : सीएसएफ/जीआरएफ निवेश तथा एसडीएफ पात्रता - मार्च 2015 के अंत की स्थिति के अनुसार

(₹ करोड़)

क्र. सं.	राज्य	सीएसएफ/जीआरएफ में उत्तरोत्तर निवेश	सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा	एसडीएफ सीमा	एसडीएफ के लिए हिसाब में नहीं लिया गया निवेश
1	आंध्र प्रदेश	1105.44	770.00	770.00	335.44
2	अरुणाचल प्रदेश	50.55	97.50	50.55	0.00
3	असम	604.90	450.00	450.00	154.90
4	बिहार	1141.14	637.50	637.50	503.64
5	छत्तीसगढ़	375.20	285.00	285.00	90.20
6	गोआ	0.00	97.50	0.00	0.00
7	गुजरात	1085.20	945.00	945.00	140.20
8	हरियाणा	0.00	442.50	0.00	0.00
9	कर्नाटक	153.15	937.50	153.15	0.00
10	केरल	113.85	525.00	113.85	0.00
11	महाराष्ट्र	0.00	1740.00	0.00	0.00
12	मणिपुर	55.68	90.00	55.68	0.00
13	मेघालय	58.95	90.00	58.95	0.00
14	मिजोरम	55.20	82.50	55.20	0.00
15	नागालैंड	71.33	120.00	71.33	0.00
16	ओडिसा	1590.60	450.00	450.00	1140.60
17	पुदुच्चेरी	136.08	75.00	75.00	61.08
18	तमिलनाडु	711.82	1095.00	711.82	0.00
19	तेलंगाना	528.32	550.00	528.32	0.00
20	त्रिपुरा	66.51	150.00	66.51	0.00
21	उत्तराखंड	375.74	217.50	217.50	158.24
22	पश्चिम बंगाल	1071.90	817.50	817.50	254.40

करती है कि दिनांकित प्रतिभूतियों तथा एटीबी निवेशों के अनुरूप सीएसएफ एवं जीआरएफ में किए जाने वाला संपूर्ण वृद्धिशील निवेश बिना किसी सीमा के एसडीएफ के लिए पात्र होगा। सीएसएफ एवं जीआरएफ को विशिष्ट उद्देश्य (प्रथम प्रभार) के लिए निर्मित किया गया है, इन निधियों से निकासी को एसडीएफ (द्वितीय प्रभार) की पात्रता को स्वतः सीमित करना होगा क्योंकि जिन प्रतिभूतियों की निकासी की गई वे संपार्श्विक के रूप में उपलब्ध नहीं होंगे। **इसलिए, समिति यह अनुशंसा भी करती है कि इस तरह के दोहरे रेहन के मामलों को टालने के लिए एसडीएफ पात्रता को दैनिक आधार पर निर्धारित किया जाना है।** इससे राज्यों को इस निधि में योगदान करने का प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ ही, अपेक्षाकृत अधिक एसडीएफ सीमा होने से राज्यों के ब्याज भुगतान में कमी आएगी क्योंकि डब्ल्यूएमए से पहले एसडीएफ उपलब्ध होती है और इसमें डब्ल्यूएमए की तुलना में एक प्रतिशत कम ब्याज लगता है। परिणामतः, राज्यों को ओवरड्राफ्ट की उपलब्धता भी कम हो सकती है। यह भी अपेक्षाकृत कम ब्याज व्यय में परिणत हो सकता है।

5.22 समिति का प्रेक्षण था कि सीएसएफ ऋण शोधन निधि होती है, जो राजकोषीय/बाजार में दबाव की स्थिति में पुनर्भुक्तान की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए सहज स्थिति निर्मित करता है, निवेशकों के भरोसे को मजबूत करती है और उसके माध्यम से प्राथमिक बाजार से वाजिब लागत पर राज्य की उधार लेने की सुविधा उपलब्ध कराती है। सीएसएफ निवेश तथा बहुत अल्पावधि में विकास व्यय के बीच संबंध हो सकता है किंतु भुगतान स्थगित करने (रॉल ओवर) के जोखिम एवं कर्ज संवहनीयता और विकास के बीच भी संबंध है। राजस्व/राजकोषीय घाटे के संदर्भ में भी हो तो सीएसएफ निवेश काफी महत्व का होता है क्योंकि कर्ज के रॉल-ओवर जोखिम को कम करते समय कम आर्थिक प्रतिलाभ वाले व्यय को कम करने की संभावना होती है। इसलिए समिति यह आग्रह करती है कि कुछ शेष राज्य सीएसएफ योजना में शामिल हो जाएं। इससे अस्थायी नगदी प्रवाह अंतर के समय राज्यों को एसडीएफ की और जरूरत के समय किसी देयता का पुनर्भुक्तान करने के लिए निधि से आहरण की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

एटीबी में निवेश और एसडीएफ का लिया जाना

5.23 हाल के समय में यह देखा गया है कि कुछ राज्य सरकारें विवेकपूर्ण ढंग से नगदी प्रबंध करने का प्रयास किए बगैर ब्याज दर में अंतर होने के कारण अपने आईटीबी शेष को एटीबी में अंतरित करती हैं। परिणामतः, कुछ राज्य अपने नगदी शेष को एटीबी में निवेश करने के पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक से एसडीएफ लेते हैं। हालांकि, ऐसा किया जाना हुंडी के क्रय-विक्रय (आर्बिट्राज) करने के तुल्य होगा क्योंकि एसडीएफ, डब्ल्यूएमए की तुलना में कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे परिदृश्य के अंतर्गत, राज्य उनके नगदी प्रवाह में अस्थायी अंतर को पाटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से एसडीएफ विंडो के माध्यम से रियायती राशि प्राप्त करते हैं जबकि उनकी अधिशेष नगदी राशि का निवेश एटीबी, जैसे कि 91 दिवसीय खजाना बिलों में होता है, जो अपेक्षाकृत अधिक प्रतिलाभ प्रदान करते हैं।

5.24 बेजबरूआ समिति ने यह अनुशंसा किया कि, “ राज्यों को उनके नगदी अधिशेष को भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है, बशर्ते कि उन्होंने ठीक पहले के निरंतर 90 दिनों की अवधि में डब्ल्यूएमए नहीं लिया हो। 90 दिनों की न्यूनतम विनिर्दिष्ट अवधि डब्ल्यूएमए की अवधि के अनुरूप होगी तथा इसे अपेक्षाकृत दीर्घावधि निवेश के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक से ली गई राशि को किसी संभावित लाभ के लिए अल्पावधि निवेश में डाले जाने से रोकने में मदद करनी चाहिए। ” चूंकि एटीबी भी सरकारी प्रतिभूतियां ही होती हैं इसलिए राज्यों के लिए यह उपयुक्त होगा कि यदि उन्होंने पिछले 90 दिनों में एसडीएफ का लाभ

नहीं लिया हो तो वे एटीबी में निवेश करें। इसके अलावा, राज्यों को विवेकपूर्ण ढंग से नगदी प्रबंध करना चाहिए ताकि वे उस अवस्था में, जबकि उनकी अधिशेष राशि एटीबी में निवेश की गई हो, रिजर्व बैंक से उधार को टाल सकें। राज्य सरकारों की विवेकपूर्ण ढंग से नगदी प्रबंध की प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, जबकि कोई राज्य 91 दिवसीय टीबी में इस प्रकार के निवेश के एवज में एसडीएफ का लाभ लेता हो, तब की स्थिति में, **समिति यह अनुशंसा करती है कि पहली बार में, इस आर्बिट्राज गतिविधि को सीमित समय के लिए अनुमति प्रदान की जा सकती है। जब राज्य 91 दिवसीय टीबी के एवज में एसडीएफ का लाभ लेते हैं, तब उनको अगले 90 दिनों तक 91 दिवसीय टीबी में अधिक निवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि, यदि एसडीएफ का लाभ लेने और उसके बाद 91 दिवसीय खजाना बिलों में निवेश करने की ऐसी प्रथा दूसरी बार तथा वित्तीय वर्ष के दौरान उसके बाद जारी रहती है तो इस प्रकार से लिए गए एसडीएफ को प्रथम बार के बाद डब्ल्यूएमए माना जाएगा।** इससे आर्बिट्राज गतिविधियों को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों तथा अन्य एटीबी (अर्थात्, 182 दिवसीय तथा 364 दिवसीय खजाना बिल) के संपार्श्विकों के एवज में एसडीएफ लिए जाने को इस अनुच्छेद के प्रारंभ में कहे अनुसार माना जाएगा (बेजबरूआ समिति की अनुशंसा के अनुसार)।

ओवरड्राफ्ट का विनियमन

5.25 ओवरड्राफ्ट लिए जाने के मामले में राज्यों के लिए सामान्यतः समय की पाबंदियां निर्धारित की गई हैं न कि मात्रा में कोई पाबंदी लगाई गई है। हालांकि, पूर्ववर्ती सलाहकार समितियों ने ओवरड्राफ्ट लिए जाने को सामान्यतः डब्ल्यूएमए सीमाओं तक सीमित करने की अनुशंसा की थी। जब राज्यों द्वारा लिया गया ओवरड्राफ्ट लगातार पांच कार्यदिवसों की सूचना की अवधि में दूसरी बार या उसके बाद उनकी डब्ल्यूएमए सीमा से अधिक होने पर भुगतान रोक दिया जाएगा। इसमें लगातार 14 कार्य-दिवसों के लिए ओवरड्राफ्ट लिए जाने के नियम को नियम ध्यान में नहीं रखा जाएगा। इसलिए, प्रथम अवसर पर, असीमित ओवरड्राफ्ट पांच लगातार कार्य दिवसों के बाद भी लिया जा सकता है यदि 14 लगातार कार्यदिवसों की समय सीमा का ध्यान रखा जाए। इस तरह के परिदृश्य में, राज्यों को राज्यों को उनकी डब्ल्यूएमए सीमा के भीतर ही ओवरड्राफ्ट लेने को सूचित किया जाएगा। एक तिमाही में, 36 दिनों से अधिक के लिए ओवरड्राफ्ट नहीं लिया जाना चाहिए, जैसा कि पिछली समितियों ने अनुशंसा की थी। तदनुसार, **समिति यह अनुशंसा करती है ओवरड्राफ्ट लेने के संबंध में समय की वर्तमान पाबंदियां जारी रहेगी।**


एसडीएफ, डब्लूएमए एवं ओवरड्राफ्ट के संबंध में ब्याज दरें

5.26 राज्यों की राजकोषीय स्थिति को प्रभावित करने वाले विभिन्न मानदंडों के संबंध में ब्याज दर परिशिष्ट सारणी 1 तथा चार्ट 1 में दिए गए हैं। हाल की अवधि में, रिपो दर बढ़कर 8.5 प्रतिशत के अपने उच्चतम स्तर पर 25 अक्टूबर 2011 को रही, जो 9 मार्च 2012 तक जारी रही। उसके बाद रिपो दर की प्रवृत्ति मिलीजुली देखी गई और अक्टूबर 2015 में यह घटकर 6.75 रह गई। चूंकि रिपो दर के नीतिगत दर होती है तथा अन्य बाजार दरों के रिपो दर के अनुरूप अभिसारित होने की अपेक्षा होती है, इसलिए डब्लूएमए/ओवरड्राफ्ट के संबंध में ब्याज दर का रिजर्व बैंक की नीतिगत दर अर्थात्, रिपो दर से संबद्ध होना जारी रहेगा। तदनुसार, चूंकि एसडीएफ राज्य सरकारों के निवेश के संपार्श्विक के ऐवज में उपलब्ध कराया जाता है इसलिए यह जितने दिनों तक बकाया रहता है उतने दिनों तक इसमें रिपो दर से 1 प्रतिशत कम दर पर ब्याज लगेगा।

5.27 चूंकि डब्लूएमए चालू सुविधा के रूप में उपलब्ध कराया जाता है, वर्तमान में 90 दिनों तक बकाया रहने वाले डब्लूएमए पर ब्याज दर रिपो दर के तुल्य रहती है और 90 दिनों के बाद यह दर रिपो दर से 1 प्रतिशत अधिक लगाई जाती है। एसडीएफ के माध्यम से औसतन लगभग ₹54,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि एसडीएफ के माध्यम से लिए जाने (समायोजन) की वर्तमान प्रवृत्ति के साथ ही सीएसएफ एवं जीआरएफ में वृद्धिशील निवेशों के ऐवज

में डब्लूएमए की सीमाओं के स्तर तक एसडीएफ से पाबंदी हटाने की समिति की अनुशंसाओं के मद्देनजर समिति ने यह महसूस किया कि डब्लूएमए के प्रत्येक मामले में सामान्यतः, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(5) के तहत अग्रिम प्रदान किए जाने की तारीख से तीन महीनों से अधिक का विलंब नहीं होना चाहिए। इसलिए, हाल की अवधि में डब्लूएमए लिए जाने की प्रवृत्तियों तथा एसडीएफ एवं डब्लूएमए सीमाओं की बढ़े हुए समायोजनों को ध्यान में रखते हुए, **समिति यह अनुशंसा करती है कि डब्लूएमए को सामान्यतः अग्रिम लिए जाने से अधिकतम तीन महीनों की अवधि तक सीमित रखा जाना चाहिए।** तदनुसार, **समिति डब्लूएमए पर ब्याज दरों को रिपो दर के अनुसार बनाए रखने की अनुशंसा भी करती है।** इसके मद्देनजर, **राज्यों को इस तरह के अग्रिमों को लिए जाने से तीन महीनों की अवधि तक सीमित रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।** यदि किसी राज्य द्वारा लिया गया डब्लूएमए लिए जाने की तारीख से तीन महीनों से अधिक तक बकाया रहता है तो, एहतियाती कदम के रूप में, रिपो दर से एक प्रतिशत अधिक की दर पर उच्चतर ब्याज लगाया जाएगा, जैसा कि पहले से किया जाता रहा है।

5.28 एसएफएस सम्मेलन में कुछ राज्य सरकारों ने ओवरड्राफ्ट पर ब्याज दर में कमी करने पर विचार करने की बात कही थी। एसडीएफ और डब्लूएमए की सीमाओं में वृद्धि के माध्यम से बढ़े



हुए समायोजन के साथ, ओवरड्राफ्ट लेने में कमी लाना और नगदी प्रवाह अंतर को डब्लूएमए सीमा के अंतर्गत बनाए रखना राज्यों के लिए विवेकसम्मत होगा। इसके अलावा, राज्यों को वित्त आयोग द्वारा परिकल्पित राजकोषीय अनुशासन का पालन भी किया जाना है। इस प्रकार से, असीमित ओवरड्राफ्ट लिए जाने को हतोत्साहित करना विवेकपूर्ण होगा। **इसलिए, डब्लूएमए की सीमाओं तक ओवरड्राफ्ट लिए जाने पर रिपो दर के अलावा 2 प्रतिशत अधिक ब्याज लगाया जाएगा और डब्लूएमए सीमाओं से अधिक ओवरड्राफ्ट लिए जाने पर रिपो दर के अलावा 5 प्रतिशत अधिक ब्याज लगाए जाने की वर्तमान संरचना बिना किसी संशोधन के जारी रहेगी।**

स्थायी नगदी शेष का आईटीबी में निवेश

5.29 नगद राशि का प्रभावी प्रबंध महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि नगदी शेष का उपेक्षित प्रयोग करने से राजकोष पर भार बढ़ता है। वर्ष के आंतर-वार्षिक बजट का कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि नगदी प्रवाहों के समय और मौसमीयता -दोनों अस्थायी अंतर के रूप में परिणत हो सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं से पता चलता है कि विवेकपूर्ण ढंग से नगदी प्रबंध से निम्नलिखित सुनिश्चित होते हैं - भुगतान देय होने पर पर्याप्त नगद उपलब्ध होना, एक ही खजाना खाते में राजस्व एकत्र (पूलिंग) करना, जरूरत होने पर ही उधार लेना और उधार लेने की लागत में कमी करना तथा अप्रयुक्त नगद राशि पर प्रतिलाभ को अधिकतम करना। इस उपागम की दृष्टि से, समिति ने यह महसूस किया कि **नगदी प्रवाह विवरण साप्ताहिक/पाक्षिक आधार पर तैयार किया जाए और राज्यों के नगदी प्रबंध को बेहतर बनाने के लिए पूर्वानुमानों को नवीनतम सूचनाओं के आधार पर अद्यतन किया जाए।**

5.30 किसी भी प्रत्याशित अत्यावश्यकता को पूरा करने की जरूरत को महसूस करते हुए राज्यों ने ऐहतियातन उपाय के रूप में नगदी अधिशेष तैयार करने का मार्ग अपनाया है। इसके अलावा, हाल की अवधि में राजकोषीय स्थिति में सुधार होने के साथ ही राज्यों के पास नगदी अधिशेष तैयार हो गया है। मार्च 2015 के अंत में राज्यों का नगदी अधिशेष कायम रहा जो ₹1,23,611 करोड़ रहा, जबकि मार्च 2014 के अंत में (एटीबी सहित) यह ₹1,32,476

करोड़ था। इन नगदी अधिशेष राशियों का कुछ हिस्सा मुख्यतः अस्थायी चलनिधि अंतरों का ध्यान रखने के लिए उत्पन्न हुआ है और इसलिए इससे राज्यों की ओर से डब्लूएमए/ओवरड्राफ्ट लिए जाने का मार्ग अपनाए जाने से बचने की प्रवृत्ति का पता चलता है।

5.31 चूंकि नगदी अधिशेष को 14 दिवसीय आईटीबी में स्वतः निवेश कर दिया जाता है, जो भारत सरकार की देयता होती है। इनके कारण भारत सरकार के नगदी शेष में घटबढ़ होती है और परिणामस्वरूप वे रिजर्व बैंक के चलनिधि प्रबंध को प्रभावित करते हैं। इसलिए, समग्र नगदी अधिशेष में संभावित दैनिक परिवर्तनों का पूर्वकलन करने के लिए राज्यों के नगदी प्रवाहों का यथा संभव ठीक-ठीक पूर्वानुमान लगाना आवश्यक है। इस दिशा में, **राज्यों के लिए नगदी प्रवाह का दक्ष प्रबंध करने और पूर्वानुमान की प्रथाओं का पालन करने के साथ ही उनके नगदी प्रवाहों में होने वाले संभावित बड़े परिवर्तनों की सूचना रिजर्व बैंक को देने की अनुशंसा की जाती है।** यह कार्य रिजर्व बैंक द्वारा अपने मौद्रिक नीति परिचालनों के लिए बेहतर चलनिधि प्रबंध के रूप में परिणत होगा।

डब्लूएमए योजना में भावी संशोधन

5.32 यह माना जा रहा है कि राजकोषीय अनुशासन को वित्तपोषण के स्रोत के अंतर्गत बनाए रखते हुए, डब्लूएमए की प्रस्तावित सीमाएं तथा एसडीएफ की बढ़ी हुई सीमाएं राज्यों के बढ़े हुए व्ययों के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के अस्थायी नगदी प्रवाह अंतरों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं, इसलिए प्रत्येक वर्ष डब्लूएमए सीमाओं को संशोधित करना जरूरी नहीं होगा। अनुशंसा के अनुसार, प्रस्तावित सीमाओं को दिसंबर 2017 तक जारी रखा जा सकता है और उसके बाद 2018-20 के लिए डब्लूएमए की मात्रा निर्धारित करने के लिए समीक्षा की जा सकती है, जो 14वें वित्त आयोग की अवधि के साथ ही समाप्त होगी। **इसलिए, समिति यह अनुशंसा करती है कि डब्लूएमए योजना में अगला संशोधन 2020-21 में किया जाए जिसमें राज्यों की तब की राजकोषीय स्थितियों को और 15 वित्त आयोग की रिपोर्ट में विमर्श किए जाने की संभावना वाले रोड मैप को ध्यान में रखा जाए।**

अनुबंध 1: डब्लूएमए संशोधन- पिछली समितियों द्वारा की गई सिफारिशें (जारी...)					
मद	विट्ठल समिति से थोड़े पहले	विट्ठल समिति	राज्य वित्त सचिवों का समूह	रामचंद्रन समिति	बेजबरूआ समिति
सामान्य डब्लूएमए					
डब्लूएमए सीमा की गणना की कार्यप्रणाली	राज्यों के न्यूनतम शेष का 168 गुना रखने की बात कही	हाल के तीन वर्षों की राजस्व प्राप्तियों तथा पूंजीगत व्यय के औसत को गैर-विशेष श्रेणी वाले राज्यों के संबंध में 2.25 % के अनुपात से और विशेष श्रेणी वाले राज्यों के संबंध में 2.75% से गुणा किया गया	हाल के तीन वर्षों की राजस्व प्राप्तियों तथा पूंजीगत व्यय के औसत को गैर-विशेष श्रेणी वाले राज्यों के संबंध में 2.4% के अनुपात से और विशेष श्रेणी वाले राज्यों के संबंध में 2.9% से गुणा किया गया	हाल के तीन वर्षों की सिर्फ राजस्व प्राप्तियों के औसत को गैर-विशेष श्रेणी वाले राज्यों के संबंध में 3.19% के अनुपात से और विशेष श्रेणी वाले राज्यों के संबंध में 3.84% से गुणा किया गया	तदर्थ व्ययों के लिए हाल के तीन वर्षों की राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय के औसत को समायोजित किया गया और गैर-विशेष श्रेणी वाले राज्यों के संबंध में 3.1% से और विशेष श्रेणी वाले राज्यों के संबंध में 4.1% से गुणा किया गया
डब्लूएमए की औसत सीमा	₹2,234 करोड़	₹3,941 करोड़	₹5,283 करोड़	₹7,170 करोड़	₹9,875 करोड़
i) गैर-विशेष श्रेणी के राज्य	₹2,033 करोड़	₹3,589 करोड़	₹4,794 करोड़	₹6,445 करोड़	₹8,820 करोड़
ii) विशेष श्रेणी के राज्य	₹202 करोड़	₹352 करोड़	₹489 करोड़	₹725 करोड़	₹1,055 करोड़
विशेष आहरण सुविधा					
सीमा की गणना (मार्जिन)	सीमा को न्यूनतम शेष का 64 गुना रखा गया	सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश 15 %* 10 %**	सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश 15 %* 10 %**	सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश सभी के लिए एक समान 5%	भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश के अतिरिक्त एनडब्लूएमए की अधिकतम सीमा के अधीन सीएसएफ एवं जीआरएफ में वृद्धिशील निवेश
एसडीएफ का उपयोग	एनडब्लूएमए लागू होने के बाद लिया गया	एनडब्लूएमए लागू होने के बाद लिया गया	एनडब्लूएमए लागू होने के बाद लिया गया	एनडब्ल्यूएमए सीमा का उपयोग करने से पहले लिया जाना है	एनडब्ल्यूएमए सीमा का उपयोग करने से पहले लिया जाना है

अनुबंध 1: डब्ल्यूएमए संशोधन- पिछली समितियों द्वारा की गई सिफारिशें (समाप्त)					
मद	विट्ठल समिति से थोड़े पहले	विट्ठल समिति	राज्य वित्त सचिवों का समूह	रामचंद्रन समिति	बेजबरूआ समिति
ओवरड्राफ्ट योजना					
लगातार कामकाज के दिनों की संख्या	10	10	12	14	14
तिमाही में दिनों की संख्या	-	-	-	36	36
एनडब्ल्यूएमए सीमा के अतिरिक्त लगातार कामकाज के दिनों की संख्या	-	3	5	5	5

* 10 वर्ष से अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता अवधि वाली प्रतिभूतियों के लिए।

** 10 वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता अवधि वाली प्रतिभूतियों के लिए।

अनुबंध 2 : राज्य सरकारों के लिए न्यूनतम राशि और अर्थोपाय अग्रिम : ऐतिहासिक समीक्षा

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 21ए के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकारों के बीच हुए करार के अनुसार राज्य सरकारों को रिजर्व बैंक के पास ऐसी न्यूनतम राशि रखनी होगी जो समय-समय पर दोनों की सहमति से तय की जाए और रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को कुछ सीमा तक अर्थोपाय अग्रिम की सुविधा प्रदान करेगा। राज्य सरकारों के लिए न्यूनतम राशि और अर्थोपाय अग्रिम का निर्धारण पहली बार 1 अप्रैल, 1937 को किया गया था जिसे 1 अप्रैल, 1938 से लागू किया गया जब प्रांतीय सरकार को उनकी स्वयं की अर्थोपाय स्थिति को संभालने के लिए उत्तरदायी बनाया गया था। न्यूनतम राशि का निर्धारण 1937 में प्रांतीयता-पूर्व स्वायत्त केंद्र सरकार के कुल राजस्व एवं व्यय की तुलना में संबंधित प्रांतीय सरकार के कुल राजस्व और व्यय के अनुपात के आधार पर किया गया था। इस प्रयोजन से तीन वर्ष 1931-32 से 1933-34 तक के वित्त और राजस्व को हिसाब में लिया गया था। 1950 में भारत का संविधान लागू होने के साथ 1951 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन किया गया जिसमें धारा 21ए जोड़ी गई, जिसमें बैंक को, करार द्वारा राज्यों के बैंकर के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया। राज्यों के पुनर्गठन के बाद भाग ए, भाग बी और भाग सी के रूप में वर्गीकृत राज्य की स्थिति समाप्त हो गई, केवल कतिपय संघशासित क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी राज्यों को समान धरातल पर लाया गया। इस प्रकार निर्धारित की गई न्यूनतम राशि से यह भी ज्ञात होता है कि राज्य किस सीमा तक भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त कर सकते हैं। यह स्थिति वर्ष 1953 तक बनी रही।

1953 का संशोधन

1953 में राज्य सरकारों के राजस्व और व्यय की स्थिति के आधार पर बैंक द्वारा न्यूनतम राशि को अपर्याप्त पाया गया। राज्य सरकारों ने भी अर्थोपाय अग्रिम का सीमा से अधिक खूब उपयोग किया ताकि वे राजस्व और व्यय के बीच का अंतर पूरा कर सकें। अतः न्यूनतम राशि एवं अर्थोपाय अग्रिम सीमा के संशोधन का कार्य 1953 में किया गया। संशोधित न्यूनतम राशि प्राप्त करने के लिए जो आधार अपनाए गए वे इस प्रकार थे:

- i) भाग ए राज्यों के लिए 1937 में निर्धारित की गई न्यूनतम राशि को 1931-32 से 1933-34 की तीन वर्ष की अवधि में राजस्व बजट में प्रभारित कुल राजस्व व व्यय की तुलना में 1948-49 से 1950-51 के वर्षों में राजस्व बजट में प्रभारित कुल राजस्व व व्यय में हुई वृद्धि के अनुपात में बढ़ा दिया गया।
- ii) इसी प्रकार भाग बी राज्यों के लिए न्यूनतम राशि को 1949-50 और 1950-51 दो वर्षों के राजस्व एवं राजस्व व्यय के आधार पर प्राप्त किया गया।
- iii) इस आधार पर कुल न्यूनतम राशि 8.70 करोड़ रुपए होती थी जो पूर्व में लगभग 2 करोड़ रुपए निर्धारित थी। राज्यों के संसाधनों पर किसी प्रकार के दबाव से बचाव के लिए यह निर्णय किया गया कि न्यूनतम राशि को लगभग चार बार बढ़ाकर 8.70 करोड़ रुपए करने के बजाय तकरीबन दुगुना कर दिया जाए ताकि सभी राज्यों के लिए कुल वृद्धि लगभग 4.00 करोड़ रुपए हो जाए। इसे 1 अप्रैल, 1953 से लागू कर दिया गया था। अर्थोपाय अग्रिम की सीमा पहली बार 1 अप्रैल, 1953 से उदार बनाई गई और न्यूनतम राशि की दुगुनी राशि पर निर्धारित की गई थी। प्रत्येक राज्य को विशेष मामले के रूप में केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर 2.00 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सीमा अथवा निर्बंध अग्रिम के अतिरिक्त जमानती अग्रिम भी प्रदान किया गया था। इस सीमा को बढ़-चढ़कर लागू नहीं किया गया था तथा 2 करोड़ रुपए से अधिक का अग्रिम कभी-कभार ही दिया गया था। 1953 में निर्धारित न्यूनतम राशि को राज्यों के पुनर्गठन के समय आशोधित किया गया था किंतु कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ था।

1967 का संशोधन

जुलाई 1966 में मुख्य मंत्रियों की सम्मेलन में हुई चर्चा में रिजर्व बैंक में राज्यों द्वारा उनके खातों में अनधिकृत ओवरड्राफ्ट को रोकने के सवाल पर राज्यों के लिए न्यूनतम राशि और अर्थोपाय अग्रिम की बात उठाई गई थी। यह बात न ही आवश्यक समझी गई और

न ही उपयुक्त कि राज्य सरकारों की न्यूनतम राशि अथवा अर्थोपाय अग्रिम की सीमा को निम्नलिखित कारणों से उनके राजस्व या राजस्व और व्यय से जोड़ा जाए जैसाकि 1953 तक किया जाता रहा है:

- i) राजस्व बजट को बढ़ाकर दिखाया गया था क्योंकि लेखांकन में परिवर्तन दो चरणों में अप्रैल 1961 और 1962 में प्रारंभ किया गया था।
- ii) राज्यों इस बात से आश्वस्त थे कि पूरे वर्ष के दौरान उन्हें कर वसूली में से उनके हिस्से के भुगतान की व्यवस्था से उन्हें कुछ आय सतत रूप से होती रहेगी, सहज किस्तों में सांविधिक अनुदान मिलेगा और प्रत्येक वर्ष अप्रैल से प्रारंभ आयोजना स्कीम के तहत अग्रिम किस्तों में प्राप्त होता रहेगा।
- iii) बिजली के उत्पादन और वितरण हेतु तथा सड़क परिवहन के लिए स्वायत्त निगमों की स्थापना से राज्यों को उनके राजस्व घाटे या इन उपक्रमों के पूंजीगत व्यय को पूरा करने की जिम्मेदारी से मुक्ति मिल गई और इससे यह अपेक्षा कि राज्यों द्वारा उधार लेने की आवश्यकता कम हो जाएगी।
- iv) राज्य खाद्यान्नों के भंडार तथा अन्य पण्यों के एवज में कमर्शियल बैंकों से उधार ले रहे थे तथा भारतीय जीवन बीमा निगम से भी ले रहे थे और इन स्रोतों से इस प्रकार की भारी भरकम सहायता ली जा रही थी। अतः न्यूनतम राशि तथा अर्थोपाय अग्रिम की सीमा के निर्धारण के लिए एक नया फार्मूला निम्नलिखित आधार पर तैयार किया गया :

सभी राज्यों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास बनाए रखने के लिए अपेक्षित कुल न्यूनतम राशि को उस अनुपात में बढ़ा दिया गया जिसमें केंद्र की कुल कल्पित विकेंद्रीकरण पूर्व न्यूनतम राशि 1937 से 1967 की अवधि के दौरान बढ़ाई गई थी। चूंकि केंद्र सरकार की रिजर्व बैंक के पास कार्यशील राशि 1937 के 10 करोड़ रुपए से बढ़कर 1967 में 50 करोड़ रुपए हो गई थी, इसलिए राज्यों की रिजर्व बैंक के पास 1937 में मूल रूप से निर्धारित राशियों को भी मूल आंकड़ों का पांच गुना बढ़ा दिया गया। सभी राज्यों की कुल राशि 1937 में 1.85 करोड़ रुपए थी जिसे राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप 2.54 करोड़ रुपए कल्पित आधार पर निर्धारित किया गया था। अतः उपर्युक्त फार्मूला के आधार पर राज्य सरकारों की कुल न्यूनतम राशि 1967 में बढ़ाकर 12.70 करोड़ रुपए कर दी गई थी जिसे प्रत्येक राज्य

को उसके राजस्व बजट में प्रभारित राजस्व और व्यय के अनुपात में तथा समस्त राज्यों को मिलाकर राजस्व बजट में प्रभारित राजस्व एवं व्यय के अनुपात में (वर्ष 1964-65 की वास्तविक स्थिति के अनुसार) वितरित कर दी गई थी। लेकिन, राज्यों की न्यूनतम राशि को तुरंत 4 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 12.70 करोड़ रुपए कर दिया जाना बहुत उपयुक्त नहीं माना गया। इसलिए न्यूनतम राशि को 1 मार्च, 1967 से तुरंत बढ़ाकर 6.25 करोड़ रुपए (प्रत्येक राज्य के लिए 12.70 करोड़ रुपए का आधा एवं निकटतम पांच लाख रुपए पूर्णांकित करते हुए) कर दी गई। यह भी निर्णय किया गया था कि क्लीन तथा बेजमानती अर्थोपाय अग्रिम को न्यूनतम राशि के स्तर से जोड़ दिया जाए। इस सीमा को न्यूनतम राशि के दो से तीन गुना तक संशोधित किया गया। जहां तक भारत सरकार की प्रतिभूति को गिरवी रखकर जमानती अर्थोपाय अग्रिम की सीमा का संबंध है, यह निर्णय किया गया था कि उसे सामान्य अर्थोपाय अग्रिम का दोगुना कर दिया जाए। उपर्युक्त परिवर्तन के फलस्वरूप समस्त राज्यों की न्यूनतम राशि, समस्त राज्यों की बेजमानती एवं जमानती अर्थोपाय अग्रिम की कुल सीमा इस प्रकार थी :

(करोड़ रुपए)

प्रभावी तारीख	न्यूनतम राशि	बेजमानती अर्थोपाय अग्रिम	जमानती अर्थोपाय अग्रिम
1 मार्च, 1967	6.25	18.75	37.50

1972 का संशोधन

1 मई, 1972 से सभी राज्यों की कुल न्यूनतम राशि को बढ़ा दिया गया क्योंकि चार नये राज्यों - हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के संबंध में न्यूनतम राशि का निर्धारण किया गया। राज्यों के व्यय काफी बढ़ गए क्योंकि बेजमानती अर्थोपाय अग्रिम की सीमा 1967 में संशोधित कर दी गई थी। राज्यों को किसी भी प्रकार की असामान्य एवं आकस्मिक कारणों से प्राप्तियों एवं व्यय के बीच अस्थायी असंतुलन के प्रति सहायता प्रदान करने की दृष्टि से भारतीय रिजर्व बैंक ने ओवरड्राफ्ट को हटाने के लिए सुझाव देने हेतु गठित कार्यदल की सिफारिशों के अनुसार प्राधिकृत बेजमानती अर्थोपाय अग्रिम को 19.50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 78.00 करोड़ रुपए कर दिए जाने की सहमति दी। अतः, बेजमानती अर्थोपाय अग्रिम की सीमा वर्तमान सीमा से चार गुना बढ़ गई अर्थात् न्यूनतम राशि का 12 गुना तक। न्यूनतम राशि और संशोधित अर्थोपाय

अग्रिम की राशि निम्नानुसार थी। जमानती अर्थोपाय अग्रिम में कोई वृद्धि नहीं की गई थी।

(करोड़ रुपए)

प्रभावी तारीख	न्यूनतम राशि	बेजमानती अर्थोपाय अग्रिम	जमानती अर्थोपाय अग्रिम
1 मई, 1972	6.50	78.00	42.66*

*यह वास्तविक सीमाओं का जोड़ है जिसमें कुछ न्यूनतम राशि छह गुना से अधिक और कुछ छह गुना से कम थीं

1976 का संशोधन

मई 1975 में भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को सुझाव दिया कि राज्यों के बजट में अत्यधिक वृद्धि हो जाने से उनकी न्यूनतम राशि एवं अर्थोपाय अग्रिम को संशोधित करने पर विचार किया जाए। इसलिए अर्थोपाय अग्रिम और न्यूनतम राशि के निर्धारण के तरीके में बुनियादी परिवर्तन करने की संभावना का पता लगाने के लिए विस्तृत परीक्षण किया गया। यह पाया गया कि फार्मूला में किसी प्रकार का बुनियादी परिवर्तन कर देने से राज्य सरकार की सीमा में बदलाव आ जाएगा और उससे अपरिहार्य समस्याएं उत्पन्न होंगी। इतना ही नहीं, यह भी अपेक्षित नहीं पाया गया कि एक ऐसा फार्मूला बनाया जाए जो राज्य सरकारों के व्यय से जुड़ा हो क्योंकि यदि ऐसा किया गया तो अर्थोपाय अग्रिम में स्वतः वृद्धि हो जाएगी।

यह बताया गया कि कई राज्यों में निर्धारित सीमाएं काफी अधिक एवं पर्याप्त थीं और केवल कुछ राज्यों में समस्याएं थीं जो सैद्धांतिक असंतुलन के कारण थीं जिन्हें रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम के रूप में अतिरिक्त सहायता से पूरा नहीं किया जा सका। इस प्रकार सीमाओं में थोड़ी सी वृद्धि की आवश्यकता थी, जिसके लिए यह महसूस किया गया कि वर्तमान संरचना को बनाए रखा जा सकता है और वर्तमान फार्मूला में वृद्धि करने पर सहमति बनी। इसके लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए :

- सभी राज्यों के लिए 6.50 करोड़ रुपए की न्यूनतम राशि दुगुनी कर दी जाए (मूल्यों में 1966-67 से हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए)।
- बेजमानती अग्रिम की सीमा संशोधित न्यूनतम राशि अब तक की 12 गुना के बजाय 10 गुना हो।
- जमानती अग्रिम की सीमा संशोधित न्यूनतम राशि को दस गुना बढ़ाया जा सकता है। तदनुसार, संशोधित न्यूनतम राशि और अर्थोपाय अग्रिम की सीमाएं निम्नानुसार तय की गईं:

प्रभावी तारीख	न्यूनतम राशि	बेजमानती अर्थोपाय अग्रिम	जमानती अर्थोपाय अग्रिम
1 मई, 1976	13	130	130

अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज की दर जो बैंक दर से एक प्रतिशत कम थी उसे निम्नानुसार संशोधित किया गया:

(i) 90 दिन के लिए	बैंक दर से एक प्रतिशत कम
(ii) 91 दिन से 180 दिन के लिए	बैंक दर से 1 प्रतिशत अधिक
(iii) 180 दिन से अधिक दिन के लिए	बैंक दर से 2 प्रतिशत कम
ओवरड्राफ्ट पर ब्याज दर निम्नानुसार निर्धारित की गई :	
प्रथम 7 दिन तक	बैंक दर
7 दिन से अधिक	बैंक दर और उसके ऊपर 3 प्रतिशत

1978 की समीक्षा

1978-79 में राज्यों के लिए सकल प्राप्त और संवितरण उनके 1963 के स्तर का लगभग 26 गुना था, इसलिए यह महसूस किया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक से सुविधा के रूप में प्राप्त सीमाओं को और भी संशोधित किया जाए। अतः, अर्थोपाय अग्रिम की सीमाओं को 1976 के 130 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1978 में 260 करोड़ रुपए कर दिया गया अर्थात् न्यूनतम राशि का बीस गुना अधिक। लेकिन, विशेष अर्थोपाय अग्रिम को न्यूनतम राशि के दस गुना तक ही अपरिवर्तित रखा गया। 1 अक्टूबर, 1978 से बेजमानती अर्थोपाय अग्रिम में किए गए परिवर्तन इस प्रकार थे :

(करोड़ रुपए)

प्रभावी तारीख	न्यूनतम राशि	बेजमानती अर्थोपाय अग्रिम	जमानती अर्थोपाय अग्रिम
1 अक्टूबर, 1978	13	260	130

1982 की समीक्षा

जून 1982 में भारत सरकार ने राज्यों के बकाया अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट की चुकौती जून 1982 में मध्यावधि ऋण/अर्थोपाय अग्रिम प्रदान करने का कदम उठाया था। ओवरड्राफ्ट की लगातार स्थिति को रोकने के लिए तथा अक्टूबर 1978 से राज्यों के बढ़े हुए बजट व्यय को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक से मिलने वाली सुविधा को दुगुना कर दिया जाए। अतः साधारण एवं विशेष अर्थोपाय अग्रिम को 260 करोड़ रुपए एवं 130

करोड़ रुपए से बढ़ाकर क्रमशः 520 करोड़ रुपए (न्यूनतम राशि का चालीस गुना) और 260 करोड़ रुपए (न्यूनतम राशि का बीस गुना) कर दिया गया। राज्यों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखी जाने वाली 13 करोड़ रुपए की न्यूनतम शेष राशि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

(करोड़ रुपए)

प्रभावी तारीख	न्यूनतम राशि	बेजमानती अर्थोपाय अग्रिम	जमानती अर्थोपाय अग्रिम
1 जुलाई 1982	13	520	260

1986 की समीक्षा

सरकार के कहने पर अगस्त 1986 में डब्ल्यू एम ए की सीमाओं की समीक्षा दुबारा की गई। यह पाया गया कि 1982 से जब सीमाओं का अंतिम संशोधन किया गया था, राज्यों की प्राप्तियां और संवितरण वास्तव में बढ़ने के बावजूद, ऐसा कोई मजबूत सबूत यह दर्शाने के लिए नहीं था कि नकद प्रवाह में मौसमी अंतराल उचित अंश में बढ़ा था। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह भी बताया गया है कि केन्द्र द्वारा राज्यों को निधि रिलीज तथा राज्यों द्वारा ऋण चुकौती की लड़खड़ाहट को सरल बनाने से राज्यों को किसी माह विशेष में गंभीर नकद प्रवाह की समस्याओं से बचने में मदद मिलेगी। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच यह समझौता किया गया कि संरचनात्मक घाटे पर नहीं बल्कि केवल मौसमी घाटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के डब्ल्यूएमए द्वारा ध्यान रखा जाएगा। फिर भी, राज्यों से प्रदर्शन के मद्देनजर, यह निर्णय लिया गया कि मौजूदा सामान्य सीमाओं के अलावा 20 प्रतिशत की एक साधारण बढ़ोत्तरी प्रदान की जाए। चूंकि वर्ष के उत्तरार्द्ध की तुलना में पूर्वार्द्ध में राज्यों को गंभीर नकद प्रवाह की समस्या का सामना करना पड़ा, बाजार उधार से मुद्रा प्राप्ति से जब स्थिति में सुधार आया तो वर्ष के पूर्वार्द्ध में अतिरिक्त 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी प्रदान की गई। उक्त बढ़ोत्तरी के फलस्वरूप संशोधित सीमाएं निम्नानुसार थीं :

(करोड़ रुपए)

प्रभावी	न्यूनतम शेषराशि	बेजमानती डब्ल्यूएमए	जमानती डब्ल्यूएमए
1 अक्टूबर, 1986			
अप्रैल- सितंबर	13	676 (52 बार)	260 (20 बार)
अक्टूबर - मार्च	13	624	260

1988 की समीक्षा

सूखाराहत पर आकस्मिक खर्च करने में राज्यों द्वारा अनुभव की गई नकद प्रवाह की समस्याओं के मद्देनजर भारत सरकार के आग्रह पर फरवरी 1988 में डब्ल्यूएमए सीमाओं की एक और समीक्षा की गई। वित्तीय वर्ष 1987-88 में केवल चार राज्यों को विभिन्न अवसरों पर ओडी मिला। उपलब्ध डाटा से यह संभव नहीं था कि क्या प्रत्येक अवसर पर ओडी विशुद्ध रूप से जरूरी था या मुख्यतः उन राज्यों द्वारा सूखा राहत पर किए गए खर्च के कारण जरूरी था। इसके अलावा, बुरी तरह से प्रभावित कतिपय राज्यों को बार-बार ओडी की समस्या नहीं आई जिस तरह से कुछ राज्यों को आई जहाँ सूखा राहत खर्च प्रमुख समस्या नहीं थी। इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी था कि सभी राज्य समान रूप से सूखे से प्रभावित नहीं थे अतः सभी के लिए सीमाओं में बढ़ोत्तरी अनिवार्यतः सही समाधान नहीं था। उसी कारण, एक वर्ष में समस्या का सामना करने के लिए और वह भी विशेष रूप से तब जब पिछली बढ़ोत्तरी प्रभावी होने से मात्र डेढ़ वर्ष बाद डब्ल्यूएमए की सीमाओं में नियमित बढ़ोत्तरी अपेक्षित प्रतीत नहीं हुई। तथापि, सूखा राहत खर्च जिसका बजट प्रावधान राज्य सरकारों द्वारा नहीं किया गया था तथा केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के बीच समय अंतराल को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक 1 अक्टूबर 1986 से पूर्व लागू सीमा के अलावा सामान्य डब्ल्यूएमए में 40 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी के लिए सहमत हुआ। वर्ष के दो हिस्सों के लिए अलग-अलग सीमाओं के बजाए ये सीमाएं संपूर्ण वर्ष के दौरान समान रूप से लागू की गईं।

1 मार्च 1998 से लागू संशोधित सीमाएं निम्नानुसार थे :

(करोड़ रुपए)

प्रभावी	न्यूनतम शेषराशि	बेजमानती डब्ल्यूएमए	जमानती डब्ल्यूएमए
1 मार्च, 1998	13.30	744.80 (56 बार)	266.00 (20 बार)

1993 संशोधन

विभिन्न राज्यों ने सीमा बढ़ाने हेतु संशोधन के लिए कहा था। इस मामले की जांच राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति के विश्लेषण के आधार पर की गई। विश्लेषण की मुख्य बातें निम्नानुसार थीं :

i. अधिकांश राज्यों में डब्ल्यूएमए का पूर्णतः लाभ उठाया था;

- ii. ओवरड्राफ्ट में चल रहे राज्यों की संख्या तेजी से बढ़ी और इस तरह की घटनाएं 1992 से लगातार हो रही हैं और यह बड़ी राशियों के लिए हो रही है; तथा
- iii. 1992-93 के दौरान तीन को छोड़कर सभी राज्य ओवरड्राफ्ट में उभरे; कतिपय मामलों में ओवरड्राफ्ट की अवधि इतनी ज्यादा थी कि वह वर्ष के दौरान 192 दिन की रही। भारतीय रिजर्व बैंक ने छह राज्यों के संबंध में भुगतान रोक दिया (दो राज्यों के संबंध में भुगतान एक से अधिक बार रोकना पड़ा था)।

हालांकि, कई राज्यों ने यह प्रदर्शित किया था कि डब्ल्यूएमए सीमाओं को व्यय से संबद्ध होना चाहिए, यह निर्णय लिया गया कि ऐसा कोई लिंक अनुपयुक्त होगा क्योंकि ऐसे राज्य जो अपनी प्राप्तियों की तुलना में असमान खर्च करते हैं वे उच्चतर सीमाओं के लिए पात्र होंगे जिसके फलस्वरूप अधिक घाटा होगा। जबकि नीति का मुख्य जोर, राज्यों को बड़े घाटे नहीं होने देने पर रहना चाहिए, एक तथ्यात्मक आकलन से यह अपेक्षित होगा कि राज्यों के वित्त में वास्तविक अस्थायी बेमेल, पर्याप्त रूप से डब्ल्यूएमए द्वारा वहन किया जाए। यह पाया गया कि डब्ल्यूएमए सीमाओं को न्यूनतम शेष के गुणाकार से लिंक करने से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि राज्यों के बीच सापेक्षता में बाधा न पड़े। उक्त विचारों के आधार पर 1 नवंबर 1993 से लागू किए गए परिवर्तन निम्नानुसार थे :

(करोड़ रुपए)

प्रभावी	न्यूनतम शेषराशि	बेजमानती डब्ल्यूएमए	जमानती डब्ल्यूएमए
1 नवंबर, 1993	13.30	1,117.20 (न्यूनतम शेष से 84 बार)	425.60 (न्यूनतम शेष से 32 बार)

साथही, ओवरड्राफ्ट विनियमन योजना के अंतर्गत ओवरड्राफ्ट समाप्त करने के लिए समय-सीमा सात से दस निरंतर कार्य दिवस बढ़ाए गए।

1996 संशोधन

केन्द्र में नई सरकार के लिए एजेंडा के रूप में यह दर्शाया गया था कि राज्य सरकारों को डब्ल्यूएमए उपलब्ध करवाने वाली प्रणाली को पुनर्निर्धारित करना चाहिए और उसे कहां तक समायोजित किया जा सकता है यह काफी हद तक उदार किया जाना चाहिए।

राज्यों के बजट दस्तावेजों के आधार पर उनके वित्त पर किए गए अध्ययन से यह पता चलता है कि जबकि कतिपय प्रमुख घाटा

संकेतकों में सुधार हुआ, कुछ संरचनागत कमजोरियां बनी रही जो बड़े राजस्व घाटा, बढ़ता ब्याज का भार, खर्च के तरीके में बढ़ता विरूपण तथा गैर-कर राजस्व में बहुत कम वृद्धि के रूप में थी। तथापि, यह पाया गया कि राज्य सरकार की डब्ल्यूएमए बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि राज्य सरकारों के वित्त में वास्तविक अस्थायी बेमेल भारतीय रिजर्व बैंक से डब्ल्यूएमए द्वारा पर्याप्त रूप से पूरा किया जा सकता है। राज्यों के न्यायसंगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह विचार किया गया कि डब्ल्यूएमए को उस स्तर तक संशोधित किया जाए जहाँ उन राज्यों, जो अपना वित्त का विवेकपूर्ण ढंग से प्रबंधन करते हैं वे ओवरड्राफ्ट की समस्याओं से मुक्त हो जाए। एक उचित आकलन के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि डब्ल्यूएमए के लिए मौजूदा सीमाओं को दुगुना करना मुनासिब होगा। तदनुसार सीमाओं को निम्नानुसार संशोधित किया गया :

(करोड़ रुपए)

प्रभावी	न्यूनतम शेषराशि	बेजमानती डब्ल्यूएमए	जमानती डब्ल्यूएमए
1 अगस्त 1996	13.30	2,234.40 (न्यूनतम शेष से 168 बार)	852.20 (न्यूनतम शेष से 64 बार)

विट्टल समिति

विट्टल समिति ने यह पाया कि पूर्व में किए गए अनुसार, डब्ल्यूएमए सीमाओं को अपरिवर्तित न्यूनतम शेष के गुणाकार के रूप में निर्धारित करने से एक के बाद एक सभी राज्यों के बजटीय लेन-देनों में विविध वृद्धि के चलते उनकी विभिन्न आवश्यकताओं को ग्रहण नहीं किया जा सकता। इसके फलस्वरूप, बजट आकार के संबंध में डब्ल्यूएमए सीमाओं में बहुत बड़ा अंतर-राज्य विविधता आ गई है जिसे सही करना जरूरी है। सामान्यतः डब्ल्यूएमए सीमाओं को निम्नलिखित को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाना चाहिए : (क) नकद प्रवाह, (ख) राजस्व और व्यय प्रवाह के दर में विविधता तथा क्रमिक बेमेल और (ग) ऐसे बेमेल को कवर करने के लिए संसाधनों को बढ़ाने की राज्य की क्षमता। विट्टल समिति ने सामान्य डब्ल्यूएमए सीमा को राज्य के नकद प्रवाह से लिंक करने का प्रस्ताव किया। इस संदर्भ में समिति ने राजस्व घाटे को घटाकर कुल (अर्थात् राजस्व और पूंजी) व्यय को नकद प्रवाह का प्रतिनिधित्व करने का प्रस्ताव रखा। यह समझा गया कि यह आधार जिससे राजस्व प्राप्तियां और पूंजी व्यय की गणना की गई, ने बढ़ते हुए अविवेकपूर्ण व्यय के प्रलोभन का निवारण किया ताकि एक उच्चतर डब्ल्यूएमए सीमा प्राप्त की जा सके।

विशेष से इतर और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए अर्थोपाय अग्रिम की वास्तविक सीमा को क्रमशः 2.25 प्रतिशत और 2.75 प्रतिशत के अनुपात को लागू करते हुए प्राप्त की जाएगी, यह अनुपात आधार राशि पर अफ्लाई किया जाएगा जो राज्यों के पिछले तीन वर्षों (1994-95 से 1996-1997) की राजस्व प्राप्तियों (निवल आधार पर लाट्री प्राप्तियों सहित) और पूंजीगत व्यय का औसत होगा।

विशेष श्रेणी से इतर के राज्यों के लिए संशोधित अर्थोपाय अग्रिमों की सीमा निम्नानुसार प्राप्त की जाएगी। प्रत्येक राज्य के लिए उसकी आधार राशि की तुलना में वर्तमान अर्थोपाय अग्रिम सीमा के अनुपात को प्राप्त किया गया है। गोवा के मामले में अधिकतम अनुपात (2.25 प्रतिशत) प्राप्त किया गया है। उसके बाद इस अनुपात को प्रत्येक राज्य की आधार राशि पर अफ्लाई करके संशोधित अर्थोपाय अग्रिम सीमा को प्राप्त किया जाएगा। इस प्रकार प्राप्त की गई संशोधित अर्थोपाय अग्रिम सीमा की सकल राशि मौजूदा सीमा की राशि से लगभग 62 प्रतिशत अधिक है। यह भी पाया गया है कि चार राज्यों के मामले में अर्थोपाय अग्रिम सीमा में वृद्धि 40 प्रतिशत से कम थी, वे राज्य हैं - गोवा, उड़ीसा, पंजाब और पश्चिम बंगाल। अल्पकाल में समायोजन की समस्या को देखते हुए यह जरूरी समझा गया कि अर्थोपाय अग्रिम सीमा में वृद्धि किसी भी राज्य सरकार की वर्तमान सीमा से कम से कम 40 प्रतिशत अधिक होनी चाहिए। तदनुसार, इन चार राज्यों की अर्थोपाय अग्रिम की सीमा उनकी वर्तमान अर्थोपाय अग्रिम सीमा से 40 प्रतिशत अधिक प्राप्त की गई है। विशेष से इतर श्रेणी के राज्यों की सकल संशोधित सीमा इस प्रकार उनकी मौजूदा कुल सीमा को लगभग 65 प्रतिशत अधिक गणना की गई है।

विशेष श्रेणी राज्यों की संशोधित अर्थोपाय अग्रिम सीमा निम्नानुसार प्राप्त की गई है। इन राज्यों की सकल मौजूदा अर्थोपाय अग्रिम सीमा को 62 प्रतिशत (अर्थात् ठीक उसी प्रकार जैसे विशेष से इतर श्रेणी के राज्यों में प्रारंभिक वृद्धि की गई है) बढ़ा दिया गया है। परिणामतः प्राप्त राशि को समस्त विशेष श्रेणी राज्यों की सकल आधार राशियों के प्रतिशत के रूप में प्रकट किया गया है। इस गुणांक अनुपात को जो 2.75 प्रतिशत होगा, प्रत्येक विशेष श्रेणी राज्य की आधार राशि पर अफ्लाई किया जाएगा ताकि संशोधित अर्थोपाय अग्रिम सीमा प्राप्त की जा सके। यह पाया गया कि दो राज्यों के मामले में मौजूदा अर्थोपाय अग्रिम सीमा की तुलना में वृद्धि 50 प्रतिशत से कम थी, ये दो राज्य हैं - मेघालय और मिजोरम। विशेष श्रेणी राज्यों की खास प्रकार की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह सिफारिश की गई है

कि संक्रमणकाल के प्रावधान के रूप में इनमें से प्रत्येक राज्यों के लिए संशोधित अर्थोपाय अग्रिम की सीमा उनकी मौजूदा अर्थोपाय अग्रिम सीमा से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक रखी जाए। तदनुसार, इन दोनों राज्यों की संशोधित अर्थोपाय अग्रिम सीमा उनकी वर्तमान अर्थोपाय अग्रिम सीमा से 50 प्रतिशत अधिक प्राप्त की गई है। इस प्रकार समस्त विशेष श्रेणी राज्यों की अंतिम संशोधित अर्थोपाय अग्रिम सीमा उनकी वर्तमान सीमा से लगभग 65 प्रतिशत अधिक गणना की गई है। इस तरह समस्त (23) राज्यों की सकल सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा को 1 मार्च 1999 से 65 प्रतिशत बढ़ाकर 3685 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

नये राज्यों के बन जाने से पुनः संगठित छह राज्यों अर्थात् बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड के लिए नवंबर 2000 में संशोधित सीमाएं निर्धारित की गई थीं। इस प्रकार, समस्त 26 राज्यों के लिए सकल संशोधित अर्थोपाय अग्रिम सीमा की गणना 3941 करोड़ रुपए की गई है जो विट्टल समिति के तुरंत पहले की लागू सीमा से 76.4 प्रतिशत अधिक है।

राज्य वित्त सचिवों का दल

विट्टल समिति द्वारा आबंटित सीमा में तीव्र वृद्धि के बावजूद अनेक राज्यों ने इन सीमाओं को और भी उदार बनाने का अनुरोध किया था। इस मुद्दे पर 3-4 नवंबर, 2000 को आयोजित राज्य वित्त सचिवों की बैठक में चर्चा की गई थी और राज्य वित्त सचिवों के एक अनौपचारिक दल (जीएसएफएस) का गठन किया गया था, दल ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 2001 में प्रस्तुत कर दी थी। जीएसएफएस की सिफारिशों के आधार पर विशेष श्रेणी से इतर राज्यों के लिए संशोधित अनुपात 2.40 प्रतिशत और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए संशोधित अनुपात 2.90 प्रतिशत कर दिया गया था अर्थात् दोनों श्रेणियों के राज्यों के लिए 0.15 प्रतिशत की समान वृद्धि की गई थी। पुनः संगठित राज्यों के लिए अंतरिम सीमाएं नवंबर 2000 में उनके विभक्त होने पर निर्धारित की गई थीं। तदनुसार, कुल संशोधित सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा 5283 करोड़ रुपए (1997-98 से 1999-2000 की अवधि की राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत व्यय पर आधारित) गणना की गई थी जबकि इसकी तुलना में उस समय वर्तमान सीमा 3941 करोड़ रुपए थी, इस प्रकार 1 फरवरी, 2001 से 34 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। जीएसएफएस की सिफारिशों के अनुसार सीमाओं को पुनः अप्रैल 2002 में संशोधित करके 6035 करोड़ रुपए कर दिया गया था। जो पिछले

तीन वर्ष (1998-99 से 2000-01) के दौरान राजस्व प्राप्तियों एवं पूंजीगत व्यय के औसत पर आधारित थी।

रामचंद्रन समिति

रामचंद्रन समिति (2003) ने अर्थोपाय अग्रिम सीमा की गणना के फार्मूला को केवल राजस्व प्राप्तियों से जोड़कर संशोधित कर दिया था। राजस्व प्राप्तियों का चयन करना निम्नलिखित कारकों पर आधारित था :

- (ए) यह राज्यों की चुकौती क्षमता को निर्धारित करती है
- (बी) यह अपेक्षाकृत पारदर्शी है।
- (सी) यह गणना करने में आसान है और
- (डी) पूंजीगत व्यय को शामिल करने से विकृति उत्पन्न होती है क्योंकि :
 - (i) पूंजीगत व्यय की गणना में प्रत्येक राज्य में अंतर होता है
 - (ii) आवश्यक नहीं कि राज्य द्वारा किए गए सभी प्रकार के पूंजीगत व्यय राज्य के समेकित फंड से हों,
 - (iii) पूंजी खाते के घाटे को छिपाया जाता है जिसमें चुकौती न किए गए बिलों को वार्षिक आधार पर वृद्धिशील आधार पर आगे बढ़ाया जाता है, और
 - (iv) पूंजी खाते में प्राप्तियों तथा व्यय के बीच कमी-बेशी राजस्व खाते की तुलना में अत्यधिक कम होने की संभावना होती है।

आधार राशि से पूंजीगत व्यय को हटाकर उसके स्थान पर उच्चतर गुणज कारक (अनुपात) को अप्लाई किया गया ताकि सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा प्राप्त की जा सके। इस प्रकार, विशेष से इतर एवं विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए अनुपात पूर्व के 2.40 प्रतिशत एवं 2.90 प्रतिशत की तुलना में क्रमशः 3.19 प्रतिशत एवं 3.84 प्रतिशत निर्धारित किए गए। इन अनुपातों को 1994-95 से 1996-97 की अवधि की राजस्व प्राप्तियों के औसत पर अप्लाई करने से सकल अर्थोपाय अग्रिम की सीमा की गणना 7170 करोड़ रुपए की गई थी, जिसमें 18.8 प्रतिशत की वृद्धि थी।

समिति ने पाया कि इस प्रकार की सीमा में पर्याप्त कुशन होना चाहिए ताकि महीने की चलनिधि समस्या को पूरा किया जा सके, यह समस्या किसी अप्रत्याशित संवितरण तथा अंतरण से उत्पन्न हो सकती है, जिसके बारे में कई राज्यों ने यह तर्क दिया है कि यही उनकी राजकोषीय कठिनाई की प्रमुख वजह थी। समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से वार्षिक आधार पर सीमा को संशोधित करने के लिए अब से अनुपात को हाल के तीन वर्षों की राजस्व प्राप्तियों (दो वर्ष की वास्तविक और एक वर्ष की वास्तविक से पूर्व की जो सी एंड एजी द्वारा अनुमोदित हो) के औसत में अप्लाई किया जाएगा। रामचंद्रन समिति की सिफारिशों के आधार पर सकल अर्थोपाय अग्रिम की सीमा 1 अप्रैल, 2005 से 8935 करोड़ रुपए रखी गई थी।

बेजबरुआ समिति

बेजबरुआ समिति ने यह नोट किया कि मार्च 1999 से अर्थोपाय अग्रिम की सीमा को प्रत्येक वर्ष बढ़ाया जा रहा है (वर्ष 2000-01 को छोड़कर) और उसके बाद से अर्थोपाय अग्रिम सीमा में वार्षिक औसत वृद्धि राज्य सरकारों के व्यय की वार्षिक औसत वृद्धि से अधिक हो गई थी। समिति का विचार था कि राज्य के स्तर पर राजकोषीय सुधार किया जा रहा है और राज्यों की वित्तीय स्थिति में अच्छे खासे सुधार जैसाकि 12वीं एफसी समिति ने बताया है, को देखते हुए वर्ष-दर-वर्ष अर्थोपाय अग्रिम की सीमा को औसत राजस्व प्राप्तियों के अनुसार और भी बढ़ाना मध्यावधि में बहुत जरूरी नहीं है। इसके अलावा, वे राज्य जो एफआरएल लागू कर रहे हैं और मध्यावधि में राजस्व घाटे को समाप्त करने के लिए 12वीं एफसी राजकोषीय पुनर्चना योजना का पालन कर रहे हैं, उससे उम्मीद की जाती है कि चलनिधि की कमी-बेशी का आकार और अर्थोपाय अग्रिम लेने की आवश्यकता मध्यावधि में कम हो सकती है। इसलिए ऐसे हालात में, अस्थायी चलनिधि की कमी-बेशी का अर्थ होगा कि वह वास्तव में मौसमी कारकों की वजह से है और इस प्रकार की बाधा एकाध अवसरों पर ही पैदा होगी।

मध्यावधि में राजकोषीय परिदृश्य में होने वाले अच्छे खासे सुधार के बावजूद, समिति का मानना था कि वर्ष 2006-07 राज्य सरकारों के लिए संक्रमणकाल होगा वह भी विशेष रूप से केंद्रीय योजना ऋण से हटकर बाजार से उधार लेने की ओर जाने के लिए। लेकिन,

अधिकांश राज्यों का यह कहना था कि केंद्र सरकार के ऋण के बदले में बाजार से उधार लेने के संक्रमणकाल में अनिश्चितताएं पैदा हो सकती हैं जो उनके योजना व्यय से संबंधित हो सकती हैं, जो वर्ष के दौरान चलनिधि की कमी-बेशी की स्थिति पैदा कर सकती है, भले ही केंद्र से समग्र संवितरण या अंतरण अधिक क्यों न हो। तदनुसार समिति की राय है कि राज्य सरकारों को 12वीं एफसी द्वारा दिए गए राजकोषीय स्थिति के प्रति समायोजन करने में थोड़ा और समय लगेगा।

जैसाकि रामचंद्रन समिति द्वारा रेखांकित किया गया था कि अर्थोपाय अग्रिम की सीमा की गणना के लिए राजस्व प्राप्तियों को विशेष रूप से आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाए, इसके उपयोग से होने वाले लाभ के होते हुए भी बेजबरुआ समिति का मानना था कि एक बेस (आधार) का निर्धारण करना बेहतर होगा जो बजट संबंधी लेनदेन की समग्र मात्रा को वास्तव में प्रदर्शित करेगा। तदनुसार, समिति ने सिफारिश की थी कि आधार को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है - ऐसा कुल (राजस्व + पूंजी) व्यय जिसमें से चुकौतियों को हटा दिया जाए और उसमें एकबारगी तदर्थ व्ययों को समायोजित कर दिया जाए। लाट्री संबंधी व्यय को भी आधार से कम करना होगा क्योंकि कुछ राज्यों में यह राशि बहुत बड़ी होती है और इस प्रकार वह आधार को बढ़ा (इम्प्लेट) कर सकती है, भले ही वे लाट्री प्राप्तियों के तकरीबन बराबर ही क्यों न हों। ऐसे राज्य में जिसमें राजस्व सरप्लस में है वहां आधार को उपर्युक्त तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन जिस राज्य में राजस्व की स्थिति घाटे की है, वहां आधार में राजस्व घाटे को न जोड़ा जाए। एकबारगी व्यय के रूप में वर्ष 2003-04 के दौरान पावर बांड से जुटाई गई वास्तविक राशि को आधार में से घटा दिया जाए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि विशेष से इतर श्रेणी के राज्यों के लिए गुणज अनुपात 3.1 प्रतिशत और विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 4.1 प्रतिशत लिया जाए और उनके आधार पर अप्लाई किया जाए। हाल के तीन वर्षों के औसत को आधार बनाया जाए जिसके लिए वास्तविक आंकड़े उपलब्ध हों। तदनुसार, समिति 26 राज्यों के लिए 9875 करोड़ रुपए के अर्थोपाय अग्रिम सीमा का प्रस्ताव करती है और यह संशोधन अप्रैल 2006 से लागू कर दिया गया था।

संघशासित क्षेत्र पुडुचेरि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 21ए के अंतर्गत

3 दिसंबर, 2007 को हुए करार के फलस्वरूप न्यूनतम राशि और अर्थोपाय अग्रिम की सीमा का निर्धारण किया गया था। धारा 21 ए के अनुसार रिजर्व बैंक किसी भी राज्य की सरकार के कारोबार को संचालित कर सकता है, संघशासित क्षेत्र, पुडुचेरि के साथ किया गया करार संघ शासित क्षेत्र की सरकार (संशोधित) अधिनियम, 2001 के अनुसरण में किया गया था, जिसमें संघशासित क्षेत्र के लिए एक पृथम सरकारी खाता खोलने का प्रावधान किया गया था और संघशासित क्षेत्र की समेकित निधि की जमानत पर उधार लेने की अनुमति थी, जो सहमत शर्तों के अधीन होगी। तदनुसार, 26 राज्यों एवं संघशासित क्षेत्र पुडुचेरि के लिए अर्थोपाय अग्रिम की सीमा वर्ष 2007-08 में बढ़ाकर 9925 करोड़ रुपए कर दी गई थी।

जम्मू और कश्मीर सरकार ने रिजर्व बैंक के साथ 1 सितंबर 1972 को एक मौलिक करार किया था। परस्पर सहमति से, मौलिक करार को 21 जनवरी, 2011 को अनुपूरक करार करते हुए संशोधित कर दिया गया था और तदनुसार रिजर्व बैंक जम्मू और कश्मीर सरकार के सामान्य बैंकिंग कारोबार को 1 अप्रैल, 2011 से संचालित करने के लिए सहमत हुआ था। फलस्वरूप, जम्मू और कश्मीर सरकार के लिए न्यूनतम राशि तथा अर्थोपाय अग्रिम की सीमा का निर्धारण किया गया था। तदनुसार, 27 राज्यों तथा संघशासित क्षेत्र पुडुचेरि के लिए न्यूनतम राशि और अर्थोपाय अग्रिम की सीमा बढ़ाकर क्रमशः 42,33 करोड़ रुपए और 10240 करोड़ रुपए कर दी गई थी।

बेजबरुआ समिति की सिफारिशों के आधार पर अर्थोपाय अग्रिम की सीमाओं के प्रमुख संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से लागू किए जा चुके थे, इसलिए प्रत्येक वर्ष उनकी वार्षिक समीक्षा की जा रही थी। लेकिन इन सीमाओं को अपरिवर्तित रखा गया था क्योंकि उनका उपयोग बहुत कम हो रहा था, केवल 8 से 10 राज्य उनका नियमित उपयोग करते थे। कुछ राज्यों से अर्थोपाय अग्रिम की सीमा बढ़ाने के अनुरोध एवं मई 2013 में आयोजित एसएफएस सम्मेलन में किए गए अनुरोध को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया कि राज्य सरकारों के लिए अर्थोपाय अग्रिम की सीमा 50 प्रतिशत बढ़ाते हुए उस समय की मौजूद सीमा 10,240 करोड़ रुपए को 11 नवंबर 2013 से बढ़ाकर 15360 करोड़ रुपए कर दी जाए (सारणी 16)। उसके पश्चात, अर्थोपाय अग्रिम योजना की समीक्षा करने के लिए परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया।

सारणी 16 : राज्य सरकारों के लिए न्यूनतम राशि और अर्थोपाय अग्रिम

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	संशोधन की तारीख	न्यूनतम राशि (सभी राज्यों की कुल राशि)	अर्थोपाय अग्रिम सीमा (न्यूनतम राशि के गुणज में)	
			सामान्य अर्थोपाय अग्रिम	एसडीएफ (विशेष अर्थोपाय अग्रिम)
1	2	3	4	5
1	1 अप्रैल, 1937 (1 अप्रैल, 1938 से लागू) (प्रान्तीय सरकार/भाग ए राज्य)	1.95	1 (1.95)	*
2	1 अप्रैल, 1953 (भाग ए और भाग बी राज्य)	ए) 3.94 शुक्रवार को बी) 3.38 शुक्रवार छोड़कर अन्य दिवस सी) 4.50 अर्थोपाय अग्रिम की चुकौती से पूर्व	2 (7.88)	2.00 प्रत्येक राज्य हेतु
3	1 मार्च, 1967	6.25	3 (18.75)	6 (37.50)
4	1 मई, 1972	6.50 +	12 (78.0)	6 (42.66)
5	1 मई, 1976	13.0	10 (130.0)	10 (130.0)
6	1 अक्टूबर 1978	13.0	20 (260.0)	10 (130.0)
7	1 जुलाई 1982	13.0	40 (520.0)	20 (260.0)
	1 अक्टूबर 1986			
8	ए) अप्रैल-सितंबर बी) अक्टूबर-मार्च	13.0 13.0	52 (676.0) 48 (624.0)	20 (260.0) 20 (260.0)
9	1 मार्च, 1988	13.30 ##	56 (744.80)	20 (266.0)
10	1 नवंबर 1993	13.30	84 (1,117.20)	32 (425.60)
11	1 अगस्त 1996	13.30	168 (2,234.40)	64 (852.20)
12	1 मार्च 1999	41.04 **	3,941.00 #	++
13	1 फरवरी 2001	41.04	5,283.00	++
14	1 अप्रैल 2002	41.04	6,035.00	++
15	1 अप्रैल 2003	41.04	7,170.00	++
16	1 अप्रैल 2005	41.04	8,935.00	++
17	1 अप्रैल 2006	41.04	9,875.00	++
18	17 दिसंबर 2007	41.19 ***	9,925.00	++
19	1 अप्रैल 2011	42.33 ****	10,240.00	++
20	11 नवंबर 2013	42.33	15,360.00	++

* प्रत्याभूत अर्थोपाय अग्रिम कभी-कभी तदर्थ आधार पर प्रदान किए गए।

+ वर्ष 1967 के आंकड़े में 0.25 करोड़ रुपए की वृद्धि चार राज्यों यथा-हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के लिए न्यूनतम राशि के निर्धारण के कारण हुई थी।

** न्यूनतम राशि को और बढ़ाया गया तथा अर्थोपाय अग्रिम के आधार से जोड़ दिया गया।

++ विशेष अर्थोपाय अग्रिम के लिए सीमा को उदार बनाया गया, विशेष अर्थोपाय अग्रिम की कोई उच्चतम सीमा निर्धारण नहीं, जिसे केंद्र सरकार की प्रतिभूति की वास्तविक धारिता की जमानत पर प्रदान किया गया और मार्जिन भी रखा गया।

आईएसी की सिफारिशों के आधार पर मार्च 1999 में लागू कुल राशि 3685 करोड़ रुपए रखी गई थी। बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विभक्त हो जाने से नवंबर 2000 से नये पुनः संगठित छह राज्यों के लिए अर्न्तम सीमा प्रदान की गई।

गोवा के जुड़ जाने से न्यूनतम राशि में 0.30 करोड़ रुपए की वृद्धि हो गई।

*** संघशासित क्षेत्र पुदुचेरि के जुड़ जाने से न्यूनतम राशि में 0.15 करोड़ रुपए की वृद्धि हो गई।

**** जम्मू और कश्मीर के जुड़ जाने से न्यूनतम राशि में 1.14 करोड़ रुपए की वृद्धि हो गई।

टिप्पणी : कॉलम 4 और 5 के कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सभी राज्यों के लिए कुल मौद्रिक सीमा दर्शाते हैं।

अनुबंध 3: डब्लूएमए, एसडीएफ और ओडी पर ब्याज दर- ऐतिहासिक प्रवृत्ति				
क्र. सं.	अवधि	सामान्य डब्लूएमए	एसडीएफ (विशेष डब्लूएमए)	ओडी
1	2	3	4	5
1	मार्च 1967 से पूर्व	बैंक दर से 1% कम	i) ₹50 लाख तक - बैंक दर से 0.25% कम ii) ₹51 लाख से ₹125 लाख तक संपूर्ण राशि पर बैंक दर से ½% कम iii) ₹125 लाख से अधिक - संपूर्ण राशि बैंक दर पर	बैंक दर
2	मार्च 1967 से अप्रैल 1976 तक	बैंक दर से 1% कम	बैंक दर से 1% कम	बैंक दर
3	मई 1976 से अगस्त 1996 तक	i) पहले 90 दिन - बैंक दर से 1% कम	i) पहले 90 दिन - बैंक दर से 1% कम	i) 7 दिनों के लिए- बैंक दर
		ii) 91 दिन से 180 दिन तक - बैंक दर से 1% अधिक	ii) 91 दिन से 180 दिन तक - बैंक दर से 1% अधिक	ii) 8 वें दिन से आगे- बैंक दर से 3% अधिक
		iii) 180 दिन से अधिक दिन - बैंक दर से 2% अधिक	iii) 180 दिन से अधिक दिन - बैंक दर से 2% अधिक	
4	अगस्त 1996 से 15 जनवरी 1998 तक	बैंक दर	बैंक दर	बैंक दर से 3% अधिक
5	16 जनवरी 1998 से 18 मार्च 1998 तक	बैंक दर से 2% कम	बैंक दर से 2% कम	बैंक दर
6	19 मार्च 1998 से 2 अप्रैल 1998 तक	बैंक दर से 1.5% कम	बैंक दर से 1.5% कम	बैंक दर से 0.5% अधिक
7	3 अप्रैल से 28 अप्रैल 1998 तक	बैंक दर से 1% कम	बैंक दर से 1% कम	बैंक दर से 1% अधिक
8	29 अप्रैल 1998 से नवंबर 1998 तक	बैंक दर	बैंक दर	बैंक दर से 2% अधिक
9	विट्टल समिति- नवंबर 1998	बैंक दर	बैंक दर	बैंक दर से 2%अधिक
10	राज्य वित्त सचिवों का समूह- जनवरी 2001	बैंक दर	बैंक दर	बैंक दर से 2% अधिक
11	रामचंद्रन समिति- जनवरी 2003	1-90 दिन तक की अवधि के लिए बैंक दर और 90 दिन से अधिक अवधि के लिए बैंक दर से 1%अधिक	बैंक दर से 1% कम	एनडब्लूएमए के 100% तक की ओडी पर बैंक दर से 3% अधिक और एनडब्लूएमए के 100% से अधिक के ओडी पर बैंक दर से 6% अधिक
12	बेजबरुआ समिति- अक्टूबर 2005	1-90 दिन तक की अवधि के लिए रेपो दर और 90 दिन से अधिक अवधि के लिए रेपो दर से 1% अधिक	रेपो दर से 1% कम	एनडब्लूएमए के 100% तक की ओडी पर रेपो दर से 2% अधिक और एनडब्लूएमए के 100% से अधिक के ओडी पर रेपो दर से 5% अधिक

अनुबंध 4.1 : राज्य सरकारों द्वारा उपयोग में लाए गए एसडीएफ, डब्लूएमए और ओडी का मासिक औसत				
(₹ करोड़ में)				
माह	एसडीएफ	डब्लूएमए	ओडी	कुल
मार्च-2013	237.88	296.05	161.10	695.02
अप्रै-2013	66.01	301.41	210.06	577.47
मई-2013	69.43	149.87	28.50	247.80
जून-2013	554.27	520.35	192.51	1267.13
जुला-2013	182.73	269.75	74.70	527.19
अगस्त-2013	373.78	251.77	263.40	888.95
सितंबर-2013	317.80	191.94	53.74	563.48
अक्टू-2013	818.64	378.43	10.50	1207.56
नवंबर-2013	56.68	1.87	0.00	58.55
दिसंबर-2013	167.14	347.63	0.00	514.77
जन-2014	657.14	492.92	84.82	1234.88
फर-2014	58.95	390.93	31.64	481.52
मार्च-2014	27.20	417.11	327.82	772.12
अप्रै-2014	857.57	780.57	407.14	2045.28
मई-2014	152.92	568.83	78.51	800.26
जून-2014	234.53	661.33	91.46	987.31
जुला-2014	5.92	539.37	35.02	580.31
अगस्त-2014	58.85	621.81	116.41	797.06
सितंबर-2014	260.50	639.33	187.85	1087.68
अक्टूबर-2014	311.24	673.83	369.15	1354.23
नवंबर-2014	971.51	712.93	138.00	1822.44
दिसंबर-2014	1276.85	743.59	65.27	2085.72
जन-2015	491.71	989.19	346.39	1827.29
फर-2015	835.14	665.29	26.33	1526.75
मार्च-2015	444.25	1239.15	973.50	2656.90
अप्रैल-2015	381.55	748.15	505.54	1635.25
मई-2015	552.03	262.21	60.51	874.75
जून-2015	969.29	457.07	0.38	1426.73
जुलै-2015	1911.05	437.79	3.21	2352.05
अगस्त-2015	1484.56	594.41	122.27	2201.23
सितंबर-2015	1878.28	844.52	106.26	2829.06
अक्टूबर-2015	1912.02	1092.63	516.55	3521.20

स्रोत:- भारतीय रिजर्व बैंक के आंतरिक रिकार्ड

अनुबंध 4.2: राज्यों द्वारा आईटीबी और एटीबी में निवेश (मार्च की समाप्ति की स्थिति)									
(₹ करोड़ में)									
क्र. सं.	राज्य	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
		आईटीबी	एटीबी	आईटीबी	एटीबी	आईटीबी	एटीबी	आईटीबी	एटीबी
1	आंध्र प्रदेश	3497	-	4576	-	7062	-	-	-
2	अरुणाचल प्रदेश	49	-	195	-	-	-	-	-
3	असम	6021	-	6266	-	677	3000	2005	-
4	बिहार	398	-	2049	-	3630	400	3523	400
5	छत्तीसगढ़	1508	216	2624	58	1587	-	-	-
6	गोआ	557	-	194	-	194	-	252	-
7	गुजरात	12235	-	8934	3500	10934	-	11414	-
8	हरियाणा	285	-	11	-	3691	-	2488	-
9	हिमाचल प्रदेश	949	-	266	-	-	-	-	-
10	जम्मू और कश्मीर	713	-	150	-	175	-	-	-
11	झारखंड	-	-	742	-	847	-	666	-
12	कर्नाटक	7667	-	6886	-	10994	-	17997	-
13	केरल	2711	-	3201	-	759	-	142	-
14	मध्य प्रदेश	6698	-	6819	-	3906	-	4800	-
15	महाराष्ट्र	19060	8000	37660	-	4778	27500	14458	19000
16	मणिपुर	-	-	-	-	315	-	126	-
17	मेघालय	300	-	-	-	1323	-	880	-
18	मिजोराम	-	-	-	-	26	-	105	-
19	नागालैंड	-	-	-	-	-	-	141	-
20	ओडिसा	3912	3000	4362	3000	3882	-	3821	-
21	पुदुच्चेरी	862	-	938	-	1063	130	488	509
22	पंजाब	-	-	-	-	-	-	248	-
23	राजस्थान	708	8803	5128	7603	2197	8112	2128	6701
24	तमिलनाडु	10716	1990	14886	4415	14084	7143	11996	10416
25	तेलंगाना	-	-	-	-	-	-	1874	-
26	त्रिपुरा	1104	-	2306	-	3546	-	1287	2400
27	उत्तर प्रदेश	13508	-	4817	10000	4590	-	-	-
28	उत्तराखंड	50	-	559	-	802	-	594	-
29	पश्चिम बंगाल	3084	-	4493	-	5128	-	2751	-
कुल		96594	22009	118060	28576	86191	46285	84185	39426

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक के आंतरिक रिकार्ड

अनुबंध 4.3: मध्यवर्ती खजाना बिलों में औसत निवेश						
(₹ करोड़ में)						
क्र. सं.	राज्य	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	आंध्र प्रदेश	2,609	3,474	3,891	4,562	5,356
2	अरुणाचल प्रदेश	1,098	978	740	406	250
3	असम	7,959	7,117	4,728	4,647	4,610
4	बिहार	4,449	4,492	2,737	4,103	5,796
5	छत्तीसगढ़	1,673	2,809	1,959	1,536	1,248
6	गोआ	260	333	190	115	56
7	गुजरात	5,927	7,089	10,690	6,557	6,096
8	हरियाणा	1,165	791	809	1,454	1,626
9	हिमाचल प्रदेश	929	955	700	316	60
10	जम्मू और कश्मीर	-	230	232	210	241
11	झारखंड	1,668	749	569	969	2,443
12	कर्नाटक	7,949	4,078	4,032	4,397	5,969
13	केरल	2,100	1,697	2,445	1,495	905
14	मध्य प्रदेश	5,324	7,041	6,167	4,685	2,978
15	महाराष्ट्र	12,418	10,581	11,925	11,097	5,700
16	मणिपुर	672	350	297	386	540
17	मेघालय	376	380	505	504	588
18	मिज़ोराम	117	161	167	131	118
19	नागालैंड	265	119	75	99	81
20	ओडिसा	4,479	3,194	2,873	3,056	2,293
21	पंजाब	307	187	95	108	37
22	राजस्थान	2,135	1,607	2,339	2,398	2,885
23	तमिलनाडु	8,577	5,859	8,849	9,067	7,945
24	तेलंगाना	-	-	-	-	3,330
25	त्रिपुरा	430	822	1,315	1,683	933
26	उत्तर प्रदेश	4,722	5,959	14,421	6,723	8,762
27	उत्तराखंड	284	213	671	716	1,206
28	पश्चिम बंगाल	408	420	857	719	682
29	पुदुच्चेरी	622	477	582	503	371
कुल		78,922	72,162	84,860	72,644	73,103

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक के रिकार्ड

अनुबन्ध 4.4: नीलामी किए जाने वाले खजाना बिलों में औसत निवेश						
(₹ करोड़ में)						
क्र. सं.	राज्य	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	अरुणाचल प्रदेश	-	49	-	-	-
2	असम	72	1,226	3,066	2,189	305
3	बिहार	-	-	-	204	385
4	छत्तीसगढ़	296	413	343	144	-
5	गुजरात	363	1,311	2,774	2,384	3,975
6	कर्नाटक	-	1,975	3,881	2,742	5,536
7	महाराष्ट्र	2,038	7,491	12,349	22,977	26,160
8	ओडिसा	1,337	4,121	5,047	5,231	2,242
9	राजस्थान	532	5,988	10,566	10,700	8,545
10	तमिलनाडु	4,973	5,010	3,993	4,517	7,766
11	त्रिपुरा	-	74	-	972	2,491
12	उत्तरप्रदेश	-	-	1,792	7,355	-
13	पुदुच्चेरी	-	-	-	331	517
कुल		9,611	27,657	43,812	59,746	57,922

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक के रिकार्ड

क्र. सं.	राज्य/संघशासित प्रदेश	राजस्व व्यय (आरई)				लॉटरी व्यय				पूंजीगत व्यय **				अनुशंसित आधार टीई (आरई+ सीई- लॉटरी)		औसत आधार	गुणक अनुपात (₹ करोड़ में)	
		2011-12		2012-13		2013-14		2011-12		2012-13		2013-14		2011-12	2012-13			2013-14
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2																	
I	गैर-एचएस और एनईएस																	
1	अंध्र प्रदेश	90.415	102.702	110.374	-	-	-	25.466	26.739	26.255	-	-	115.882	129.441	136.629	127,317		
2	बिहार	46.499	54.466	62.477	-	-	-	13.681	14.740	17.928	-	-	60.180	69.207	80.405	69,931		
3	छत्तीसगढ़	22.628	26.972	32.860	-	-	-	6.093	7.847	6.582	-	-	28.721	34.819	39.442	34,327		
4	गोआ	5.482	6.061	6.803	-	-	-	1.471	1.285	1.346	-	-	6.953	7.346	8.149	7,483		
5	गुजरात	59.744	69.658	75.259	-	-	-	19.670	28.623	29.462	-	-	79.414	98.281	104.721	94,139		
6	हरियाणा	32.015	38.072	41.887	-	-	-	7.737	8.440	7.042	-	-	39.751	46.512	48.929	45,064		
7	झारखंड	20.992	23.398	23.431	-	-	-	5.015	7.002	6.632	-	-	26.007	30.400	30.064	28,824		
8	कर्नाटक	65.115	76.293	89.190	-	-	-	20.641	20.308	21.459	-	-	85.756	96.601	110.649	97,669		
9	केरल	46.045	53.489	60.485	902	2.083	3.203	7.745	8.544	8.884	-	-	52.887	59.950	66.167	59,668		
10	मध्य प्रदेश	52.694	62.969	69.870	-	-	-	27.965	20.529	19.894	-	-	80.659	83.497	89.764	84,640		
11	महाराष्ट्र	123.554	138.736	154.902	67	-	72	25.174	25.466	31.927	-	-	148.662	164.202	186.758	166,541		
12	ओडिसा	34.660	38.238	45.618	-	-	-	7.445	9.018	10.513	-	-	42.105	47.256	56.131	48,497		
13	पंजाब	33.045	39.458	41.641	45	83	45	3.765	5.049	6.016	-	-	36.765	44.425	47.612	42,934		
14	राजस्थान	53.653	63.462	75.510	-	-	-	11.719	17.802	18.591	-	-	65.372	81.264	94.101	80,246		
15	तमिलनाडु	83.838	97.067	109.825	-	-	-	25.627	24.328	24.368	-	-	109.465	121.396	134.192	121,685		
16	तेलंगाना	-	-	79.810	-	-	-	-	-	20.148	-	-	-	-	-	-		
17	उत्तरप्रदेश	123.885	140.724	158.147	-	-	-	29.827	32.997	42.573	-	-	153.712	173.720	200.720	176,051		
18	पश्चिम बंगाल	73.326	82.111	91.797	35	45	44	10.505	13.247	16.716	-	-	83.796	95.313	108.470	95,859		
	उप - योग (I)	967.592	1,113.876	1,329.885	1,049	2,211	3,364	249,545	271,964	316,338			1,216,088	1,383,629	1,542,902	1,380,873	2.03%	
II	हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्य																	
19	अरुणाचल प्रदेश	4.418	4.786	5.731	-	-	-	2.247	1.567	2.050	-	-	6.665	6.354	7.782	6,933		
20	असम	26.529	29.137	31.972	-	-	-	3.740	4.611	5.207	-	-	30.269	33.748	37.178	33,732		
21	हिमाचल प्रदेश	13.898	16.174	17.352	-	-	-	3.431	4.540	3.919	-	-	17.329	20.715	21.271	19,771		
22	जम्मू और कश्मीर	22.680	25.117	27.058	1	-	-	7.176	6.661	5.925	-	-	29.855	31.778	32.983	31,539		
23	मणिपुर	5.005	5.317	5.719	2	1	1	1.857	1.677	1.454	-	-	6.861	6.993	7.172	7,008		
24	मेघालय	4.835	5.000	5.552	1	1	1	1.110	1.124	1.259	-	-	5.944	6.123	6.810	6,292		
25	मिजोराम	3.724	4.509	6.145	1	2	2	762	827	1.132	-	-	4.485	5.334	7.275	5,698		
26	नागालैंड	4.876	5.601	5.750	2	2	-	1.573	1.593	1.477	-	-	6.447	7.192	7.227	6,955		
27	त्रिपुरा	4.809	5.213	5.949	-	-	-	1.629	1.815	1.876	-	-	6.438	7.027	7.825	7,097		
28	उत्तराखंड	12.975	13.960	16.216	-	-	-	3.257	5.256	5.307	-	-	16.232	19.216	21.523	18,991		
29	पुद्दुच्चेरी	3.222	3.051	4.483	-	-	-	594	505	568	-	-	3.756	3.556	5.050	4,121		
	उप - योग (II)	106.971	117.865	131.927	7	5	4	27,316	30,175	30,174			134,280	148,035	162,098	148,138	2.78%	
	कुल	1,074,563	1,231,741	1,461,813	1,056	2,216	3,368	276,862	302,139	346,512			1,350,368	1,531,664	1,704,999	1,529,011		

टिप्पणी : आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए डब्ल्यूएमए का बंटवारा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 द्वारा सूचित किए गए अनुपात में किया गया है। ** सरकारी लेखा मंडों को छोड़कर।

अनुबंध 6 : भारतीय रिज़र्व बैंक की परिचालन प्रक्रिया और चलनिधि प्रबंधन संरचना

मौद्रिक नीति की मौजूदा परिचालन संरचना के अनुसार चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नियत ओवरनाइट क्रय दर (रेपो) ही एक मात्र मौद्रिक नीति दर है जबकि भारत औसत मांग मुद्रा दर (डब्लूएसीआर) मौद्रिक नीति का परिचालनगत लक्ष्य है। रिज़र्व बैंक की परिचालन प्रक्रिया का लक्ष्य चलनिधि की स्थिति को बदलते रहना है ताकि नीतिगत दर के आसपास डब्लूएसीआर को नियंत्रित किया जा सके। यह वित्तीय प्रणाली और अर्थव्यवस्था के लिए प्रथम चरण का मौद्रिक नीति प्रसार है।

5 सितंबर, 2014 से लागू संशोधित चलनिधि प्रबंधन संरचना की मुख्य-मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: (i) केंद्रीय बैंक की चलनिधि सुविधा की पक्की उपलब्धता जो निवल मांग और मीयादी देयता (एनडीटीएल) के एक प्रतिशत के बराबर होती है, जिसमें शामिल है एनडीटीएल का 0.25 प्रतिशत जो नीतिगत दर पर दैनिक आधार पर की जा रही ओवरनाइट नियत दर रेपो नीलामी के माध्यम से, और एनडीटीएल का 0.75 प्रतिशत प्रति मंगलवार

एवं शुक्रवार को की जाने वाली 14 दिवसीय भिन्न दर मीयादी रेपो नीलामी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है; (ii) ओवरनाइट से लेकर 28 दिवसीय परिपक्वता के संबंध में भिन्न रेपो दर / रिवर्स रेपो नीलामियों के माध्यम से परिचालनों की फाइन-टयूनिंग करना ताकि छिटपुट चलनिधि असंतुलों को समाप्त किया जा सके जो सुनिश्चित चलनिधि परिचालन के बजाय घटित होते हैं; और (iii) सीधे-सीधे बाजार परिचालन करना ताकि उभरते हुए चलनिधि असंतुलों को नियंत्रित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, दो स्थायी सुविधाएं भी हैं - सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) और नियत दर दैनिक ओवरनाइट रिवर्स रेपो नीलामी जो बाजार के सहभागियों को केंद्रीय बैंक की चलनिधि की सुविधा उपलब्ध कराती है या रिज़र्व बैंक के पास बेशी चलनिधि को रखने की सुविधा प्रदान करती है। एमएसएफ दर तथा नियत ओवरनाइट रिवर्स रेपो दर अनौपचारिक गलियारे हैं जो अंतर-दिवसीय मांग दर में होने वाले उतार-चढ़ाव को सीमित करते हैं।

अनुबंध 7 : डब्लू एम ए के फार्मूलों को जोड़ने का प्रयास**जीएसडीपी पर आधारित डब्लू एम ए सीमा**

समस्त राज्यों से संबंधित नवीनतम उपलब्ध जीएसडीपी आंकड़े 2013-14 के हैं। राज्यों के जीएसडीपी आंकड़ों का समेकन एचएसएंडएनईएस के अनुसार किया गया और अन्य राज्यों की गणना गुणात्मक अनुपात से की गई और उसके बाद राज्यवार डब्लू एम ए सीमा का आकलन किया गया। फार्मूला के अनुसार, कुछ राज्यों को उनकी मौजूदा सीमा की तुलना में कम डब्लू एम ए और कुछ अन्य राज्यों की डब्लू एम ए सीमा अधिक आकलित की गई। इतना ही नहीं, यह पाया गया कि कुछ राज्यों के जीएसडीपी आंकड़े उनकी राजकोषीय स्थिति के अनुरूप नहीं थे। इसलिए, समिति द्वारा जीएसडीपी के आधार पर डब्ल्यूएमए सीमा के निर्धारण पर विचार नहीं किया गया।

जीएसडीपी के 3 प्रतिशत पर आधारित डब्लू एम ए सीमा का निर्धारण

चौदहवीं एफसी ने यह सिफारिश की है कि 2015-16 के बाद से राज्यों का जीएफडी उनके जीएसडीपी के 3 प्रतिशत तक रखा जाए। चूंकि राज्यवार जीएसडीपी की स्थिति भी स्पष्ट से डब्लू एम ए की गणना भी विशेषतया सार्थक सिद्ध नहीं हुई, और कुछ के एचएसएंडएनईएस उनकी वर्तमान सीमा के हिसाब से ऋणात्मक हो गए। इसलिए यह फार्मूला उपयुक्त नहीं पाया गया।

कुल व्यय से कुल राजस्व प्राप्तियों को घटाने के आधार पर डब्लू एम ए सीमा का निर्धारण

सामान्यतया, डब्लू एम ए का इस्तेमाल राज्य के नकदी प्रवाह में होने वाली अस्थायी कमी-बेशी को पूरा करने के लिए किया जाता है। कुल व्यय में से कुल प्राप्तियों को घटाने पर राज्यों में कमी-बेशी का पता चल जाता है। लेकिन, यह पाया गया है कि कुछ राज्य अपने खर्चों को इतने विवेकपूर्ण तरीके से नियंत्रित कर रहे हैं कि उनकी राजस्व प्राप्तियों से उनकी भलीभांति ज्ञात उधारी से उनके खर्चों का काम चल जाता है। फलस्वरूप, ऐसे राज्यों में राजस्व व खर्चों में अंतर बहुत कम था जिससे राज्यों के सही राजकोषीय आकार का पता नहीं चल सका। इसलिए यह तरीका भी डब्लू एम ए के आकलन के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया।

राजस्व प्राप्तियों के आधार पर डब्लू एम ए की गणना

हाल की अवधि के दौरान सीएजीआर आधार पर राज्यों के राजस्व की प्राप्तियां 7.1 प्रतिशत से 20.4 प्रतिशत के बीच बढ़ गई थीं जबकि कुछ की वृद्धि एचएसएंडएनईएस के दौरान सीएजीआर 15 प्रतिशत से अधिक था। इसके अलावा, राजस्व प्राप्तियों से सभी राज्यों के नकदी प्रवाह में कमी-बेशी का पता नहीं चलता है क्योंकि कुछ राज्यों में बेशी राजस्व प्राप्त करने के संबंध में 13वें एफसी की सिफारिशों के बावजूद राजस्व प्राप्त कम रही थी। इसके साथ-साथ राजस्व प्राप्तियों के आधार पर संशोधित सीमा की वृद्धि में 46.7 प्रतिशत से 166.7 प्रतिशत के बीच काफी अंतर पाया गया। अतः, राजस्व प्राप्तियों पर आधारित फार्मूले को भी पर्याप्त नहीं पाया गया।

अनुबंध 8 : राज्य सरकारों के विचार

परामर्शदात्री समिति और एसएफएस सम्मेलन में राज्यों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने अभिमत/सुझाव भेजें जिनपर समिति में चर्चा की जा सके। तदनुसार, तमिलनाडु, उड़ीसा, मेघालय, झारखंड तथा हरियाणा आदि राज्यों ने अपने अभिमत प्रेषित किए हैं। इन अभिमतों का सारांश संबंधित शीर्षकों के अंतर्गत यहां प्रस्तुत है :

डब्लू एम ए सीमा

एफआरबीएम अधिनियम पारित हो जाने के बाद डब्लू एम ए / ओडी घाटे के वित्तपोषण का साधन नहीं रहा। राज्यों का बजट आकार बढ़ जाने के कारण औसतन दैनिक लेनदेन बढ़ गया है और प्राप्तियों में किसी भी प्रकार की कमी-बेशी, विशेष रूप से केंद्र/राज्य सरकारों के कमर्शियल करों के मामले में, त्वरित किए जाने वाले भुगतानों के साथ उनका तालमेल होता है जिसके कारण अंतर भी बढ़ जाएगा। इससे राज्य की डब्लू एम ए एवं ओडी सीमा शीघ्रता से समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा, पिछले समय में जो निष्पादन रहा है उसे ही केवल डब्लू एम ए सीमा के निर्धारण के लिए नहीं लिया जाना चाहिए बल्कि समिति द्वारा भविष्य में किए जाने वाले निष्पादनों को भी ध्यान में रखना होगा। डब्लू एम ए सीमा के पुनः मूल्यांकन की जरूरत है जो राज्यों को कुशन प्रदान करेगा ताकि वे अपनी जरूरी गतिविधियों को राज्य की तिजोरी में वित्तीय लेनदेन किए बिना आसानी से कर सकें। चूंकि राज्यों के पास एटीबी/नकदी प्रबंधन बिल (सीएमबी) का विकल्प नहीं है, इसलिए यह जरूरी है कि मौजूदा बजट की प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर डब्ल्यू एम ए की सीमा रखी जाए। उत्तर-पूर्व राज्यों द्वारा विशिष्ट समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे सीमित राजकोषीय क्षमता और अपेक्षाकृत व्यय बहुत अधिक है क्योंकि जलवायु साथ नहीं देती है, भौगोलिक स्थितियां विकट हैं और दूर-दराज में स्थित होते हैं, इसे ध्यान में रखकर समिति इस क्षेत्र के लिए उच्च डब्लू एम ए सीमा की सिफारिश करे ताकि किसी भी प्रकार की अस्थायी कमी-बेशी को पूरा किया जा सके।

अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) की सीमा के आकलन का आधार और नवीनतम आंकड़ों का प्रयोग करना

बेजबरुआ समिति द्वारा इस्तेमाल किए गए फार्मूले को डब्लू एम ए के आकलन के लिए जारी रखा जाना चाहिए। किंतु, पिछली समिति ने जो आंकड़े लिए थे वे अपेक्षाकृत पुराने थे क्योंकि पिछले तीन वर्ष के लेखा संबंधी आंकड़े लिए गए थे। इसके बजाय, वही फार्मूला अपनाते

हुए पिछले तीन वर्ष के लेखा संबंधी आंकड़ों को, लेखों और संशोधित अनुमानों को भी विचार में लिया जाए।

प्रत्येक वर्ष रोलिंग सामान्य अर्थोपाय अग्रिम सीमा का निर्धारण

मौसम के हिसाब से राजस्व आने तथा खर्च की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए इस बात की आवश्यकता है कि अर्थोपाय अग्रिम सीमा के दो सेट बनाए जाएं जैसे - एक वित्तीय वर्ष की पहली छमाही के लिए और दूसरा सेट वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही के लिए। चूंकि पूंजीगत व्यय की पूर्ति उधारी से की जानी होती है, इसलिए अर्थोपाय अग्रिम सीमा में संशोधन के लिए कुल राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस संबंध में यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अधिक राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटे के समय में राज्यों में बार-बार नकदी की कमी-बेशी की स्थिति पैदा होती है और अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर अत्यधिक निर्भरता होती है।

वार्षिक अर्थोपाय अग्रिम की सीमा प्रतिवर्ष पहली अप्रैल को संशोधित की जानी चाहिए जो पिछले तीन वर्ष के आंकड़ों पर आधारित हो ताकि बढ़ते सरकारी खर्चों/बजट के आकार को पूरा किया जा सके। राज्य के लिए अर्थोपाय अग्रिम की गणना नकदी ऋण के समान की जानी चाहिए क्योंकि राज्यों को अप्रत्याशित बड़े खर्चों का सामना करना पड़ सकता है जैसे आपदा, प्राकृतिक आपदाएं, वेतन आयोग के खर्च, पेंशन विवाद आदि।

ओवरड्राफ्ट योजना

छोटे राज्यों जैसे उत्तर-पूर्वी राज्यों में अधिकांश राजस्व केंद्र से आता है और वह भी केवल महीने के प्रारंभ में। इसलिए ओवरड्राफ्ट की समय-सीमा 14 दिन से बढ़कर 30 दिन करनी चाहिए और ब्याज दर स्वीकार्य समय सीमा में रेपो दर + ओवरड्राफ्ट राशि का 1% तथा स्वीकार्य समय-सीमा से अधिक अवधि के लिए रेपो दर + ओवरड्राफ्ट राशि का 2% होना चाहिए।

अधिशेष नकदी राशि के निवेश के लिए अतिरिक्त अवसर सृजित करना

चूंकि राज्यों ने राजकोषीय अधिशेष की स्थिति नहीं प्राप्त की है, इसलिए राज्यों की नकदी राशियों में अधिशेष तो होता नहीं है किंतु लोक-लेखा के अंतर्गत देयताएं होती हैं। लोक लेखा के अंतर्गत संचित राशि को सरकारी प्रणाली के अंतर्गत रखा जाता है जिसे राज्यों द्वारा अर्थोपाय

अग्रिम के रूप में राज्य के स्वामित्व की संस्थाओं के लिए / राज्यों द्वारा फौरी तौर पर इस्तेमाल के लिए उपयोग किया जा सकता है / प्रवाहित (फ्लोट) करने का कार्य केंद्र के साथ रखा जा सकता है। यदि अनुमति होती है तो जमाराशि बाजार के खिलाड़ियों के पास जाएगी और वे उसे ऊंची दर पर सरकारी संस्थाओं को उधार देंगे। अतः राज्य सरकारों के लोक खातों में संचित राशियों के निवेश के अतिरिक्त अवसर पैदा किए जाएं, जैसे एलएएफ संरचना के अंतर्गत केंद्र सरकार की तरह बाजार सहभागियों के लिए रेपो होती है, राज्य सरकारों के नकदी अधिशेष के निवेश (2006) के संबंध में राज्य वित्त सचिवों के कार्यदल की सिफारिशों को लागू करने पर विचार करना, भारत सरकार के पास मीयादी जमा के रूप में लंबी अवधि जैसे 6 महीने या एक वर्ष के लिए रखना जिसपर सरकारी प्रतिभूति के समान ब्याजदर प्राप्त हो आदि।

14 दिवसीय आईटीबी पर रिटर्न

आईटीबी पर रिटर्न केवल 5 प्रतिशत है और वह भी 14 दिन की परिपक्वता पर ही प्राप्त होता है। जब बेजबर्कूआ समिति ने अर्थोपाय अग्रिम/ओडी पर ब्याजदर का बेंचमार्क बैंक दर से बदलकर रेपो दर कर दिया तो फिर आईटीबी में राज्यों के निवेश पर रिटर्न की दर भी रेपो दर कर दी जानी उपयुक्त रहेगी। 31 मार्च, 1997 की भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार डिस्काउंट दर को अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज-दर के समान कर दिया गया है जिसे भारत सरकार को प्रभारित किया जाएगा। इसके उपरांत, भारतीय रिजर्व बैंक के 8 मई 2003 के पत्र के अनुसार आईटीबी पर डिस्काउंट दर का निर्धारण ‘‘अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज दर में से 100 आधार अंक घटाकर’’ मानदंड के आधार पर किया गया है (यह वह बिंदु है जहां अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज की दर बैंक दर से जुड़ी होगी)।

अतः, जब 1 अप्रैल, 2006 से अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट की बेंचमार्क दर को रेपो दर से जोड़ दिया गया था, तो आईटीबी पर रिटर्न भी रेपो दर के अनुसार ही होना चाहिए (अर्थात् अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज की दर में से 100 आधार अंक कम करके)। लेकिन ऐसा नहीं किया गया था। उपर्युक्त स्थितियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समिति को अर्थोपाय अग्रिम पर प्रभारित ब्याज तथा राज्य सरकारों की अधिशेष नकदी राशियों पर रिटर्न की दर के बीच के अंतर पर विचार करना चाहिए। बेहतर यह होगा कि या तो इसे एक मात्र बेंचमार्क दर के अनुरूप बना दिया जाए जैसा कि अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज दर के बारे में किया गया है या एसएफएस समिति

की सिफारिशों के अनुसार एक पृथक ओवरनाइट लिखत प्रारंभ किया जाए या फिर जैसाकि भारत सरकार के लिए किया जाता है, उसी प्रकार राज्यों की अधिशेष राशियों के कुछ हिस्से को बाजार में रेपो प्रक्रिया में प्रयोग किया जाए ताकि खेल का एक समान स्तर तैयार हो / राज्य के संसाधनों पर अच्छा प्रतिफल प्राप्त हो।

बेहतर नकदी प्रबंधन तकनीक

राज्य सरकारों को बेहतर नकदी प्रबंधन तकनीकें प्रदान की जानी चाहिए जिसमें भारत सरकार द्वारा मंत्रालयों के लिए अपनाई गई एक्सचेकर नियंत्रण आधारित प्रणाली हो ताकि वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय की बैक-लोडिंग की प्रवृत्ति को उलटा किया जा सके, नकदी और कर्ज-प्रबंधन में एकीकरण हो तथा राजस्व प्राप्तियों में प्रवाह बना रहे। प्राप्ति और भुगतान की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली अपनाने से भी राज्य सरकार की लागत पर बैंकिंग प्रणाली में चलपूजी को न्यूनतम बनाया जा सकता है। ऐसी देयताएं जिनके भुगतान की प्रतिबद्धता है जैसे वेतन का भुगतान, पेंशन, ब्याज का भुगतान, नियत तारीख वाले ऋणों की चुकौती करने के लिए समय-समय पर प्राप्तियों और भुगतान में पैदा होने वाली कमी-बेशी को दूर करने के लिए राज्य सरकार के हाथ में अधिशेष नकदी होनी चाहिए। समिति इस मुद्दे पर विचार-विमर्श कर सकती है और राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम राशि के अलावा सांकेतिक/इष्टतम अधिशेष राशि का निर्धारण कर सकती है।

केंद्रीकृत रूप से प्रायोजित योजना -कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रवाहित (फ्लोट) करना

केंद्रीकृत रूप से प्रायोजित योजना (सीएसएस) के कार्यान्वयन की एजेंसियों के पास उपलब्ध फ्लोट को उनके बैंक खातों एवं लेनदेन को राज्य सरकार की तिजोरी प्रणाली के साथ जोड़कर न्यूनतम बनाया जा सकता है ताकि इन एजेंसियों से धन का प्रवाह ‘समय पर’ हो सके। भारत सरकार और राज्य सरकार की समस्त योजनाओं के लिए लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) इंटरफेस के माध्यम से लागू कर दी जानी चाहिए जिसे राज्य तिजोरी पोर्टल द्वारा उपलब्ध कराया जाता है ताकि सीएसएस तथा राज्य सरकार की योजनाओं के लिए निधि का प्रवाह प्रसारण प्रणाली में न्यूनतम फ्लोट के भीतर बना रहे। इससे भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों की नकदी प्रबंधन प्रणाली में सुधार होगा जो लंबे समय तक चलेगी।

सीएसएस के अंतर्गत, भारत सरकार इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को भारी रकम अंतरित करती है। राज्य सरकारों के

लिए एकल स्रोत से केंद्र की सहायता की उपलब्धता की प्रामाणिक सूचना मिल पाना बहुत कठिन होता है जिसके अभाव में अनुदान की शकल में प्रत्येक सीएसएस हेतु उपलब्ध संसाधनों को उचित आकलन करना और राज्य के हिस्से का मिलान कर पाना संभव नहीं होता है। इतना ही नहीं, वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से ही सीएसएस हेतु, केंद्र की सहायता की प्राप्ति के बारे में कोई संकेत नहीं मिलने से राज्य सरकारें केंद्र से प्राप्त सहायता को व्यय करने की उचित योजना नहीं बना पाती हैं और उन्हें राज्य के अपेक्षित हिस्से का पता नहीं चलता है। हालांकि राज्य सरकार सीएसएस के लिए केंद्र सरकार से सहायता प्राप्त होते ही धन जारी कर देती है, वह भी ऐसे समय जब प्रोग्राम डिलीवरी को जारी रखना हो, राज्य सरकार को केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता तथा समरूप राज्य के हिस्से दोनों को अग्रिम रूप से उपलब्ध कराना होता है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, एकीकृत शिशु विकास सेवा (विशेष आहार घटक) कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनमें उक्त प्रकार की घटनाएं प्रायः घटित होती हैं। इससे काफी हद तक राज्य सरकार के खाते में समय-समय पर नकदी का असंतुलन पैदा हो जाता है।

यह सुझाव है कि सीएसएस के लिए कितना धन दिया गया है इसे बेहतर रूप से जानने के लिए प्रत्येक राज्य के लिए वार्षिक आबंटन तथा राज्यों की हिस्सेदारी के पैटर्न को एक प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिस तक सभी राज्यों की पहुंच हो। इससे सीएसएस के अंतर्गत राज्यों को धन के आबंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकेगी जो अभी तक विवेकपूर्ण मानी जाती थी और सभी सीएसएस के लिए धन के प्रावाह का अनुमान लगाया जा सकेगा और राज्य बेहतर स्थिति में होंगे कि सीएसएस फंड का उपयोग अग्रिम योजना बनाते हुए कर सकेंगे जो उन्हें वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ही व्यय के लिए उपलब्ध करा दी जाएगी।

बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए, राज्यों से अपेक्षित होता है कि पहले वे खर्च करें और बाद में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से प्रदाता एजेंसी से प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत करें। बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु वास्तविक व्यय तथा केंद्र से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त सहायता दोनों के बीच काफी समय का अंतर होता है। इससे खर्च के लिए अग्रिम रूप से धन दे पाने की राज्यों की क्षमता सीमित हो जाती है।

एसडीएफ लेखा शीर्ष

विशेष अर्थोपाय अग्रिम का नाम बदल कर एसडीएफ कर दिया गया है ताकि इससे जुड़ा कलंक दूर किया जा सके जो राज्य सरकार की भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में धारित तथा एटीबी में निवेश की जमानत पर दिया जाता है। लेकिन एसडीएफ से प्राप्त तथा उससे चुकौती को अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक बड़े लेखा शीर्ष '6003 - राज्य सरकार आंतरिक ऋण' के अंतर्गत एक छोटे से लेखा शीर्ष '110-भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम' में दर्ज किया जाता है। इसलिए, सुझाव है कि नियंत्रक महालेखाकार, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार एसडीएफ के वर्गीकरण के लिए एक पृथक लघु शीर्ष प्रदान करने का प्रस्ताव रख सकता है।

आवधिक क्षमता-निर्माण कार्यक्रम

परिवर्तनों के साथ-साथ चलने के लिए राज्य वित्त विभागों के अधिकारियों की क्षमता को और सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि बनाम इसके लेनदेन प्रणाली और अन्य बैंकिंग प्रणाली में परिवर्तन हो रहा है, जिससे राज्य वित्त विभाग के अधिकारी बैंकिंग लेनदेन, कांटा-क्रेडिट, आवधिक बैंक विवरण को समझकर कर सकें। भारतीय रिजर्व बैंक, राज्य वित्त विभागों के अधिकारियों के लिए आवधिक रूप से क्षमता-निर्माण और उन्मुखता कार्यक्रम चलाने की योजना बना सकता है।

अनुबंध 9 : परामर्शदात्री समिति की बैठकों में भाग लेने वाले अधिकारी

परामर्शदात्री समिति की पहली बैठक 23 दिसंबर, 2014 को भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई में आयोजित की गई थी। बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया था :

अध्यक्ष और सदस्य

1. श्री सुमित बोस, अध्यक्ष
2. डॉ. रथिन रॉय, निदेशक, एनआईपीएफपी
3. श्री श्रीकांत देशपांडे, सचिव (व्यय), वित्त विभाग, महाराष्ट्र सरकार
4. श्री टी. उदयाचंद्रन, सचिव, वित्त विभाग, तमिलनाडु सरकार
5. श्री केखवेजो केफो, वरिष्ठ आरओ, वित्त विभाग, नागालैंड सरकार

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

6. श्री एस. मोहन, निदेशक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

भारतीय रिज़र्व बैंक

7. श्री पी. विजय भास्कर, कार्यपालक निदेशक
8. श्रीमती रेखा जी. वारियर, मुख्य महाप्रबंधक, आईडीएमडी
9. श्रीमती आर. कौशल्या, निदेशक, आईडीएमडी
10. श्री ए.के. मित्रा, निदेशक, आईडीएमडी
11. श्री एल. लक्ष्मणन, निदेशक, एमपीडी

परामर्शदात्री समिति की दूसरी बैठक 21 अप्रैल, 2015 को भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता में संपन्न हुई। बैठकों में समिति के सदस्यों के अलावा उत्तर-पूर्व राज्यों के वित्त विभाग से प्रतिनिधियोंको विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। तदनुसार, निम्नलिखित अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया था।

अध्यक्ष और सदस्य

1. श्री सुमित बोस, अध्यक्ष
2. डॉ. रथिन रॉय, निदेशक, एनआईपीएफपी
3. श्रीमती विनी महाजन, प्रधान वित्त सचिव, पंजाब सरकार
4. श्री टी. उदयाचंद्रन, सचिव (व्यय), वित्त विभाग, तमिलनाडु सरकार

5. श्री टेमजेन ट्वाय, प्रधान वित्त सचिव, नागालैंड सरकार
6. श्री एस. मोहन, परामर्शदाता (पीएफ - I), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

राज्य सरकारों से आमंत्रित प्रतिनिधि

7. श्री गणेश कोयू, विकास आयुक्त और सचिव, अरुणाचल प्रदेश सरकार
8. श्री रामेश्वर सिंह, पीएफएस, बिहार सरकार
9. श्री पुनीत अग्रवाल, सचिव (वित्त), त्रिपुरा सरकार
10. श्री आर.के. बुजरबरुआ, कंसल्टेंट, असम सरकार
11. श्री एस.पी. सरमह, निदेशक, असम सरकार
12. श्री अनुराग श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार

भारतीय रिज़र्व बैंक

13. श्रीमती आर. कौशल्या, निदेशक, आईडीएमडी
14. श्री एल. लक्ष्मणन, सहायक परामर्शदाता, आईडीएमडी
15. श्री बृजेश पञ्जायाथोड़ी, सहायक परामर्शदाता, डीईपीआर

31 अगस्त, 2015 को रिज़र्व बैंक अधिकारियों के साथ चर्चा

अध्यक्ष और डॉ. रथिन रॉय ने 31 अगस्त, 2015 को आईडीएमडी के निम्नलिखित अधिकारियों के साथ चर्चा की और लंच पर उप गवर्नर श्री एच.आर. खान तथा श्री पी. विजय भास्कर, कार्यपालक निदेशक के साथ विचार-विमर्श किया।

1. श्रीमती आर. कौशल्या, निदेशक, आईडीएमडी
2. श्री राजेंद्र कुमार, महाप्रबंधक, आईडीएमडी
3. श्री एल. लक्ष्मणन, सहायक परामर्शदाता, आईडीएमडी
4. श्री ए.के. मित्रा, निदेशक, एमपीडी
5. श्री आई. भट्टाचार्य, निदेशक, डीईपीआर

परामर्शदात्री समिति की तीसरी बैठक 20 नवंबर, 2015 को भारतीय रिज़र्व बैंक, दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया था :

अध्यक्ष और सदस्य

1. श्री सुमित बोस, अध्यक्ष
2. डॉ. रथिन रॉय, निदेशक, एनआईपीएफपी
3. श्री के. शनमुगम, प्रधान वित्त सचिव, तमिलनाडु सरकार
4. श्री डी. पी. रेड्डी, प्रधान वित्त सचिव, पंजाब सरकार
5. श्री टेमजेन ट्वाय, प्रधान वित्त सचिव और वित्त आयुक्त, नागालैंड सरकार
6. श्रीमती एल.एन. टोछांग, वित्त आयुक्त और सचिव, मिजोरम सरकार
7. श्री एन.के. चौधरी, प्रधान वित्त सचिव, जम्मू और कश्मीर सरकार

8. श्री जी.सी. मुर्मू, अवर सचिव, पीएफ - I, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

भारत सरकार और राज्य सरकारों से आमंत्रित प्रतिनिधि

9. श्री एस. मोहन, परामर्शदाता (पीएफ - I), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
10. श्री एन. वेंकटेश, उप सचिव, वित्त विभाग, तमिलनाडु सरकार
11. श्री मनमोहन सचदेव, निदेशक, पीएफ - I, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

भारतीय रिज़र्व बैंक

12. श्रीमती आर. कौशल्या, निदेशक, आईडीएमडी
13. श्री एल. लक्ष्मणन, सहायक परामर्शदाता, आईडीएमडी
14. श्री ए.के. मित्रा, निदेशक, एमपीडी

Item	अनुबंध सारणी 1 : चुनिंदा ब्याज दरों की प्रवृत्ति (प्रतिशत)																	
	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14			2014-15			2015-16		
	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति1	ति2		
रेपो दर (तिमाही के अंत में)	5.25	6.00	6.25	6.75	7.50	8.25	8.50	8.50	8.00	8.00	7.25	7.50	7.75	8.00	8.00	8.00	7.25	6.75
बैंक दर (तिमाही के अंत में)	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	9.50	8.50	9.00	9.00	8.25	9.50	8.75	9.00	9.00	9.00	8.25	7.75
तिजोरी बिल (भारत औसत)	4.41	6.00	6.85	7.19	7.98	8.34	8.63	8.87	8.41	8.20	8.41	8.15	8.82	8.99	8.73	8.60	7.82	7.45
91-दिवस	4.82	6.22	7.04	7.47	7.98	8.37	8.68	8.62	8.38	8.20	7.49	10.18	8.83	8.98	8.79	8.68	7.86	7.53
364-दिवस	5.08	6.24	7.14	7.63	8.13	8.33	8.55	8.42	8.19	8.06	7.46	9.53	8.83	8.92	8.84	8.69	7.82	7.56
भारत औसत भारत सरकार दिनांकित प्रतिभूतियां (प्रार्थमिक नीलामी)	8.34	8.44	8.87	8.38	8.58	8.33	8.25	7.93	7.56	8.55	8.91	8.67	8.28	7.78	8.91	8.67	7.91	7.95
10 वर्ष बेंच मार्क भार सरकार प्रतिभूतियों का औसत (द्वितीयक बाजार)	7.72	7.86	8.04	8.09	8.20	8.34	8.69	8.32	8.48	8.16	7.55	8.32	8.81	8.80	8.80	8.58	7.84	7.78
14-दिवस आईटीबी	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
भारत औसत एसडीएल	8.31	8.32	8.44	8.47	8.55	8.61	9.01	8.85	9.09	8.89	7.91	9.33	9.38	9.52	9.22	8.98	8.17	8.26

